CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XXXV, Sixteenth Session, 2018-19/1940 (Saka)
No. 11, Friday, December 28, 2018/ Pausha 7, 1940 (Saka)

<u>SUBJECT</u> <u>PAGES</u>

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Question Nos. 241 and 242 20-37

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos. 243 to 260 38-88

Unstarred Question Nos. 2761 to 2990 89-574

_

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	577-607
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	608
AMENDMENT TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER, LOK SABHA UNDER RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA	609
COMMITTEE OF PRIVILEGES 10 th Report	609-610
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 34 th to 37 th Reports	610
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS Statement	610-611
STANDING COMMITTEE ON LABOUR 45 th Report	611
STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY 291 st to 294 th Reports	611-612
STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE	
111 th to 114 th Reports	612-613

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 571 DATED 20.07.2018 REGARDING FAKE CURRENCY ALONGWITH REASONS FOR DELAY

Shri Pon Radhakrishnan 613-618

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 305th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology

Dr. Harsh Vardhan 619

000 004

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Coffee Board	620-621
(ii) Rubber Board	621-622
(iii) Marine Products Export Development Authority	622-623

MOTION RE: 58TH REPORT OF BUSINESS

ADVISORY COMMITTEE 624

STATUTORY RESOLUTION RE: INCREASING BASIC
CUSTOMS DUTY (BCD) ON CERTAIN GOODS 625-632

JALLIANWALA BAGH NATIONAL MEMORIAL

(AMENDMENT) BILL, 2018	635
STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL OF PROCLAMATION BY PRESIDENT IN RELATION TO STATE OF JAMMU AND KASHMIR	636, 665-727
Shri Rajnath Singh	636, 716-727
Dr. Shashi Tharoor	665-669
Prof. Saugata Roy	670-672
Shri Bhartruhari Mahtab	673-675
Dr. P. Venugopal	677
Shrimati Supriya Sadanand Sule	677-680
Dr. Jitendra Singh	681-692
Shri Mohammad Salim	693-697
Shri Mulayam Singh Yadav	698-700
Shri Arvind Sawant	701-703
Shri Bhagwant Mann	704-705
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	706-707
Shri N.K. Premachandran	708-710
Dr. Farooq Abdullah	711-715

	ON RE: 44 TH AND 45 TH REPORTS OF COMMITTEE RIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	729-730
PRIVA	TE MEMBERS' BILLS – Introduced	731-797
(i)	Prevention of Acid Attacks and Rehabilitation of Acid Attack Victims Bill, 2018	
	By Dr. Kakoli Ghosh Dastidar	731-732
(ii)	Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new article 21B)	
	By Shri Nishikant Dubey	733
(iii)	Vedic Education (Compulsory Teaching in Educational Institutions) Bill, 2018	
	By Shri Nishikant Dubey	733
(iv)	Cow Protection Bill, 2018 By Shri Nishikant Dubey	734
(v)	Compulsory Protection of Witness and Victims of Crimes Bill, 2018	
	By Shri Nishikant Dubey	735
(vi)	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 41)	
	By Dr. Sanjay Jaiswal	736

(vii)	Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2017	
	(Amendment of section 358)	
	By Dr. Sanjay Jaiswal	736
(viii)	Right to Disconnect Bill, 2018	
	By Shrimati Supriya Sadanand Sule	737
(ix)	Tuberculosis (Prevention and Eradication) Bill, 2018	
	By Shrimati Supriya Sadanand Sule	738
(x)	Gender Sensitization (Training and Education) Bill, 2018	
	By Shrimati Supriya Sadanand Sule	738-739
(xi)	National Food Security (Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of section 2, etc)	
	By Shri Jagdambika Pal	739
(xii)	Information Technology (Amendment) Bill, 2018	
	(Omission of section 66A)	
	By Shri Jagdambika Pal	740
(xiii)	Armed Forces Law (Amendment) Bill, 2018	
,	(Amendment of section 45, etc.)	
	By Shri Jagdambika Pal	740-741
(xiv)	Disaster Management (Amendment) Bill, 2018	
	(Insertion of new section 46A)	
	By Dr. Shashi Tharoor	741

(xv)	Freedom of Literature Bill, 2018	
	By Dr. Shashi Tharoor	742
(xvi)	Sports (Online Gaming and Prevention of Fraud) Bill, 2018	
	By Dr. Shashi Tharoor	742-743
(xvii)	Women's Sexual, Reproductive and Menstrual Rights Bill, 2018	
	By Dr. Shashi Tharoor	743-744
(xviii)	Supreme Court, High Courts and District Courts (Use of Official Languages) Bill, 2018	
	By Shri Gopal Shetty	744
(xix)	Constitution (Amendment) Bill, 2018	
	(Omission of article 44, etc.)	
	By Shri Gopal Shetty	745
(xx)	Pineapple Board Bill, 2018	
-	By Adv. Joice George	745-746
(xxi)	Jackfruit Board Bill, 2018	
•	By Adv. Joice George	746
(xxii)	Farmers (Guaranteed Income and Welfare) Bill, 2018	
	By Adv. Joice George	747

(xxiii)	Pepper Growers (Welfare) Bill, 2018	
	By Adv. Joice George	747-748
(xxiv)	Industrial Employment and Environmental Protection Bill, 2018	
	By Shri Dharam Vira Gandhi	748-749
(xxv)	Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of section 171, etc.)	
	By Shri Dharam Vira Gandhi	749
(xxvi)	Abolition of Begging and Rehabilitation of Beggars Bill, 2018	
	By Shri Adhalrao Patil Shivajirao	750
(xxvii)	Women's (Reservation in Workplace) Bill, 2018	
	By Shri Adhalrao Patil Shivajirao	750-751
(xxviii)	Free and Compulsory Primary, Secondary, Higher and Technical Education Bill, 2018	
	By Shri Adhalrao Patil Shivajirao	751-752
(xxix)	Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2018	
	(Insertion of new section 207A)	
	By Shri Vinod Kumar Sonkar	752
(xxx)	Anganwadi Workers (Regularisation of Service and Welfare) Bill, 2018	
	By Shri N.K. Premachandran	753
	•	

(xxxi)	Mahatma Gandhi National Rural Employment	
	Guarantee (Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of section 3, etc.)	
	By Shri N.K. Premachandran	754
(xxxii)	ASHA Workers (Regularisation of Service and other	
	Benefits) Bill, 2018	
	By Shri N.K. Premachandran	754-755
(xxxiii)	Constitution (Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of article 142)	
	By Shri Bhartruhari Mahtab	755
(xxxiv)	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2018	
	(Substitution of new sections 35A and 35B)	
	By Shri Bhartruhari Mahtab	756
(xxxv)	Employment Agencies (Regulation) Bill, 2018	
	By Shri Rabindra Kumar Jena	757
(xxxvi)	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of section 160)	
	By Shri Rabindra Kumar Jena	758
(xxxvii)	Indecent Representation of Women (Prohibition)	
	Amendment Bill, 2018	
	(Insertion of new Chapter IIIA)	
	By Shri Rabindra Kumar Jena	758-759

(xxxviii)	Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of section 7, etc.)	
	By Shri Rabindra Kumar Jena	759
(xxxix)	Real Estate (Regulation and Development)	
	Amendment Bill, 2018	
	(Amendment of section 7, etc.)	
	By Dr. Kirit P. Solanki	760
(xl)	National Food Security (Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of section 2, etc.)	
	By Dr. Kirit P. Solanki	760
(xli)	Indian Easements (Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of section 7, etc.)	
	By Dr. Kirit P. Solanki	761
(xlii)	Right to Play Sports Bill, 2018	
	By Dr. Kirit P. Solanki	761
(xliii)	Prevention of Insults to National Honour (Amendment)	
	Bill, 2018	
	(Substitution of new section for section 3)	
	By Shri Parvesh Sahib Singh Verma	762
(xliv)	Compulsory Teaching of Knowledge Traditions and	
	Practices of India in Educational Institutions Bill, 2018	
	By Shri Parvesh Sahib Singh Verma	762-763

(xlv)	Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Amendment Bill, 2018	
	(Amendment of the Schedule)	
	By Shri Parvesh Sahib Singh Verma	763-764
(xlvi)	Official Government Meetings and Functions	
	(Prohibition on serving NonVegetarian Food) Bill, 2018	
	By Shri Parvesh Sahib Singh Verma	764
(xlvii)	Cantonments (Amendment) Bill, 2018	
	(Insertion of new Chapter IVA)	
	By Shri Chandrakant Khaire	765
(xlviii)	Uniform Civil Code in India Bill, 2018	
	By Shri Chandrakant Khaire	765-766
(xlix)	Change of Name of Aurangabad City of the State of	
	Maharashtra to Sambhaji Nagar Bill, 2018	
	By Shri Chandrakant Khaire	766
(I)	Distressed Widows and Single Women (Protection,	
	Rehabilitation and Welfare) Bill, 2017	
	By Shri Gajanan Kirtikar	767
(li)	Missing Children (Faster Tracking and Reuniting) Bill, 2017	
	By Shri Gajanan Kirtikar	768

(lii)	Ban on Cow Slaughter Bill, 2017	
	By Shri Gajanan Kirtikar	769
(liii)	Population Stabilization Bill, 2017	
	By Shri Gajanan Kirtikar	769-770
(liv)	Drafting of Law in Plain Language Bill, 2018	
	By Shri Rajeev Satav	770-771
(lv)	Women (Development and Welfare) Authority Bill, 2018	
	By Shri Rajeev Satav	771
(Ivi)	Agricultural Workers Welfare Fund Bill, 2018	
	By Shri Rajeev Satav	772
(Ivii)	Unemployment Allowance Bill, 2018	
	By Shri Rajeev Satav	772-773
(Iviii)	Constitution (Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of the Eighth Schedule)	
	By Shri Faggan Singh Kulaste	773
(lix)	Constitution (Scheduled Castes) and (Scheduled	
	Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of the Schedules)	
	By Shri Faggan Singh Kulaste	774

(lx)	Prevention of Violence Against Doctors, Medical	
	Professionals and Medical Institutions Bill, 2018	
	By Dr. Shrikant Eknath Shinde	775
(lxi)	Women (Empowerment and Welfare) Bill, 2018	
	By Shri Bhairon Prasad Mishra	776
(lxii)	Urban Areas (Equitable Development and Regulation) Bill, 2018	
	By Shri Bhairon Prasad Mishra	777-778
(lxiii)	National Agricultural Policy Commission Bill, 2018	
	By Shri Nihal Chand	780
(lxiv)	Water (Accessibility and Conservation) Bill, 2018	
	By Shri Anurag Singh Thakur	780-781
(lxv)	Population Control Bill, 2018	
	By Shri Vishnu Dayal Ram	782
(Ixvi)	Juvenile Justice (Care and Protection of Children)	
	(Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of section 56, etc.)	
	By Shri Bhanu Pratap Singh Verma	782-783
(Ixvii)	Companies (Amendment) Bill, 2018	
	(Amendment of section 135)	
	By Shri Bhairon Prasad Mishra	783

(Ixviii)	Contempt of Courts (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 2)			
	By Shri Bhairon Prasad Mishra	784		
(lxix)	High Court at Allahabad (Establishment of a			
	Permanent Bench at Mahoba) Bill, 2018			
	By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	785		
(lxx)	Constitution (Amendment) Bill, 2018			
	(Amendment of article 51A)			
	By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	785		
(lxxi)	Compulsory Teaching of Indian Spiritual and Human			
	Service Philosophy Education in Educational Institutions Bill, 2018			
	By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	786		
(lxxii)	Constitution (Amendment) Bill, 2018			
	(Amendment of article 309)			
	By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	786-787		
(lxxiii)	Suicide Prevention in Youth Bill, 2018			
	By Shri Anurag Singh Thakur	787		
(lxxiv)	Single-Use Plastic (Regulation) Bill, 2018			
	By Shri Anurag Singh Thakur	788		
(lxxv)	Population (Stabilization and Planning) Bill, 2018			
	By Shri Anurag Singh Thakur	788-789		

(lxxvi)	Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2018								
	(Insertion of new section 28A)								
	By Dr. Prabhas Kumar Singh	789							
(lxxvii)	National Sports Development Commission Bill, 2018 By Shri Nihal Chand	790							
(lxxviii)	Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018								
	(Insertion of new section 24A, etc.) By Dr. Prabhas Kumar Singh	791							
(lxxix)	Responsible Parenthood Bill, 2018								
	By Dr. Sanjeev Balyan	791-792							
(lxxx)	Ban on use of Microbeads in Cosmetic Products Bill, 2018								
	By Shri A.P. Jithender Reddy	792-793							
(lxxxi)	Declaring of Habitual Offenders Laws as void Bill, 2018								
	By Shri A.P. Jithender Reddy	793							
(lxxxii)	Plastic Packaging (Regulation) Bill, 2018								
	By Shrimati Meenakashi Lekhi	794							
(lxxxiii)	Constitution (Amendment) Bill, 2018								
	(Insertion of new article 31)								
	By Shri Om Prakash Yadav	795							

(lxxxiv)	Constitution (Amendment) Bill, 2018	
	(Insertion of new article 275A, etc.)	
	By Shri Om Prakash Yadav	795
(lxxxv)	Compulsory Military Training Bill, 2018	
	By Shri Om Prakash Yadav	796
(lxxxvi)	Non-Resident Indians (Voting Rights and Welfare) Bill, 2018	
	By Shri Om Prakash Yadav	796
(lxxxvii)	National Malnutrition Policy Commission Bill, 2018	
	By Shri Nihal Chand	797
(lxxxviii)	Protection of Human Rights Defenders Bill, 2018	
	By Shri A.P. Jithender Reddy	797
OBSERV	ATION BY THE DEPUTY SPEAKER	
	ghts of Transgender Persons Bill, 2014	798-804
SIXTH S	CHEDULE TO THE CONSTITUTION	
(AMEND	MENT) BILL, 2015	805-820
Sh	805-816	
Sh	ri Vincent H. Pala	817-820
	Bill – withdrawn	820

TELEVISION BROADCASTING COMPANIES					
(REGULATION) BILL, 2015					
Motion to Consider	822				
Shri Prahlad Singh Patel	822-841 864-865				
Shri Bhartruhari Mahtab	842-850				
Shri Bhairon Prasad Mishra	851-855				
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	856-857				
Col. Rajyavardhan Rathore (Retd.)	858-863				
Bill – withdrawn	865				
TOURISM PROMOTION CORPORATION OF INDIA BILL, 2015					
Motion to Consider	866				
Shri Nishikant Dubey	866				
ANNEXURE – I					
Member-wise Index to Starred Questions					
Member-wise Index to Unstarred Questions					
ANNEXURE – II					
Ministry-wise Index to Starred Questions					
Ministry-wise Index to Unstarred Questions					

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

ı	$\mathbf{\cap}$	K	S	ΔΕ	2 ⊦	łΔ	ח	F	R	Δ	TI	=9	
_	-~	11	-0	-\ι	.			_	ப	_			

LOK SABHA

Friday, December 28, 2018/ Pausha 7, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

... (Interruptions)

11 0 ½ hrs

At this stage, Shrimati V. Sathyabama, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri M. Murli Mohan, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 241, श्री कीर्ति आजाद।

...(<u>व्यवधान</u>)

11 01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 241, श्री कीर्ति आजाद।

(Q. 241)

श्री कीर्ति आजाद : अध्यक्ष महोदया, मैंने यह अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना जो पहले श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलायी जाती थी, उसमें बी.पी.एल. परिवार एवं असंगठित क्षेत्र से जो लोग आते हैं, ...(व्यवधान) वे जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उन्हें यह स्वास्थ्य सेवा लेने में बहुत कठिनाई होती है। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनको मैं साथ लेकर आया हूं।...(व्यवधान) मेरे पास बिहार सरकार के बी.पी.एल के कागज हैं, ...(व्यवधान) मेरे क्षेत्र से बी.पी.एल. के लोग यहां आए थे और उनको आयुष्मान योजना के अंतर्गत सुविधा नहीं मिली। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए मंत्री जी क्या-क्या कदम उठाएंगे? ...(व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, ...(व्यवधान) वह योजना आयुष्मान भारत में सबज्यूम कर दी गयी है और सबज्यूम करने के कारण जितने भी स्टेट्स में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी और जिन स्टेट्स ने आयुष्मान भारत को फॉलो किया है, उसमें वे सारी स्कीम सबज्यूम हो गयी हैं। ...(व्यवधान) हमने आर.एस.बी.वाई योजना से लर्निंग्स लेकर उनमें जो किमयां थीं, ...(व्यवधान) उनको ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत में इस स्कीम को पेपरलेस, कैशलेश और पोर्टेबल बनाया है। ...(व्यवधान) इसलिए अब लाभार्थी किसी भी स्टेट्स में, किसी भी बड़े इंस्टिट्यूट में जाकर अपना इलाज करवा सकता है और उसकी डायरेक्ट पेमेंट आयुष्मान भारत

की तरफ से उस स्टेट से उस इंस्टिट्यूट को हो जाएगी। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य जो कागज दिखा रहे थे, वह मुझे दे दें। मैं इसकी जांच करवा लूंगा। लेकिन, अभी तक हमारे पास यह पोर्टेबल और कैशलेश है। ...(व्यवधान) हमारे पास इस तरह की कोई कम्प्लेंट्स नहीं आयी हैं। ...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आजाद: अध्यक्ष महोदया, यह ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कागज हैं ...(व्यवधान) और बिहार सरकार के बी.पी.एल. के कागज हैं, जहां पर उनको यह सुविधा नहीं मिली है। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी को यह कागज अवश्य दे दूंगा। हमारे पास ऐसे अनेक कागज हैं, जिनको मैं माननीय मंत्री जी के पास पहुंचवा दूंगा। ...(व्यवधान) श्रम मंत्रालय की तरफ से जो राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना के कार्यक्रम चलते थे, उसके अंदर भ्रष्टाचार और घपले के बहुत सारे केसेज आए थे।...(व्यवधान) ऐसे ही अनेक केस निजी अस्पतालों में आज भी सुनने को मिल रहे हैं, जहां पर लोगों की शल्य चिकित्सा कर दी जाती है, वह गरीब आदमी जो अंजान है, जिसको जानकारी नहीं है, उनसे पैसे ऐंठ लिये जाते हैं। क्या आयुष्मान योजना के अंतर्गत सेकेंड ओपिनियन लेने का कोई प्रावधान होगा जिससे गरीब आदमियों को लूटा न जा सके, भ्रष्टाचार न हो एवं घपले न हों।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, 'आयुष्मान भारत' का उद्देश्य है - सोसाइटी के गरीब और मार्जिनल सेक्शन्स, जो डिप्राइट्ड हैं, उनको वह फेसिलिटी मिले। 'आयुष्मान भारत' के तहत डिजिटल चेक्स एंड बैलेंसेज बहुत डेवलप किए गए हैं। ...(व्यवधान) उन चेक्स एंड बैलेंसेज के द्वारा किस हॉस्पिटल में कौन सा ऑपरेशन अधिक हो रहा है, कौन से पेशेन्ट्स अधिक आ रहे हैं, क्या वह जायज है या नाजायज है, इसकी भी हम स्क्रूटनी करते रहते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए ऐसा कहना कि वे पैसे ऐंउ लेंगे, यह संभव नहीं है। ...(व्यवधान) हमारी यह कोशिश है और जहां तक डबल ओपिनियन का सवाल है, हमने इसके लिए सेट प्रोसीजर्स बनाए हैं कि किस तरीके से पेशेन्ट को हम प्रोसीजर की तरफ ले जाएंगे। ...(व्यवधान)

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल : मैडम, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी का अभिनंदन करना चाहती हुं कि उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी 'आयुष्मान भारत' को लाँच किया। ...(व्यवधान) इससे हमारे देश के दस करोड़ परिवारों, लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। ...(व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में योग दिवस, आयुर्वेद दिवस और नेचुरोपैथी डे जैसे दिन मनाकर, हमारी भारत की संस्कृति, हमारी प्राचीन विरासत और हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को पूरे विश्व के समक्ष उजागर किया है। ...(व्यवधान) अब पूरा विश्व योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को अपना रहा है।...(व्यवधान) अब लोग इससे न केवल तन-मन की स्वरंथता, बल्कि आत्मा की स्वरूथता भी पा रहे हैं। ...(व्यवधान) जो हमारी प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना है, उनमें 1795 डिजीजेज की सूची है, उनमें से कई डिजीज ऐसी हैं, जिनकी चिकित्सा योग और आयुर्वेद में अच्छी तरह से हो रही है। हमारे देशवासी भी अब आयुर्वेद अपनाने लगे हैं।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हम हॉस्पिटल्स के साथ टाई-अप कर रहे है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ट्रस्ट्स के हॉस्पिटल्स। ...(व्यवधान) क्या उसमें हम आयुर्वेद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आयुर्वेद के ट्रस्ट्स के हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी टाई-अप कर रहे हैं, जिससे हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का लाभ सभी देशवासियों को मिल सके और वे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से ट्रीटमेंट करा सकें? ...(व्यवधान) मैं यह जानना चाहती हं। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है – पीएमजेएवाई, जिसमें हम क्योरेटिव केयर देते हैं और जानलेवा बीमारियों, जिनसे जान चली जाए, के मामलों में हम 1350 प्लस इंटरवेंशन्स करते हैं। जहां तक आयुर्वेद का सवाल है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो 'आयुष्मान भारत' का दूसरा पिलर है, उसमें हमने योग, आरोग्य और इस दृष्टि से उसके वेलनेस के लिए प्रावधान रखा है, जिसमें हम उनका सदुपयोग करते हैं और वह हम आगे भी करेंगे।...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, in his reply the hon. Minister has stated that the Central Government provides all financial and technical support to the States and Union Territories. ...(Interruptions)

In my Supplementary, I would like to know from the hon. Minister that under this scheme, what is the percentage of the Central Government's share of financial assistance to the State Governments and what is the technical support being extended to the State Governments and the Union Territories? How many hospitals have got these benefits in the entire country?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, as far as the technical support and the financial support are concerned, we provide support under National Health Mission. It is to the tune of 60:40; and at the same time, for Himalayan States and for the North-Eastern States, the ratio is 90:10.

We give support for Maternal, Neonatal Child healthcare; we give support for tuberculosis eradication, for elimination of malaria, dengue and other diseases. We also give support for strengthening of the health system. Along with it, free drugs and diagnostic facilities are also given. So, we are taking care of communicable diseases; and other diseases also.

As I have already said, we are strengthening the health systems under the NHM, which we are trying to give to them. These facilities are provided to them.

As far as Neonatal Child Healthcare and Mother and Child Healthcare are concerned, a host of facilities are being provided. They are being provided right

from the stage of conception to delivery and after delivery during the immunisation process, and also for the communicable diseases. There is Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK) also. So, there are many schemes....(*Interruptions*) Pradhan Mantri National Dialysis Yojana is also there for people with renal failure.(*Interruptions*) So, there is a series of technical and financial support given to them. It is given on 60:40 basis and for Himalayan States and North Eastern States the ratio is 90:10.(*Interruptions*)

श्री मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदया, मोदी केयर योजना की घोषणा स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर हुई थी और मंत्री जी कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।...(व्यवधान) क्या मंत्री जी राज्यवार ब्यौरा दे सकते हैं कि कितने लोगों को फायदा मिला और कितना एमाउंट रिलीज हुआ? क्या यह सच है कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइडर कम्पनियों को पांच प्रतिशत फायदा होता है, लेकिन हमारे देश में इन्हें 17 प्रतिशत फायदा होता है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह योजना मरीजों के लिए है या बीमा कम्पनियों के लिए है? ...(व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य यह प्रश्न अलग से करें और यदि वे इस विषय पर डिस्कशन मांगे, तो मैं अच्छी तरह से उत्तर दे दूंगा। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत योजना को शुरू हुए सौ दिन हुए हैं।...(व्यवधान) About six lakh patients/beneficiaries have taken the benefit. ...(Interruptions) About Rs.700 crore bill has been raised and we are giving them. ...(Interruptions)

डॉ. किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की विशेष टीम मेरे क्षेत्र में भेजी थी। वहां से जो पांच सूचनाएं आई हैं, उनके संदर्भ में मंत्री जी क्या यहां बताएंगे कि क्या निर्णय लिया गया? पहली सूचना थी कि मेट्रो सिटी के

लिए विशेष पैकेज दिया जाए। दूसरी सूचना थी कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले आयुष्मान भारत योजना में पांच लाख रुपये तक बेनिफिट दिया जाए। तीसरी सूचना थी कि अस्पतालों की एम्पैनलमेंट बढ़ाई जाए और चौथी सूचना थी कि जो बिग प्राइवेट अस्पताल हैं, उनका भी इसमें समावेश किया जाए।...(व्यवधान)

महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस संबंध में पॉजिटिव विचार करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, हम हैल्थ स्कीम स्टेबलाइज कर रहे हैं और suggestions are always invited. It is an ongoing scheme....(Interruptions) हम पाजिटिव डायरेक्शन सोचकर ही आगे बढ़ रहे हैं, तािक marginal section of the society, the deprived class should get first-class benefit and a class treatment care for the patients....(Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, I would like to understand from the Minister one thing. I would like to know whether the assurance that has been given about Rs. 5 lakh per year for a family any specific programme is being contemplated by the Government to provide at least Rs. 7 lakh per woman patient of a family as Odisha Government has done....(Interruptions) That will help the larger section of our society who are deprived of health care to a very great extent....(Interruptions)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, we have got a scheme of Rs. 5 lakh per family per year....(*Interruptions*) But, as far as the woman child care is concerned, NHM is providing to the States a host of facilities for their treatment and that will be taken care....(*Interruptions*)

(Q. 242)

SHRI ANANDRAO ADSUL: Madam, the institutions that are meant to protect and house children in a safe environment have completely failed to do so....(Interruptions) The incidents of rampant physical and sexual abuse of minors in Child Care Institutions (CCIs) and shelter homes reveal as to how the State as well as the civil society have failed in their role as protectors and watchdogs....(Interruptions) I would like to know from the hon. Minister as to what action is taken or is proposed to be taken by the Government to ensure safety and well-being of children even in school hostels....(Interruptions)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, as per the provisions of the JJ Act, any vulnerable child is treated as a child who is in need of care and protection. The Supreme Court of India has also stated this. ...(Interruptions) The definition of children in need of care and protection is illustrative and not exhaustive. So, even in schools, they would be in need of care and protection but when we talk about school hostels, it comes under the CCI, that is, Child Care Institution. If we separate hostels from CCIs, we get into terrible trouble because we have an exhaustive list of things that have to be done for CCI children. ...(Interruptions) Now, for hostels, it comes under the HRD Ministry. So, when they have a meeting, they will have to decide about this. At the moment, we are treating hostels as CCIs and we do not have any specific difference.

...(Interruptions) The point is every child in every institution, (child hostel or CCI) is vulnerable and the reason why it is vulnerable is because its life depends on how it is treated by the staff and by the caretakers.

Now, how do we analyse the background of each staff and each caretaker? It is not just of school hostels but also of all CCIs. ...(Interruptions) The first thing that we have done as a Government is that for the first time in 70 years, we have made everyone to register. As a result, we have 8,244 institutions registered for the first time. So, now we have a list of all those who we have to go for. ...(Interruptions) Out of this, those that have proved to be bad are non-registered of which we have shut down 539 so far, the most of which are in Maharashtra.

Now, the point is that we need feet on the ground. Whether we make rules for child hostels or make rules for CCIs, who will implement the rules? ...(Interruptions) I have written again and again to every Member of Parliament that if they consider themselves the head of their constituency, then they should be going to each one of these institutions. We have given a list to everyone. ...(Interruptions) They should go to the institutions, do spot-checks and find out what is going wrong. I can sit here and do an after-check.

I will give you an example. In Muzaffarnagar, we warned the State Government six months before that something was going wrong in this CCI. ...(Interruptions) They did nothing. We asked the State NCPCR to go and check. They checked and they also wrote a report that यह बहुत ही खराब है। छह महीने के लिए

कुछ नहीं हुआ Neither the MP checked nor the MLAs checked, and ultimately, it turned out to be such a terrible suffering to the children. ...(Interruptions) So, what we really need is to keep our feet on the ground locally, to believe that the DM or the DC will check. They do not check. We need feet locally to believe that the officers will check, they do not check. If you want hostels and CCIs, which are the same thing for us, to be working really on the ground, you will have to check yourself. ...(Interruptions) I would suggest that every Member of Parliament should have a meeting with the MLAs of every Party about these institutions in their area and please give us the report every month.

SHRI ANANDRAO ADSUL: Madam, in regard to my first supplementary, I would request the hon. Minister that if the responsibility goes to the HRD Department regarding the hostel students, then the coordination between your Department and their Department is very much essential. ...(Interruptions)

I would like to ask my second supplementary. Under the law, each child is supposed to have an individual care plan. There is no estimate of how many children placed in such institutions even go to school. There is no accountability and no urgency when we deal with child rights. The problem is that when it comes to children in institutions, we do not apply the same standards of care that we apply to our own children.

I would like to know this from the hon. Minister. What action has been taken

or proposed to be taken to provide minimum standards of care to the children?

...(Interruptions)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Firstly, we do coordinate with the HRD

Ministry because we have children in infirmary. ...(Interruptions) This Ministry, for

the first time, has treated each child as precious and has instituted inspections of

almost every registered institution. ...(Interruptions) Otherwise, we would not have

been able to find 500 plus institutions being deregistered. ...(Interruptions) We

have got records on every shelter home and how they work. I have an outreach

programme and a helpline. It deals with children in institutions. ...(Interruptions) It

is called 'childline'. But at the end of the day when you say that we do not treat

children as our own, may I ask the hon. Member a question? He has children.

Has he been to the Child Care Institution in his area? And, if he has not, then how

can he say that other people do not? ...(Interruptions) The whole thing is that if

you have been to the Child Care Institution and you treat those children in your

constituency like you treat your children, then every Member of Parliament will do

it. ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o' clock.

<u>11 21 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12 00 hrs

The Lok Sabha reassembled at 12 O'clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): मैडम, मैं बिहार में बढ़ रहे अपराधों पर बोलना चाहता हूं।...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Rajesh ji, you can raise your matter after Papers are laid on the Table.

... (Interruptions)

12 0 ½ hrs

At this stage, Shrimati V. Sathyabama and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमित प्रदान नहीं दी है।

...(व्यवधान)

12 01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10168/16/18]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bengaluru, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bengaluru, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10169/16/18]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2016-2017.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 10170/16/18]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10171/16/18]

(6) A copy of the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.844(E) published in Gazette of India dated 6th September, 2018 under Section 38A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.1141(E) dated 28th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10172/16/18]

(7) A copy of the Notification No. S.O.5799(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 19th November, 2018 making certain amendments in the Notification No. S.O.814(E) dated 23rd March, 2015 under sub-section (3) of Section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

[Placed in Library, See No. LT 10173/16/18]

- (8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 30 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016:-
- (i) The Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.766(E) in Gazette of India dated 10th August, 2018.
- (ii) The Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1133(E) in Gazette of India dated 20th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10174/16/18]

(9) A copy of Notification No. S.O.5120(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 3rd October, 2018, regarding amendment of the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority issued under Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 10175/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Social and Economic Change, Bengaluru, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Social and Economic Change, Bengaluru, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10176/16/18]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10177/16/18]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10178/16/18]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10179/16/18]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

28.12.2018

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10180/16/18]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development Economics (Delhi School of EconomicsUniversity of Delhi), Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10181/16/18]

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LADNRO/GN//2018/29 in Gazette of India dated 13th August, 2018.
- (ii) The Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. S.O.4825(E) in Gazette of India dated 13th September, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10182/16/18]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Promotion Act, 1873:-

- (i) The Kisan Vikas Patra (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.955(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.
- (ii) G.S.R.956(E) published in Gazette of India dated 3rd October, 2018, notifying the subscriptions made to the Public Provident Fund on or after the 1st day of October, 2018 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.0 per cent per annum.
- (iii) The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.957(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.
- (iv) The National Savings Time Deposit (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.958(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.
- (v) The National Savings Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.959(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.
- (vi) The National Savings (Monthly Income Account) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.960(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.
- (vii) The Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.962(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.

(viii) The Government Savings Promotion General Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1003(E) in Gazette of India dated 8th October, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10183/16/18]

(9) A copy of the Senior Citizens' Welfare Fund (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1091(E) in Gazette of India 6th November, 2018 issued under Section 128 of the Finance Act, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 10184/16/18]

(10) A copy of the Notification No. G.S.R.961(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 3rd October, 2018, notifying that the subscriptions made to the fund on or after the 1st day of October, 2018 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.5 per cent per annum issued under sub-rule (1) of Rule 7 of the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 10185/16/18]

- (11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-
 - (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.823(E) in Gazette of India dated 30th August, 2018.

(ii) The Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.827(E) in Gazette of India dated 31st August, 2018.

(iii) The Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment)
Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.1093(E) in
Gazette of India dated 9th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10186/16/18]

12 02 hrs

At this stage, Shri Rajesh Ranjan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष: राजेश जी, मैंने बोला है कि मैं यह मामला बाद में उठाने दूंगी। अभी आप अपनी सीट पर चले जाइए। इस समय पेपर लेड हो रहा है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री शिव प्रताप शुक्ला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) आयकर अधिनियम, एक प्रति-के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक 296 की धारा 1961 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
- (एक) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2018, जो 19 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1128(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2018, जो 30 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4213(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2018, जो 23 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1054(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) आयकर (विवाद समाधान तालिका) (पहला संशोधन) नियम, 2018, जो 23 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1055(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2018, जो 25 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1068(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2018, जो 9 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5149(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 5608(अ), जो 1 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पीएमएलए की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकार का अधिनिर्णयन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उल्लिखित अपीलीय अधिकरण, न्यायनिर्णयन प्राधिकार अपीलीय अधिकार के कृत्यों का निर्वहन करेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (आठ) बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2018, जो 31 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5602(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) का.आ. 5323(अ), जो 16 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदिभहित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) का.आ. 5575(अ), जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के द्वारा प्रदत्त अधिकारिता शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए नई दिल्ली में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) का.आ. 5323(अ), जो 16 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केन्द्रीय सरकार के विनिर्देशन के बारे में है कि बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की नई दिल्ली खंडपीठ, उस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर अधिकारिता का प्रयोग करेगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 5677(अ), जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नई दिल्ली में अपीलीय अधिकरण की स्थापना किए जाने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10187/16/18]

- (2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति-(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
- (एक) बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2018, जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 785(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) बीमा लोकपाल नियम, 2017, जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10188/16/18]

(3) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 2018, जो 19 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1129(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10189/16/18]

(4) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति-(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (एक) सा.नि.का. 742(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाता, जिन्हे अनंतिम पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं लेकिन जो प्रवास प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाये हैं, को प्रवास प्रक्रिया पूरी करने के लिए विशेख प्रक्रिया विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.नि.का. 743(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.09.2019 तक सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (4) के अंतर्गत कर के संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (तीन) सा.नि.का. 759(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (चार) सा.नि.का. 760(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 तिमाही रूप से प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.नि.का. 761(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.नि.का. 792(अ) जो 21 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) सा.नि.का. 801(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 और अगस्त, 2018 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.नि.का. 802(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 और अगस्त, 2018 के लिए कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (नौ) सा.नि.का. 803(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक की तिमाही का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 831(अ) प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.नि.का. 832(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.नि.का. 833(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-3ख, जीएसटीआर-4 और प्रपत्र जीएसटीआर-6 में करदाताओं के विशिष्ट वर्गों को विलंब शुल्क चुकाने से माफी देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तेरह) सा.नि.का. 834(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-01 में करदाताओं के विशिष्ट वर्गों के लिए घोषणा करने की को समय-सीमा को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा.नि.का. 854(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटीआर-1 आईटीसी-01 में करदाताओं जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए तक था, को छूट देने की देय तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पन्द्रह) सा.नि.का. 855(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय करदाताओं के लिए जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपए तक है, को देय तिथि को प्रपत्र जीएसटीआर-1 दाखिल करने की देय तिथि विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा.नि.का. 856(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नए माइग्रेटेड (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं. 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख दाखिल करने की तिथि का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.नि.का. 857(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नए माइग्रेटेड (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं. 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख दाखिल करने की देय तिथि का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (अठारह) सा.नि.का. 858(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हाल मे प्रवास किए (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं. 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने के लिए नियत तारीख का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2018 जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 859(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2018 जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 867(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सा.नि.का. 868(अ) जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम (टीडीएस से संबंधित उपबंध) की धारा 51 को 01.10.2018 से प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा.नि.का. 869(अ) जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम (टीसीएस से संबंधित उपबंध) की धारा 52 को 01.10.2018 से प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तेईस) सा.नि.का. 900(अ) जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य आपरेटर द्वारा राज्यों के बीच करादेय आपूर्तियों के लिए संगृहीत किए जाने वाले स्रोत पर कर संग्रहण की दर को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 9 अत्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1007(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 9 अत्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1011(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) सा.नि.का. 1050(अ) जो 22 अत्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी करदाताओं के लिए सितम्बर, 2018 के माह में प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की अंतिम तारीख को 25.10.2018 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्ताईस) सा.नि.का. 1056(अ) जो 23 अत्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 32/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड्ठाईस) सा.नि.का. 1057(अ) जो 23 अत्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पोस्ट ऑडिट प्राधिकरणों को टीडीएस के अनुपालन से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (उनतीस) सा.नि.का. 1070(अ) जो 26 अत्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय करदाताओं, जिनका रिजस्ट्रेशन 30 सितम्बर, 2018 को या उससे पूर्व रद्द किया गया है, को प्रपत्र जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न फाइल करने के लिए 31 दिसम्बर, 2018 तक का समय दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीस) सा.नि.का. 1071(अ) जो 26 अत्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 की अवधि के लिए प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकत्तीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 30 अत्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1075(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बत्तीस) सा.नि.का. 1084(अ) जो 5 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तक आपूर्ति को टीडीएस से संबंधित उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.नि.का. 1146(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले और तमिलनाडु के 11 जिलों में करदाताओं के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चौंतीस) सा.नि.का. 1147(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले और तिमलनाडु के 11 जिलों में करदाताओं के लिए 1.5 करोड़ रूपए से अधिक कुल आवर्त के करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-1 को फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पैंतीस) सा.नि.का. 1148(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में करदाताओं के लिए, माह जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक की तिमाही के लिए, कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए तक के कुल आवर्त के करदाताओं हेतु प्ररूप जीएसटीआर-1 फाइल करने की नियत तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (छत्तीस) सा.नि.का. 1149(अ) जो 29 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में करदाताओं के लिए जुलाई से सितंबर, 2018 तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में ब्यौरे भरने के लिए समयाविध बढाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा.नि.का. 1150(अ) जो 29 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अत्तूबर, 2018 से दिसंबर, 2018 के महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-7 में में ब्यौरे भरने के लिए समयाविध बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10190/16/18]

(5) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-.

(एक) सा.नि.का. 744(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(4) के अंतर्गत 30.09.2019 तक कर संदाय से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.नि.का. 901(अ) जो 20 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अंतर्राज्यीय करादेय आपूर्तियों के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा कर संग्रहण की दर अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.नि.का. 1052(अ) जो 22 अत्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 14.09.2017 की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

[Placed in Library, See No. LT 10191/16/18]

(6) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.नि.का. 745(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(4) के अंतर्गत 30.09.2019 तक कर संदाय से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10192/16/18]

(7) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1116(अ) जो 15 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिनियमों को अधिसूचित करना है, जिनके अंतर्गत माल और सेवा कर में विनिर्दिष्ट कर सम्मिलित किए जा रहे हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10193/16/18]

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1180 (अ) जो 6 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा भारत में उत्पादित तथा निर्यातित माल पर वापसी की सभी औद्योगिक दरों को अधिसूचित किया गया है तथा ये दरें निर्यातित माल के विनिर्माण में आदानों के रूप में प्रयुद्धत, क्रमशः किसी आयातित सामग्रियों या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों पर प्रभारित, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रिबेट की संगणना के लिए औसत दरें हैं और यह अधिसूचना 19.12.2018 से प्रभावी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

[Placed in Library, See No. LT 10194/16/18]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत भारत गणराज्य तथा सिंगापुर गणराज्य के बीच हुए व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अधीन माल के उद्गम का सीमा शुल्क अवधारण (संशोधन) नियम, 2018 जो 14 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 881(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10195/16/18]

(10) सा.नि.का. 1203(अ) जो 13 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कराई गई जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "जियोलाइट 4ए (डिटर्जेन्ट ग्रेड)", के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को अधिरोपित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10196/16/18]

- (11) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
 - (एक) सा.नि.का. 1212(अ) जो 15 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. (एन.टी.) में कितपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) सा.नि.का. 1214(अ) जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017-सी.शु. (एन.टी.) में कितपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (तीन) सा.नि.का. 3442(अ) जो 13 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 63/2018-सी.शु.(एनटी.) 19 जुलाई, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पांच) का.आ. 3762(अ) जो 31 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कितपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) अधिसूचना संख्या 67/2018-सी.शु.(एनटी.) 2 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (सात) का.आ. 3976(अ) जो 14 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) अधिसूचना संख्या 72/2018-सी.शु.(एनटी.) 14 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना संख्या 74/2018-सी.शु.(एनटी.) 16 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) का.आ. 4236(अ) जो 31 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) अधिसूचना संख्या 77/2018-सी.शु.(एनटी.) 6 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) का.आ. 4869(अ) जो 14 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) अधिसूचना संख्या 80/2018-सी.शु.(एनटी.) 19 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(चौदह) अधिसूचना संख्या 81/2018-सी.शु.(एनटी.) 20 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है. तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पंद्रह) अधिसूचना संख्या 83/2018-सी.शु.(एनटी.) 28 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) का.आ. 5014(अ) जो 28 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) अधिसूचना संख्या 85/2018-सी.शु.(एनटी.) 4 अत्तूबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) का.आ. 5312(अ) जो 15 अत्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) अधिसूचना संख्या 87/2018-सी.शु.(एनटी.) 18 अत्तूबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बीस) का.आ. 5601(अ) जो 31 अत्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) अधिसूचना संख्या 90/2018-सी.शु.(एनटी.) 1 नवंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (बाईस) का.आ. 5743(अ) जो 15 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कितपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (तेईस) अधिसूचना संख्या 93/2018-सी.शु.(एनटी.) 15 नवंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) का.आ. 5880(अ) जो 30 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कितपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) अधिसूचना संख्या 96/2018-सी.शु.(एनटी.) 6 दिसंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.नि.का. 1176(अ) जो 6 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. (एन.टी.) में कितपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10197/16/18]

- (12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
 - (एक) सा.नि.का. 1177(अ) जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) को निर्देश को हटाये जाने का उपबंध किया गया है क्योंकि जीएसटी के पश्चात् ये अधिनियम अस्तित्व में नहीं हैं; छूट और अन्य तकनीकी संशोधनों के रूप में प्राप्त किए गए उत्पाद शुल्क के संदाय पर, 30.06.2017 से पूर्व उत्पाद शुल्क के संदाय के बिना उपाप्त किए गए माल की निकासी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

28.12.2018 61

सा.नि.का. 1178(अ) जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे (दो) तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शूल्क नियम, 2017 के सूसंगत नियमों के अंतर्गत जीएसटीआईएन, विद्यमान एफटीपी उपबंधों तथा 31.03.2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क आदि को निर्देश के साथ एक संशोधित बी-17 (सामान्य प्रतिभूतिसुरक्षा/) बंधपत्र अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [Placed in Library, See No. LT 10198/16/18]

रवारथ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) रीजनल इंस्टीटय़ूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - रीजनल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 10199/16/18]
 - मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक (2) (एक) प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की (दो) सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10200/16/18]

(3) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

 [Placed in Library, See No. LT 10201/16/18]
- (4) (एक) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10202/16/18]

- (5) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) रीजनल इंस्टीटय़ूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10203/16/18]

(6) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10204/16/18]

- (7) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10205/16/18]

- (8) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10206/16/18]

(9) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तेरहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएसअधिसूचना/एमएंडएमपी/(02)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/(03) /अधिसूचना(सीएफओआईएंडवाईसी)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) बारहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएसअधिसूचना/ओएंडएफ/(७)/एफएसएसएआई-201७ में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-94/एफएसएसएआईएसपी/(दावे और विज्ञापन)/2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पंद्रहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 27 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति(अधि.) /2010-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10207/16/18]

(10) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक -एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (एक) दि कंटीन्यूइंग डेंटल एजूकेशन रेग्यूलेशन्स 2018 जो 18 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संडीई.-226-2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स (दूसरा संशोधन) रेग्यूलेशन्स 2018 जो 18 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संडीई.-87(2)-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) दि "डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग टेस्ट (दूसरा संशोधन) रेग्यूलेशन्स 2018 जो 19 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संडीई.-147/प्रकीर्ण-1/2018 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10208/16/18]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10209/16/18]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10210/16/18]

- (3) (एक) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10211/16/18]

- (4) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10212/16/18]

- (5) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
 - (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10213/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) for the year 2017-2018 alongwith Audited Accounts in respect of the following centres:-

(1) Population Research Centre (JSS Institute of Economic Research), Dharwad.

[Placed in Library, See No. LT 10214/16/18]

(2) Population Research Centre (Department of Statistics, Patna University), Patna.

[Placed in Library, See No. LT 10215/16/18]

(3) Population Research Centre (Department of General and Applied Geography, Dr. Harisingh Gour University), Sagar.

[Placed in Library, See No. LT 10216/16/18]

(4) Population Research Centre (Andhra University), Visakhapatnam.

[Placed in Library, See No. LT 10217/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

(i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Company Secretaries of India for the year ending 31st March, 2018 published in Notification No. F. No. 104/38/Accts.-1INTRODUCTION in Gazette of India dated 27th September, 2018.

(ii) G.S.R.1001(E) published in Gazette of India dated 8th October, 2018, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.490(E) dated 13th July, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 10218/16/18]

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959:-
 - (i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Cost Accountants of India for the year ending 31st March, 2018 published in Notification No. G/18-CWA/9/2018 in Gazette of India dated 8th October, 2018.
 - (ii) G.S.R.5808(E) published in Gazette of India dated 20th November,
 2018, making certain amendments in the Notification No.
 G.S.R.1693(E) dated 3rd October, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 10219/16/18]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

- (i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Chartered Accountant of India for the year ending 31st March, 2018 published in Notification No. 1-CA(5)/69/2018 in Gazette of India dated 28th September, 2018 together with a corrigendum thereto published in the Notification No. 1-CA(5)/69A/2018 dated 26th October, 2018.
- (ii) The Chartered Accountants (Election to the Council) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.796(E) in Gazette of India dated 23rd August, 2018.
- (iii) The Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and other Misconduct and Conduct of Cases) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1072(E) in Gazette of India dated 29th October, 2018.
- (iv) G.S.R.1155(E) published in Gazette of India dated 30th November,
 2018, making certain amendments in the Notification No.
 G.S.R.38(E) dated 19th January, 2011.

[Placed in Library, See No. LT 10220/16/18]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code Act, 2016:-

(i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG032 in Gazette of India dated 5th October, 2018.

- (ii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG033 in Gazette of India dated 11th October, 2018.
- (iii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG034 in Gazette of India dated 11th October, 2018.
- (iv) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG035 in Gazette of India dated 11th October, 2018.
- (v) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2018

published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG036 in Gazette of India dated 11th October, 2018.

- (vi) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG037 in Gazette of India dated 22nd October, 2018.
- (vii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Mechanism for Issuing Regulations) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG038 in Gazette of India dated 22nd October, 2018.
- (viii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1083(E) in Gazette of India dated 5th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10221/16/18]

(5) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and Administration of the Companies Act, 2013 for the year ended 31st March, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10222/16/18]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Incorporation) Third Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.708(E) in Gazette of India dated 27th July, 2018.
- (ii) The Companies (Accounts) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.725(E) in Gazette of India dated 31st July, 2018.
- (iii) The Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.752(E) in Gazette of India dated 7th August, 2018.
- (iv) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.798(E) in Gazette of India dated 23rd August, 2018.
- (v) The Companies (Registration Offices and Fees) Fourth Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.797(E) in Gazette of India dated 23rd August, 2018.
- (vi) The Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Third Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.853(E) in Gazette of India dated 10th September, 2018.

(vii) The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.875(E) in Gazette of India dated 13th September, 2018.

- (viii) The Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.903(E) in Gazette of India dated 20th September, 2018.
- (ix) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Sixth Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.904(E) in Gazette of India dated 20th September, 2018.
- (x) The Companies (Registration Offices and Fees) Fifth Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.905(E) in Gazette of India dated 20th September, 2018.
- (xi) The Companies (Registered Valuers and Valuation) Third Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.925(E) in Gazette of India dated 26th September, 2018.
- (xii) The Companies (Registered Valuers and Valuation) Fourth
 Amendment Rules, 2018 published in Notification No.

 G.S.R.1108(E) in Gazette of India dated 13th November, 2018.
- (xiii) The National Financial Reporting Authority Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1111(E) in Gazette of India dated 14th November, 2018.

(xiv) The Companies (Cost records and Audit) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1157(E) in Gazette of India dated 3rd December, 2018.

(7) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) to (iii) of (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 10223/16/18]

(8) A copy of the Draft Notification No. F. No. 07/19/2012-CL.V (Pt.V) (Hindi and English versions) regarding granting/substituting exemptions to Government Company in three sections of the Companies Act, 2013 i.e. clause (45) of section 2, clause (a) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act, 2013 read with Notification No. 463(E) dated 05.06.2015 issued to Government Companies under sub-section (2) of Section 462 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 10224/16/18]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 467 of the Companies Act, 2013:-

- (i) S.O.4822(E) published in Gazette of India dated 13th September, 2018 regarding amendment to Schedule V of the Companies Act, 2013.
- (ii) G.S.R.1022(E) published in Gazette of India dated 11th October, 2018 regarding amendment to Schedule III of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 10225/16/18]

12 02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Friday, the 3rd August, 2018, adopted the following motion in regard to the Joint Committee on Offices of Profit (JCOP):-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do elect three Members of the Rajya Saba to the Joint Committee on Officers of Profit in the vacancies caused by the disqualification of Shri Sharad Yadav from the membership of Rajya Sabha w.e.f. 04.12.2017, and the retirement of Shri Naresh Agrawal and Shri C.P. Narayanan from the membership of the house on 02.04.2018 and 0107.2018 respectively, and resolves that the House do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, three Members from amongst the Members of the House to the said Joint Committee, to fill the vacancies."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, Shri Anand Sharma, Shri Javed Ali Khan and Shri Bashistha Narain Singh, Members, Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee.'

12 02 ½ hrs

AMENDMENT TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER, LOK SABHA UNDER RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table a copy of the amendment to Direction 10B (Hindi and English versions) issued by the hon. Speaker regarding limit of number of questions under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

12 03 hrs

COMMITTEE OF PRIVILEGES 10th Report

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): I beg to lay on the Table the Tenth Report (Hindi and English versions) of the Committee of Privileges.

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ? बाद में अभी पहले पेपर ले कर लूं, वह तो कमेटी की रिपोर्ट है। ...(व्यवधान)

12 04 hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 34th to 37th Reports

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Madam, I beg to present the Thirty-fourth (Original Report), Thirty-fifth, Thirty-sixth and Thirty-seventh (Action Taken Reports) (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2018-2019).

12 04 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS Statement

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam Speaker, I beg to lay on the table the Statement (Hindi and English versions) showing Further Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Nineteenth Report on the Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Sixteenth Report on the subject 'Indo-Pak Relations'.

12 05 hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR 45th Report

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदया, मैं 'अनुसूचित/गैर-अनुसूचित/टेस्ट फ्लाईंग एअर ऑपरेटर्स/अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) कंपनियां/विमानपत्तन/विमानपत्तन प्रचालक – विशेष रूप से वायुयान की उड़ान से जुड़े उनके कर्मकारों/कर्मचारियों के संदर्भ में सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपाय' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 45वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12 05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY

291st to 294th Reports

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों
 (2018-19) के बारे में समिति के 287वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही
 संबंधी 291वां प्रतिवेदन।
- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 286वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 292वां प्रतिवेदन।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 293वां प्रतिवेदन।
- 4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018 के बारे में 294वां प्रतिवेदन।

12 06 hrs

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 111th to 114th Reports

DR. K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Hon. Speaker, Madam, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare:

- (1) 111th Report on the Functioning of new AIIMS (Phase-1) under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY).
- (2) 112th Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the One hundred Sixth Report of the Committee on Demands for Grants (2018-19) of the Department of Health and Family Welfare.
- (3) 113th Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the One hundred Seventh Report of the Committee on Demands for Grants (2018-19) of the Department of Health Research.
- (4) 114th Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the One hundred Eighth Report of the Committee on Demands for Grants (2018-19) of the Ministry of AYUSH.

12 06 ½ hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 571 DATED 20.07.2018 REGARDING FAKE CURRENCY ALONGWITH REASONS FOR DELAY*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, with your permission, I rise to lay a statement regarding (i) correcting the reply given on 20.07.2018 to Unstarred Question No.571(Hindi and English versions) by Dr. C. Gopalakrishnan and Shri Vishnu Dayal Ram, MPs regarding 'Fake Currency' and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

⁻

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10226/16/18

AUTHENTICATED

(SHRI PON. RADHAKRISHNAN) MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

STATEMENT BY SHRI PON. RADHAKRISHNAN, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE, CORRECTING THE ANSWER GIVEN ON 20.07.2018 IN THE LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 571 DATED 20.07.2018 ASKED BY DR. C. GOPALAKRISHNAN AND SHRI VISHNU DAYAL RAM REGARDING "FAKE CURRENCY"

In the reply to the Lok Sabha Unstarred Question No. 571 replied on 20.07.2018 regarding 'Fake Currency' raised by Dr. C. Gopalakrishnan and Shri Vishnu Dayal Ram, the total number of incidents/cases of detection of Fake Indian Currency Notes reported along with the number of such currencies seized in various parts of the country after demonetization may be read as:

Total number of 427858 Fake Indian Currency Notes amounting Rs. 29,47,42,784 have been seized by Police from 09.11.2016 to 30.06.2018.

Reason for delay: In the part (a) of the reply indicating total number and value of Fake Indian Currency Notes seized after demonetization, there has been an error which crept into the details inadvertently on account of delay in receiving the correct figure by the figure by the field unit at the time of framing reply.

CORRECTED REPLY

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 571 TO BE ANSWERED ON 20th JULY 2018/ 29th ASHADHA 1940 (SAKA)

FAKE CURRENCY

QUESTION

571. DR. C. GOPALAKRISHNAN;

SHRI VISHNU DAYAL RAM

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

- (a) The number of incidents/ cases of detection of fake currencies reported along with the number of such currencies seized in various parts of the country after demonetisation:
- (b) Whether the security features in the new notes are inadequate to identify the difference between the real and fake notes in the country, if so, the details thereof:
- (c) Whether the banks have any policy in place to replace the fake notes or mutilated or scribbled new currencies in order to avoid any financial losses to general public; and
- (d) If so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PON. RADHAKRISHNAN)

- (a): Total number of 427858 Fake Indian Currency Notes amounting Rs. 29,47,42,784 have been seized by Police from 9/11/2016 to 30/6/2018.
- (b): Incorporating new security features/designs in the banknotes to stay ahead of the counterfeiters is an on-going process. The security features are strengthened from time to time to enhance the counterfeit resistance of the notes. The new series of bank notes contain various security features which are difficult to counterfeit. The key security features of new series notes of Rs 2000 and Rs 500 and Rs 200 denominations are:
 - See through register with denominational numeral can be seen when the note is held against it
 - Latent image with denominational numeral can be seen when the banknote is held at 45 degree angle at eye level.
 - Micro letters 'RBI', 'भारत', 'India' and the denomination numeral
 - Colour shift windowed security thread with inscriptions ' भारत', RBI and denominational numeral. Colour of the thread changes from green to blue when the note is tilted
 - Mahatma Gandhi portrait and Electrotype watermarks
 - Number panel with numerals growing from small to big on the top left side and bottom right side
 - Intaglio or raised printing of Mahatma Gandhi portrait, Ashoka Pillar emblem, bleed lines and identity mark

 Denominational numeral with Rupee Symbol, in colour changing ink (green to blue) on bottom right

- Angular bleed lines on left and right side in raised print.
- (c) & (d): There is no policy in place to replace the fake notes. However, Reserve Bank of India has been extending facilities to the public for exchanging cut and mutilated notes at all its Issue Offices and currency chest branches of commercial banks. In order to make the Note Refund Rules easy to understand and to apply, Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 2009 has been comprehensively revised and simplified to help members of the public exchange the cut/mutilated notes in their possession without difficulty.

ORIGINAL REPLY

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 571 TO BE ANSWERED ON 20th JULY 2018/ 29th ASHADHA 1940 (SAKA)

FAKE CURRENCY

QUESTION

571. DR. C. GOPALAKRISHNAN;

SHRI VISHNU DAYAL RAM

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

- (a) The number of incidents/ cases of detection of fake currencies reported along with the number of such currencies seized in various parts of the country after demonetisation:
- (b) Whether the security features in the new notes are inadequate to identify the difference between the real and fake notes in the country if so, the details thereof;
- (c) Whether the banks have any policy in place to replace the fake notes or mutilated or scribbled new currencies in order to avoid any financial losses to general public; and
- (d) If so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PON. RADHAKRISHNAN)

- (a): Total number of 520534 Fake Indian Currency Notes amounting Rs. 39,18,63,862 have been seized by Police from 9/11/2016 to 31/5/2018.
- (b): Incorporating new security features/designs in the banknotes to stay ahead of the counterfeiters is an on-going process. The security features are strengthened from time to time to enhance the counterfeit resistance of the notes. The new series of bank notes contain various security features which are difficult to counterfeit. The key security features of new series notes of Rs 2000 and Rs 500 and Rs 2000 denominations are:
 - See through register with denominational numeral can be seen when the note is held against it.
 - Latent image with denominational numeral can be seen when the banknote is held at 45 degree angle at eye level.
 - Micro letters 'RBI', ' भारत', 'India' and the denomination numeral
 - Colour shift windowed security thread with inscriptions ' भारत', RBI and denominational numeral. Colour of the thread changes from green to blue when the note is tilted
 - Mahatma Gandhi portrait and Electrotype watermarks
 - Number panel with numerals growing from small to big on the top left side and bottom right side
 - Intaglio or raised printing of Mahatma Gandhi portrait, Ashoka Pillar emblem, bleed lines and identity mark.

 Denominational numeral with Rupee Symbol, in colour changing ink (green to blue) on bottom right.

- Angular bleed lines on left and right side in raised print.
- (c) & (d): There is no policy in place to replace the fake notes. However, Reserve Bank of India has been extending facilities to the public for exchanging cut and mutilated notes at all its Issue Offices and currency chest branches of commercial banks. In order to make the Note Refund Rules easy to understand and to apply, Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 2009 has been comprehensively revised and simplified to help members of the public exchange the cut/mutilated notes in their possession without difficulty.

12 07 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 305th Report of the Standing Committee on Science & Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): Madam, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 305th Report of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Department of Scientific & Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology.

 * Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10227/16/18.

.

12 07 ½ hrs

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Coffee Board

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): Hon. Speaker, Madam, with your kind permission, on behalf of Shri Suresh Prabhu, I move the following motion:

"That in pursuance of sub-Section(2) (b) of Section 4 of the Coffee Act, 1942 read with Rule 4(1) of the Coffee Board Rules, 1955 the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Coffee Board, such to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-Section(2) (b) of Section 4 of the Coffee Act, 1942 read with Rule 4(1) of the Coffee Board Rules, 1955 the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Coffee Board, such to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

The motion was adopted.

(ii) Rubber Board

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): Madam, on behalf of Shri Suresh Prabhu, I beg to move the following:

"That in pursuance of clause (e) of sub-section (3) of section 4 of the Rubber Act, 1947 read with rule 4(1) of the Rubber Rules, 1955, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as member of the Rubber Board *vice* Shri B.S. Yeddyurappa resigned from the membership of Lok Sabha, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

HON. SPEAKER: The guestion is:

"That in pursuance of clause (e) of sub-section (3) of section 4 of the Rubber Act, 1947 read with rule 4(1) of the Rubber Rules, 1955, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as member of the Rubber Board *vice* Shri B.S. Yeddyurappa resigned from the membership of Lok Sabha, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

The motion was adopted.

(iii) Marine Products Export Development Authority

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,

FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY):

Madam, on behalf of Shri Suresh Prabhu, I beg to move the following:

"That in pursuance of clause (c) of sub-section (3) of section 4 of the

Marine Products Export Development Authority Act, 1972 read with

sub-rule (1) of Rule 4 of the Marine Products Export Development

Authority Rules, 1972, the members of this House do proceed to

elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from

amongst themselves to serve as members of the Marine Products

Export Development Authority, subject to the other provisions of the

said Act and the Rules made thereunder."

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (c) of sub-section (3) of section 4 of the

Marine Products Export Development Authority Act, 1972 read with

sub-rule (1) of Rule 4 of the Marine Products Export Development

Authority Rules, 1972, the members of this House do proceed to

elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from

amongst themselves to serve as members of the Marine Products

Export Development Authority, subject to the other provisions of the

said Act and the Rules made thereunder."

The motion was adopted.

... (Interruptions)

12 08 hrs

MOTION RE: 58TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमित से प्रस्ताव पेश करता हूँ "कि यह सभा 27 दिसंबर, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 58वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fifty-eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 27th December, 2018."

The motion was adopted.

... (Interruptions)

12 08 ½ hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: INCREASING BASIC CUSTOMS DUTY (BCD) ON CERTAIN GOODS

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to move the following Resolution :

"In pursuance of section 8A (1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves Notification No. 67/2018-Customs, dated 26th September, 2018 [G.S.R.927(E). dated 26th September, 2018] which seeks to increase the basic customs duty (BCD) on the below mentioned goods:

Tariff Head/ Sub-Head/ Item	Description	From	То
3922	Baths, shower baths, sinks, wash basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware of plastics.	10%	15%
3923	Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics.	10%	15%
3924	Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics.	10%	15%

3926	Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914	10%	15%
	(other than bangles of plastic, plastic		
	beads and feeding bottles, goods falling		
	under tariff item 3926 90 91 and 3926 90		
	99 attract 15% BCD).		
4011 10 10	Radial car tyres	10%	15%
6401	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing,	20%	25%
	screwing, plugging or similar processes.		
6402	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics.	20%	25%
6403	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather	20%	25%
0404	and uppers of leather.	000/	0.50/
6404	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials.	20%	25%
6405	Other footwear.	20%	25%
7113	Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal.	15%	20%
7114	Articles of Goldsmith or Silversmith wares and parts thereof of precious metal or of	15%	20%
	metal clad with precious metal.		
8414 30 00	Compressors of kind used in refrigerating equipment.	7.5%	10%
8414 80 11	Gas compressors of a kind used in airconditioning equipment.	7.5%	10%

8415 10	Air Conditioning machine of a kind designed to be fixed to a window, wall, ceiling or floor, self-contained or "split-system".	10%	20%
8415 20	Air Conditioning machine of a kind used for persons in motor vehicles.	10%	20%
8415 81	Air conditioning machine incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling or heat cycle (reversible heat pumps).	10%	20%
8415 82	Other air conditioner incorporating a refrigerating unit.	10%	20%
8415 83	Other air conditioner not incorporating a refrigerating unit.	10%	20%
8418 10 90	Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors.	10%	20%
8418 21 00	Household type refrigerator of compression type	10%	20%
8418 29 00	Other household refrigerator	10%	20%
	Fully automatic washing machine with dry linen capacity not exceeding 10 KG	10%	20%
8450 12 00	Other washing machine with built in centrifugal dryer with dry linen capacity not exceeding 10 KG	10%	20%
8450 19 00	Other washing machine with dry linen capacity not exceeding 10 KG	10%	20%".

माननीय अध्यक्ष: आज अरुण जेटली जी का जन्मदिन भी है तो हम सबकी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपका स्वास्थ अच्छा रहे और अच्छे से कार्य करते रहें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The question is:

""In pursuance of section 8A (1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves Notification No. 67/2018-Customs, dated 26th September, 2018 [G.S.R.927(E). dated 26th September, 2018] which seeks to increase the basic customs duty (BCD) on the below mentioned goods:

Tariff Head/ Sub-Head/	Description	From	То
Item			
3922	Baths, shower baths, sinks, wash basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware of plastics.	10%	15%
3923	Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics.	10%	15%
3924	Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics.	10%	15%
3926	Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914	10%	15%
	(other than bangles of plastic, plastic		
	beads and feeding bottles, goods falling		
	under tariff item 3926 90 91 and 3926 90		
	99 attract 15% BCD).		
4011 10 10	Radial car tyres	10%	15%

6401	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers	20%	25%
	of which are neither fixed to the sole nor		
	assembled by stitching, riveting, nailing,		
0400	screwing, plugging or similar processes.	000/	050/
6402	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics.	20%	25%
6403	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather	20%	25%
6404	and uppers of leather.	20%	25%
0404	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather	20%	25%
	and uppers of textile materials.		
6405	Other footwear.	20%	25%
7113	Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with	15%	20%
	precious metal.		
7114	Articles of Goldsmith or Silversmith wares and parts thereof of precious metal or of	15%	20%
	metal clad with precious metal.		
8414 30 00	Compressors of kind used in refrigerating equipment.	7.5%	10%
8414 80 11	Gas compressors of a kind used in airconditioning equipment.	7.5%	10%
8415 10	Air Conditioning machine of a kind designed to be fixed to a window, wall, ceiling or floor, self-contained or "split-system".	10%	20%
8415 20	Air Conditioning machine of a kind used for persons in motor vehicles.	10%	20%

8415 81	Air conditioning machine incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal	10%	20%
	of the cooling or heat cycle (reversible		
	heat pumps).		
8415 82	Other air conditioner incorporating a refrigerating unit.	10%	20%
8415 83	Other air conditioner not incorporating a refrigerating unit.	10%	20%
8418 10 90	Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors.	10%	20%
8418 21 00	Household type refrigerator of compression type	10%	20%
8418 29 00	Other household refrigerator	10%	20%
8450 1100	Fully automatic washing machine with dry linen capacity not exceeding 10 KG	10%	20%
8450 12 00	Other washing machine with built in centrifugal dryer with dry linen capacity not exceeding 10 KG	10%	20%
8450 19 00	Other washing machine with dry linen capacity not exceeding 10 KG	10%	20%".

The motion was adopted.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: There is a little bit of mistake in Item No. 24 of the List of Business in column No. 4 where 15 per cent has been stated at both the places whereas it should be read as 20 per cent. Some mistake is there in column No. 4. SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I beg to move the following Resolution:

"In pursuance of section 8A (1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves Notification No. 74/2018-Customs, dated 11th October, 2018 [G.S.R.1027(E). dated 11th October, 2018] which seeks to increase the basic customs duty (BCD) on the below mentioned goods:

Tariff	Description	From	То
Head/			
Sub-			
Head/			
Item			
8517 61 00	Base Stations	10%	20%
8517 69 90	Other apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network)	10%	20%".

HON. SPEAKER: The question is:

"In pursuance of section 8A (1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves Notification No. 74/2018-Customs, dated 11th October, 2018 [G.S.R.1027(E). dated 11th October, 2018] which seeks to increase the basic customs duty (BCD) on the below mentioned goods:

Tariff	Description	From	То
Head/			
Sub-			
Head/			
Item			
8517 61 00	Base Stations	10%	20%
8517 69 90	Other apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network)	10%	20%".

The r	notion	was	ado	oted

... (Interruptions)

12 14 hrs

JALLIANWALA BAGH NATIONAL MEMORIAL (AMENDMENT) BILL, 2018*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Jallianwala Bagh National Memorial Act, 1951. ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Jallianwala Bagh National Memorial Act, 1951."

The motion was adopted.

...(Interruptions)

SHRI MAHESH SHARMA: I introduce the Bill.

٠

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 28.12.2018

12 15 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL OF PROCLAMATION BY PRESIDENT IN RELATION TO STATE OF JAMMU AND KASHMIR

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ:-

"कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसम्बर, 2018 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 19th December, 2018 under article 356 of the Constitution of India in relation to the State of Jammu and Kashmir"

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: It will come.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: वह बाद में आएगा। आप अपनी सीट पर जाओ। ऐसे बोलने के लिए नहीं मिलेगा। आप यहाँ खड़े रहकर बोलेंगे क्या?

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, we take up 'Zero Hour'.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Thanks a lot, Madam Speaker, for allowing me to speak a few words on the Women's Reservation Bill. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will allow you, but coming and standing in the Well of the House is not proper.

... (Interruptions)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam, it is with a sense of deep disappointment that we bring to your attention, yet again, the lackadaisical attitude of the Government towards bringing 33 per cent reservation for women in the Women's Reservation Bill into the agenda of Parliament.

We would like to point out that the BJP had made a solemn promise to the women of this country in their election manifesto, expressing their commitment to the passage of this Bill. It is now almost four and a half years since it came to power with a massive majority, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. Though public statements of noble intentions for empowerment of women and girls have been made by the Ministers and the party leadership quite frequently over the years, this has not been translated into action with regard to the Women's Bill, as a result, women's presence in Lok Sabha remains at 11.7 per cent and in the Rajya Sabha at 11.4 per cent. The State Legislative Assemblies also display a similar gender imbalance.

Madam, as the Speaker of the 16th Lok Sabha, you have often spoken out in defence of women's rights, including their right to minimum representation in the highest decision making bodies. Hence, we make an appeal for your intervention on this issue that has been pending now, as you know, for over 20-25 years. We request you to intercede with the ruling NDA Government and ensure that 33 per cent reservation is given to women in the Women's Reservation Bill, which has already gone through a long process of consultation at all levels, is brought to Parliament and State Assemblies, and passed without any further delay.

On 1st January, 2019, we are convening Women Wall in Kerala to raise slogans on women empowerment and highlight about women's rights. Hence, I would request that in Parliament, in this Session itself, the Government should pass the Women's Reservation Bill.

HON. SPEAKER: Shri Md. Badaruddoza Khan, Shri Sankar Prasad Datta, Shri Rabindra Kumar Jena, Dr. P.K. Biju, Dr. P. Venugopal, Shri Rajeev Satav, Dr. Prabhas Kumar Singh, Shri Dharam Vira Gandhi, Dr. Shashi Tharoor, Shri N.K. Premachandran, Shri Gopal Shetty, Shrimati Rita Tarai, Prof. (Dr.) Prasanna Kumar Patasani, Shrimati Supriya Sule and Shri Jai Prakash Narayan Yadav are allowed to be associated with the issue raised by Shrimati Shreemati Teacher.

आप सभी लोग इस तरह से खड़े होंगे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आयेगा। आप सभी लोग इस विषय पर सपोर्ट करना चाहेंगे। हर कोई इस विषय पर नहीं बोल सकता है। सभी लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं।

...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): ...(Interruptions) Regarding motion on one-third reservation for women in Parliament and State Assemblies, our Chief Minister had written letters to all party presidents. Some 24-27 party presidents. Also met the Chief Minister....(Interruptions) I support what Ms. Teacher has said and I would request you to find time to have a discussion on this 33 per cent or one-third reservation for women in this Session....(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी इसके सपोर्ट में रहिए। आप सभी स्लिप पर नाम लिखकर दे दीजिए। सभी लोग इस पर नहीं बोल सकते हैं।

...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): The Rajya Sabha has passed the Bill regarding the 33 per cent reservation for women and I associate with Ms. Teacher and I request the Government to immediately take it on the agenda.

HON. SPEAKER: All of you, those who want to associate can associate. That is all. I am sorry.

... (Interruptions)

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेवपुर): महोदया, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।...(व्यवधान) आदिवासी जनजाति में एक मुंडारी भाषा है।...(व्यवधान) प्राचीन काल से ही पूर्वी भारत में मुंडारी भाषा बोली जाती है।...(व्यवधान) भगवान बिरसा मुंडा इसी समाज एवं भाषा से आते हैं।...(व्यवधान) उन्होंने आदिवासियों के अधिकार एवं स्वतंत्रता आन्दोलन में अपनी जान की आहूति दी थी।...(व्यवधान) अभी तक इस भाषा को मान्यता नहीं मिली है।...(व्यवधान) उक्त भाषा देश के विभिन्न राज्य जैसे झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में बोली जाती है।...(व्यवधान) इस भाषा को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग 6-7 करोड़ है।...(व्यवधान) लगभग 300 स्कूलों में मुंडारी भाषा में पढ़ाई होती है।...(व्यवधान) झारखंड के रांची में स्थित रांची विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट से पी.जी. तक की पढ़ाई मुंडारी भाषा में होती है।...(व्यवधान) आदिवासी भाई-बहनों की यह वर्षों पुरानी माँग है कि मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए इसे द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता दी जाए।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से माँग करता हूँ कि मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए इसे द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता दिलाने की कृपा की जाए।...(व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र, श्री लखन लाल साहू, श्री रवीन्द्र कुमार जेना और श्री निशिकान्त दुबे को श्री विद्युत वरण महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है।...(व्यवधान) मैं झारखंड राज्य के सिंहभूम लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ।...(व्यवधान) इस क्षेत्र की 'हो' भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बारे

में हमेशा से माँग रही है।...(व्यवधान) झारखंड राज्य के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम और बिहार आदि राज्यों में 'हो' भाषा का प्रयोग बोलचाल एवं पठन-पाठन में किया जाता है।...(व्यवधान) इन सभी राज्यों में लगभग 40 लाख से भी ज्यादा लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।...(व्यवधान) संविधान की 8वीं अनुसूची में 'हो' भाषा के शामिल होने से 'हो' समाज के सामाजिक उत्थान के साथ-साथ आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और राज्य भाषा के साथ 'हो' भाषा भी सम्पर्क भाषा का काम करेगी।...(व्यवधान)

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर तरीके से माँग करता हूँ कि सिंहभूम लोक सभा सिंहत सभी राज्यों से जो माँग 'हो' भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की माँग है, इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।...(व्यवधान) मैं ऐसा आपसे निवेदन करता हूँ।...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैंरो प्रसाद मिश्र और श्री निशिकान्त दुबे को श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI RAMCHANDRA HANSDAH (MAYURBHANJ): We have many languages, cultures and religions existing together. It is said, "language is but the vehicle of culture". To reflect the inclusive character of our country, we have to give recognition to some of the major languages in the Eighth Schedule of our Constitution. Though initially, there were 14 languages, but later, a few Constitutional Amendment Acts added 8 more languages making 22 languages in the List. There are 29 major languages which are spoken by more than 1 million speakers. ...(Interruptions)

There are demands from various quarters to include these major languages, which are left out, in the Eighth Schedule of our Constitution. Time and again, the hon. Chief Minister of Odisha has also sent letters to the Central Government for 'Ho' and 'Kosali' language to be included in the Eighth Schedule.

Ho and Mundari languages are two major languages spoken by tribal people of my area. There is a strong demand from them that their languages also be given Constitutional recognition. Therefore, Madam, I rise to raise this point before the you so that the Central Government takes needful action for inclusion of these two languages in the Eighth Schedule of our Constitution. ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Shri Ramchandra Hansdah.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।...(व्यवधान)

मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के महुदा एवं रामटेक ताल्लुका में बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन होता है।...(व्यवधान) सूपर फाइन जेसिला नाम के धान का टैस्ट अच्छी होने के कारण पूरे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में इसकी ज्यादा खपत होती है।...(व्यवधान) अभी देखा जाता है और आप भी जानती है कि यूरिया, सल्फेट तथा मज़दूरी के दाम काफी बढ़ जाने के कारण उत्पादन की लागत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आपका समय पूरा हो गया।

...(व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: अभी जो धान की फसल आयी है, उसको खरीदने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। उस धान का एमएसपी 1750 रुपये है, लेकिन उसको भी कोई खरीद नहीं रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी को बोलने के लिए समय दूंगी। आप सभी बैठिए। ...(व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि किसानों के उत्पादन लागत का हिसाब किया जाए।...(व्यवधान) सरकार कम से कम ढ़ाई हजार रुपये के भाव से चावल खरीदने की व्यवस्था करें। मैं सरकार से ऐसी मांग करता हूं। धन्यवाद।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Krupal Balaji Tumane.

Shri Vincent Pala -Not present.

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Madam Speaker, I fully associate with Shrimati Teacher on the need to bring in Women's Reservation Bill. The UPA Government in 2004 and 2009, and the NDA Government in 2014 promised to provide 33 per cent of reservation for women in State Assemblies and Parliament. The State Assembly of Odisha has unanimously passed a resolution in favour of providing 33 per cent reservation to women in State Assemblies and Parliament and the Hon. Chief of Minister of Odisha has also urged upon the Central Government to pass a resolution in this regard. ...(Interruptions)

Madam, I now raise the matter of abrupt change made by the Central Government in the funding pattern under Post-Matric Scholarship Scheme for Scheduled Caste students. ...(Interruptions)

The Government of Odisha attaches highest priority to provide quality education to weaker sections of the society, particularly ST and SC students. Approximately two lakh SC students are provided post-matric scholarships for higher education in Odisha. The Post-Matric Scholarship Scheme is a Centrally-sponsored scheme wherein until 2016-17 the Ministry of Social Justice and Empowerment was providing about 90 per cent while the State Government was bearing the remaining 10 per cent of the actual expenditure. ...(Interruptions) However, recently the funding pattern has been changed. In the above context, I would request the Government of India to restore the funding pattern of 90:10 between the Centre and the States for smooth implementation of the post-matric scholarship programme for Scheduled Caste students. ...(Interruptions) माननीय अध्यक्ष: बस, अब हो गया। आप सभी एक-एक मिनट में अपनी बात पूरा कीजिए। ...(व्यवधान)

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Madam Speaker, approximately two lakh SC students have been benefitted from the Post-Matric Scholarship Scheme in Odisha. The Central Government was giving funds to the extent of Rs.240 crore and the State was spending about Rs.25 crore. ...(Interruptions) But suddenly there is a change by the Ministry of Social Justice and Empowerment of

the Union Government by which the financial burden on the State has gone to about Rs.250 crore and the Central Government's burden has come down to Rs.20 crore. ...(Interruptions) I would urge upon the Government of India and the concerned Ministry to go back to the 90:10 funding pattern so that the Scheduled Caste students of the State of Odisha are not deprived of this facility and they can continue with higher education. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी बैठिए। मैं सभी को बोलने के लिए एक-एक मिनट समय दूंगी। ...(व्यवधान)

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Madam Speaker, I rise to raise an urgent matter of public importance. This refers to the answer given by hon. MoS Home Shri Ahir to my Unstarred Question 1274 which was tabled on 18th December, 2018. ...(*Interruptions*) The question is about the Constitutional position of the merger of the erstwhile Manipuri State with the Union of India under the infamous Manipur Merger Agreement, 1949. ...(*Interruptions*)

The question is: "Whether it is a fact that erstwhile Manipur State was merged with the Union of India under the Merger Agreement, 1949; if so, the details thereof; whether it is also a fact that the Merger Agreement was rejected by the Manipur State Assembly; if so, whether the Merger Agreement was ratified by the then Parliament of India?" ...(Interruptions)

The answer given by the hon. Minister was: "Information is being collected and will be laid on the Table of the House." I am afraid this question has already

been raised by me many times and an almost similar answer was given every time. ...(Interruptions)

I urge upon the Union Government, the Union Home Ministry in particular, to collect the information immediately and place the same before the House during the current winter session. ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Prem Singh Chandumajraji.

... (Interruptions)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदया, मैं पंजाब के किसानों का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हाउस में रखना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार पंजाब के किसानों की मदद करे। आलू के दाम पिछले तीन वर्षों से किसानों को न मिलने के कारण सड़कों पर फेंका जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जैसे 22 फसलों को एमएसपी में लिया गया है, आलू और बासमती को भी उसमें लिया जाना चाहिए। आलू और बासमती समय भी कम मांगते हैं और पानी भी कम मांगते हैं। बासमती और आलू के लिए कोई कार्पोरेशन बनानी चाहिए, ताकि उनको दाम मिल पाएं।

मैडम, किसान 15 रुपये प्रति किलो दुकानों से खरीदता है। जब किसान उसको बेचता है, तो 2 रुपये प्रति किलो बिकता है। कम से कम कोई मूल्य तय होना चाहिए। खेती तो पहले ही घाटे में जा रही है। जब देश आज़ाद हुआ था, तब 52 पर्सेंट जीडीपी में इसका हिस्सा था, जो अब केवल 12 पर्सेंट रह गया। मैं चाहता हूं कि 3 दिन खेती के मामले में यहां पर डिसकशन होना चाहिए कि खेती कैसे प्रॉफिटेबल बन सकती है और किसान खेत मजदूर की आमदनी कम से कम तय होनी चाहिए, यह व्यवस्था बने। हमारी सरकार बहुत सी पालिसीज लाई है। उन पालिसीज में कहां कमी रही है? उसे कैसे दूर किया, यह रिव्यू होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह विनती करता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सुमेधानन्द सरस्वती को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही): मैडम, यह किसानों का सवाल है।

माननीय अध्यक्ष: वीरेन्द्र जी, आप अपनी सीट पर नहीं हैं।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि किसानों पर एक बार चर्चा का समय निर्धारित करें।(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कर देंगे। श्री ए.पी.जितेन्द्र रेड्डी।

...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, I would like to raise the issue of need to establish an HIV-AIDS Research Centre in Mahabubnagar, Telangana. ...(Interruptions)

I recently came across the use of pre-exposure prophylaxis (PrEP) treatment being used widely in Western countries to prevent contracting and spreading of HIV AIDS. ...(Interruptions) It is primarily used in a way for people who do not have HIV but who are at substantial risk of getting it to prevent HIV infection by taking a pill every day. When taken consistently, PrEP has been shown to reduce the risk of HIV infection in people who are at high risk by up to 92 per cent. ...(Interruptions)

However, the treatment is not so popularly available in India, nor is the population aware of the same. Therefore, I request the Government to establish a

research centre dedicated to study and address the issue of HIV AIDS in my constituency of Mahabubnagar, Telangana. ...(Interruptions) This centre should study the viability of use of PrEP in India, and if found effective, should make it readily available at a subsidized rate in the retail market and part of the campaign against HIV AIDS. ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri A.P. Jithender Reddy.

Shri Gopal Shettyji.

... (Interruptions)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, आपने चौथी बार जीरो ऑवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं। पूरे देश भर में साढ़े पांच करोड़, मुंबई शहर में फेरी वाले और दिल्ली में ठेले वाले हैं, जो अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं, उनकी आवाज को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि इसके बारे में एक गाइडलाइन बनाइए, हॉकिंग जोन बनाइए। 1985 से लेकर 1999 तक कोई काम इस पर नहीं हुआ। अटल जी की जब सरकार आई, तो उन्होंने इसके लिए कायदा बनाया। साहिब सिंह वर्मा जी जब श्रम मंत्री थे, तो उन्होंने इसको अंत तक ले जाने का प्रयास किया। राम नाईक जी के नेतृत्व में हमने मुंबई शहर में उनका अभिनन्दन भी किया। उसके बाद सरकार बदल गई, फिर काम रुक गया, कोई काम नहीं हुआ। आज 33 साल पूरे हो गए। वर्ष 1985 में सुप्रीम ने जो कहा था, वह तो अमल में नहीं आया, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी फिर वापस कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने एक नया आदेश निकाला कि रेलवे स्टेशन के अगल-बगल 150 मीटर की रेडियस में कोई फेरी वाले, ठेले वाले नहीं बैठेंगे। वर्ष 1985 के

आदेश का अभी तक अमल नहीं हुआ, लेकिन इस आदेश को महानगर पालिका ने अमल में लाते हुए, महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा मशीन लाकर भाजी-पालक, फल-फ्रूट को कुचला जा रहा है।

यह बहुत ही गंभीर बात है इसलिए हम फेरी वालों के ब्लैंकेट समर्थन में नहीं हैं, कोई रोड पर नहीं बैठे, जंक्शन पर नहीं बैठे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1985 में जो आदेश दिया था, उस आदेश को अमल में लाया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जुगल किशोर (जम्मू): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं उन लाचार और बेबस लोगों की बात करूंगा जो 70 वर्षों से दर-बदर की ठोकर खा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी जो 70 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं ...(व्यवधान) लेकिन आज तक उनको नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। आप नागरिकता की बात रहने दीजिए उन बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाई भी नहीं करने दी जाती, वहां की सुविधाएं और छोटी-मोटी नौकरियां या कोई साधन उनको नहीं दिया जाता। ...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि वेस्ट पाकिस्तान के जो रिफ्यूजी जम्मू-कश्मीर में रह

रहे हैं उनको रेलवे, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी और हर एजेंसी में उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। उनके बच्चों को प्रधानमंत्री स्कॉलरिशप में भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए तािक वे बच्चे पढ़ सकें और अपनी रोजी-रोटी भी कमा सकें और मान-सम्मान के साथ जम्मू-कश्मीर में रह सकें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री निशिकान्त दुबे को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

Shri Vincent Pala, I called your name earlier, but you were not in the House at that time.

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you, Madam, for allowing me to speak. As you know, Northeast is a landlock area. To boost the economic condition of the Northeast we need to open lots of land custom stations between India and Bangladesh. Dawki is one of the stations where the Integrated Check Post has been constructed but it takes a lot of time....(Interruptions)

I would urge upon the Government to make the land custom station at Dawki functional as soon as possible and open new land custom stations at Kuliang and Maheskola, so that the economy of the Northeast, in particular that of Meghalaya, will get a boost.

माननीय अध्यक्ष : श्री भरत सिंह (बलिया) – उपस्थित नहीं।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) – उपस्थित नहीं।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली):अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले आपके संयम की दाद देता हूं कि इतने शोर-शराबे के बीच में भी आपने सभी सदस्यों को शून्यकाल में अपनी बात रखने का मौका दिया। ...(व्यवधान) मेरा नम्बर भी चार बार आया है लेकिन आज शून्यकाल में हमें बोलने का मौका दिया जा रहा है। ये सभी सदस्य गैर-जिम्मेदार ढंग से चिल्लाते हैं, ...(व्यवधान) जिन्हें इनकी जनता चुन कर भेजती है, मगर ये लोग उनकी आवाज उठाने के बजाए ये सदन की कार्रवाई को डिस्ट्रब करते हैं।

मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्पूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूं। आज दिल्ली मैट्रो दिल्ली की धड़कन बन चुकी है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी और कई केन्द्रीय मंत्री भी कभी दिल्ली के

कार्यक्रम में जाते हैं तो दिल्ली मैट्रो का उपयोग करते हैं। ...(व्यवधान) दिल्ली की परिवहन व्यवस्था के बारे में हम सभी को मालूम है, वह खराब होती जा रही है। दिल्ली के दो विभाग दिल्ली पुलिस और डीटीसी को दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। ...(व्यवधान) भारत सरकार और दिल्ली सरकार जिनका दिल्ली मैट्रो में 50:50 की पार्टनरिशप है। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस और डीटीसी के सारे कर्मचारियों को दिल्ली मैट्रो में फ्री पास दिया जाए ताकि दिल्ली मैट्रो में दिल्ली पुलिस वाले घुमेंगे तो इससे दिल्ली मैट्रो में सुरक्षा भी बढ़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा):अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में रखना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दो जनपद बांदा और चित्रकुट आते हैं। बांदा जनपद में सेतु निगम द्वारा अवगाछी का पुल वर्षों से बनाया जा रहा है। जिसमें कभी काम बंद हो जाता है और कभी शुरू हो जाता है और कभी-कभी तो महीनों काम बंद रहता है। ...(व्यवधान) उसकी लागत काफी बढ़ चुकी है। इसी तरह से चित्रकुट जनपद में मऊ के पास यमुना नदी पर महिला घाट पर एक सेतु निगम द्वारा पुल बनाया जा रहा है। ...(व्यवधान)

मान्यवर वह पुल वर्ष 2011 से बन रहा है। उसको बनाने में बहुत लेट किया जा रहा है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है, वहां हजारों लोगों का नाव द्वारा आवागमन होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार से बातचीत करके सेतु निगम के दोषी कर्मचारियों को दंडित कराएं और यथाशीघ्र उन पुलों को पूरा किया जाए। धन्यवाद। ...(व्यवधान) SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam Speaker.

I would like to raise a very important matter regarding Sabarimala Pilgrim Centre. Madam, Sabarimala Pilgrim Centre is one of the nationally important and reputed worship centres. Madam, you may kindly see that due to the flood situation in Kerala, the entire infrastructure in Sabarimala Temple has been destroyed and the restoration process is not progressing as we have expected. In such a situation, I would like to urge upon the Government of India to give central assistance for the infrastructure development of Sabarimala Worship Centre.

Further, due to the hon. Supreme Court's verdict regarding temple entry to women between the age of 10 and 50 years, made the situation so worse. It is being said that the prohibitory order under 144 Cr.P.C., issued in Sabarimala, Nilakkal and Pamba, has made the situation so worse that worshipping in Sabarimala Temple has become very difficult. So, I urge upon the Government of India to provide a special package for the infrastructure development of Sabarimala Temple.

I also urge upon the Government of India to intervene and make a peaceful climate in Sabarimala Pilgrim Centre by issuing an Ordinance to restore peace and to have a proper worship in Sabarimala Temple. ...(Interruptions) Madam, the Government of India has ample legislative competence to intervene in this matter. ...(Interruptions)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): मैडम, खास तौर पर यह शहीदी सप्ताह चल रहा है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने और सारे हाउस ने साहबजादों को यहां

श्रद्धांजलि दी है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि हम आपके कितने शुक्रगुजार हैं। ...(व्यवधान) गुरु गोबिंद सिंह जी, जिनको सत्कार से हम कलगियां वाला, बाजों वाला और दशम पातशाह भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सत्कार से हम उन्हें सरबंस दानी कहते हैं. जिन्होंने अपना सारा परिवार चार दिन के अंदर, जब वे खास तौर पर चमकौर की जंग चल रही थी, ...(व्यवधान) वहां दो बड़े साहबजादे खुद तैयार करके लड़ाई में भेजे और वे लड़ाई मे शहीद हुए और सिरसा नदी में उनका सारा परिवार अलग-अलग हो गया। छोटे साहबजादे और माताजी वहां से अलग होते हुए मरिण्डे में गिरफ्तार कर लिये गये। आपने कभी ऐसी दास्ता कभी नहीं सुनी होगी, वहां के सुबासरंग वजीद खां के अहलकार एक नौ साल के और एक साल के साहबजादे को पकड़ कर ले गए।...(व्यवधान) साहबजादों को कहा गया कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करें। जैसी आज ठंड है, उस समय भी बहुत ज्यादा ठंड थी। इतनी ठंड में साहबजादों को कोड़े मारे गए और उसके बाद जब वे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए नहीं माने, तब उन्हें पेड़ के साथ बांध कर गुलेल के साथ उनके ऊपर हमला किया गया। छोटे साहबजादे की आंखों से खून बहने लग गया, फिर भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। ...(व्यवधान) उसके बाद वजीद खां ने हुकम किया कि इन्हें दीवार में चुनवा दिया जाए। जब साहबजादों को दीवार में चुनवाने लगे, तब तीन बार वह दीवार गिरी। दीवार बनाने वाले ने कहा कि साहबजादों के घुटनों की वजह से दीवार गिर रही है, तब उनके घुटनों को काटने का काम भी किया गया। जब फिर भी वह दीवार खड़ी नहीं हुई, तो जल्लाद को हुकम किया कि इनकी गर्दनें काट दी जाएं। ...(व्यवधान) मासूम बच्चे देखकर जल्लाद ने मना कर दिया और कहा कि मैं यह काम नहीं करूंगा। फिर दो जल्लाद और बुलाए गए। उन जल्लादों ने नीचे पड़े हुए साहबजादों की गर्दनें काटीं। ये शहादत गुरु गोबिन्द सिंह जी की है।...(व्यवधान)

महोदया, मुझे याद है जब मेरे दादा जी सरदार बेअंत सिंह मुख्य मंत्री बने, उन्होंने मुख्य मंत्री बनते ही फतेहगढ़ साहब को डिस्ट्रिक्ट बनाया था। यदि हम वहां सोने की सड़कें भी बना दें, तो वह भी

कम है।...(व्यवधान) आज उस जिले को खास तौर पर प्रधान मंत्री जी और हमारे मुख्य मंत्री कैप्टन अमिरंदर सिंह जितना ज्यादा से ज्यादा फंड दिया जा सकता है, जरूर दें। ...(व्यवधान) श्री फतेहगढ़ साहब को पवित्र नगरी घोषित करें, तो मैं समझता हूं कि सिख जगत में और दुनिया में मैसेज जाए कि इससे बड़ी कोई गुरु की कुर्बानी नहीं है। ...(व्यवधान)

मैं दोबारा उनके प्रति शीश झुकाता हूं और उनके सामने श्रद्धा से नमन पेश करता हूं। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एसोसिएट कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री संतोख सिंह चौधरी को श्री रवनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा (सुरेन्द्रनगर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। गुजराती हमारी मातृभाषा है।

Hon'ble Speaker Madam, first of all I thank you for giving me this opportunity to speak. Through you I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister to my constituency Surendranagar (Gujarat). My constituency Surendranagar is educationally and economically backward district. Backward classes like nomadic tribes, scheduled tribes, scheduled castes and OBCs are residing in this region in large number. There is very less development in education since independence in this district. There is facility of education in general stream and science stream but there is no government medical college or

-

^{*}English translation of the speech originally delivered in Gujarati.

engineering college in Surendranagar district. The children of salt farmers (agariya) also want to pursue higher education. They go to Rajkot or Ahmedabad for higher education. Therefore, through you I request the concerned ministry to establish government medical and engineering college in Surendrangar district.

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, बिहार में अभी गुंजन खेमका, बीजेपी के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई।...(व्यवधान) इससे पहले अखिलेश जायसवाल को मारने की धमकी दी गई और पांच करोड़ रुपये की मांग की गई। ...(व्यवधान) अखिलेश जायसवाल एक बड़े व्यवसायी हैं। प्रियांशु पटेल को बेरगनियां में, आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। ...(व्यवधान) उसी तरह लड्डू सिंह का केस है। ...(व्यवधान) अभी सुपौल में दो दिनों के अन्दर लगातार चार हत्याएं हुई हैं।...(व्यवधान) सहरसा में लगातार ऐसा हो रहा है। ...(व्यवधान) मैं बहुत गंभीर मसले पर बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) वहां से लगातार इतने बड़े व्यवसायियों का पलायन हो रहा है। ...(व्यवधान) बिहार में लगातार व्यवसायियों की हत्या हो रही है। ...(व्यवधान) वहां डेली ऐसा हो रहा है। अभी कुशवाहा छात्रावास में बच्चों पर जुल्म हुआ। ...(व्यवधान) अभी वैशाली में गुंजन खेमका के साथ तीन हत्याएं हो गई। पटना के एक बड़े ठेकेदार की हत्या दो दिन पहले हो गई। ...(व्यवधान) इसी तरीके से, आप इसे देखेंगे, बिहार में लगातार अपराधियों द्वारा ऐसा हो रहा है, वहां बालू माफिया और जमीन माफिया ने किस तरीके से सहरसा में उमेश शाह के घर में घुसकर मार दिया। ...(व्यवधान) इसी तरीके से जमीन माफिया समीर सिंह की हत्या की गई।...(व्यवधान) समीर सिंह की हत्या करने वाले पिंटू सिंह हैं, पिंटू सिंह ए.के.-47 देता है। ...(व्यवधान) उसकी विधायक, एमपी,

मंत्री के साथ और एक बड़ी पार्टी के नेताओं के साथ फोटो आती है। उसमें तत्कालीन मंत्री होते हैं और तत्कालीन कई विधायक होते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात हो गई है।

श्री भतृहरि महताब।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I want to raise a matter of urgent public importance relating to the world wonder called, Konark Temple. It is under the Archaeological Survey of India for the last so many years ...(Interruptions). But what has happened is that every day the sand particles from the sand stones are dropping. They are being replaced not by artistic stone but by plain stones by the ASI. This has come out in different media not only in Odisha but also in the national newspapers...(Interruptions).

The temple that was destroyed some centuries ago is depleting day-afterday. The Archaeological Survey of India is not taking proper care for restoration of the temple...(*Interruptions*).

There are certain sites which are protected by the UNESCO. The Humayun's Tomb was one such protected monument which was restored up by the Aga Khan Trust and it has been restored fully. When we approached the ASI authorities and the Ministry of Culture, they said that they cannot do it, because it is a protected monument.

Madam, my request to the Government is that there is a need to have a new Law to protect them. जो हमारी धरोहर है, उनको उसी तरह लगाना चाहिए, and not like plain stones.

What is being said is that "we cannot do it." Then, let us change the law which is there prevalent since the colonial times. ...(Interruptions) It is necessary to protect it. ...(Interruptions) We cannot create another Konark Temple. ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Rabindra Kumar Jena, Dr. P.K. Biju and Shri Nishikant Dubey are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

Now, Prof. A.S.R. Naik.

... (Interruptions)

PROF. A.S.R. NAIK(MAHABUBABAD): Thank you, Madam for giving me the opportunity to speak. ...(Interruptions) I have been raising the issue pertaining to establishment of the Tribal University. It is mentioned in the Reorganisation Bill, and yesterday, our hon. Chief Minister, Shri K. Chandrashekhar Rao also met our hon. Prime Minister on this issue. But the Government is not taking any decision. ...(Interruptions) Please give me one minute, Madam. ...(Interruptions) One Tribal University is running in the country in the name of the Indira Gandhi National Tribal University. ...(Interruptions) This University is meant for upliftment of the tribal people but the reservation in admission is only 7.5 per cent....(Interruptions)

I request the hon. Minister to raise the ratio of the reservation in admission. Thank you. ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Dr. P.K. Biju is permitted to associate with the issue raised by Prof. A.S.R. Naik.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश में, बिहार में और मेरे संसदीय क्षेत्र बाँका में आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने हेतु संघर्षरत हैं। सेविकाओं को थर्ड क्लास एवं सहायिकाओं को फोर्थ क्लास के रूप में समायोजित किया जाए। ये सभी बिहार एवं बाँका में एक माह से संघर्षरत हैं। हमारी सभी महिला बहनें, जिनमें आशा कार्यकर्ताएं भी हैं, सभी 15 सूत्री मांगों के साथ आंदोलनरत हैं और कई लोग धरने पर बैठे हैं, कई लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

मैं मांग करता हूं कि आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के रूप में समायोजित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सुले तथा श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12 52 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL OF PROCLAMATION BY PRESIDENT IN RELATION TO STATE OF JAMMU AND KASHMIR ... Contd.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यो, आप कृपया सुनें, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूं। स्टैच्यूटरी रिजोल्यूशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर को हम पास कर चुके हैं। रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया है, लेकिन यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय पर कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मुझे पहले इस विषय पर बोलने के लिए किसी नाम की सूचना नहीं मिली थी, इसलिए एडॉप्ट कर लिया गया है, लेकिन यह इश्यू महत्वपूर्ण होने के कारण एज़ ए स्पेशल केस कुछ सदस्यों को बोलने की इजाजत दे रही हूं। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। रिजोल्यूशन पहले ही एडॉप्ट किया जा चुका है, लेकिन यह महत्वपूर्ण इश्यू है, इसलिए मैं कुछ माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमित दे रही हूं।

Now, Shri Shashi Tharoorji.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam Speaker, thank you very much for giving me an opportunity to place on record, my concerns and those of my party about our opposition to the Statutory Resolution which has been passed, confirming the proclamation of President's rule in J&K. ...(Interruptions) The Governor, as we know, imposed President's rule or Governor's rule under Article 356 without doing even a basic floor test to see if the National Conference, PDP and Congress Alliance in Kashmir has a majority. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप अपनी सीटों पर वापिस चले जाएं।

...(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Madam Speaker, this is a gross violation of the Supreme Court's judgement in S.R. Bommai vs. Union of India case, and I am going to quote here the actual verdict – "the proper course for testing the strength of the Ministry is holding the test on the floor of the House. That alone is the constitutionally mandated, ordained forum for seeking openly and objectively the claims and counterclaims in that behalf." ...(Interruptions)

Madam, the Supreme Court said: "The assessment of the strength of the Ministry is not a matter of private opinion of any individual, be he the Governor or even the President. It is only capable of being demonstrated and ascertained publicly in the House. Hence, when such demonstration is possible, it is not open to bypass it and instead depend upon the subjective satisfaction of the Governor or the President. ...(Interruptions)

"Such private assessment is an anathema to the democratic principle, apart from being open to serious objections of personal *mala fides*. It is possible that on some rare occasions, the floor-test may be impossible, although it is difficult to envisage such situation. Even assuming that there arises one, it should be obligatory on the Governor in such circumstances, to state in writing, the reasons for not holding the floor-test."

These, Madam Speaker, are the actual words of the Supreme Court in S.R. Bommai *versus* The Union of India. ...(*Interruptions*) I wish to ask this question to the hon. Home Minister. (*Interruptions*) Has the Governor provided written reasons specifying constitutional grounds for not holding a floor-test? ...(*Interruptions*) If so, it is incumbent upon the hon. Home Minister to share those written reasons with the Lok Sabha. ...(*Interruptions*)

The second point I wish to make is that the action of the Government is also a violation of the guidelines laid down by the Report of the Sarkaria Commission on Centre-State Relations. ...(Interruptions) It states:

"Article 356 provides a remedy where there has been actual breakdown of the constitutional machinery of the State. Any abuse or misuse of this drastic power damages the fabric of our Constitution, whereas the object of this article is to enable the Union to take remedial action. Without giving the Ministry an opportunity to demonstrate its majority support through the floor-test, recommending and imposition of President's rule merely on a subjective assessment that the Ministry no longer commands the confidence of the Assembly, is an improper exercise of Article 356."

Madam, the entire action of the Governor was unconstitutional. ...(Interruptions) In addition, the Governor, in statements to the media, said that he had not accepted the claim of the Congress, National Conference and PDP to form the State Government on the grounds that parties with ideological variance cannot form a Government. ...(Interruptions) How can the Governor make such a

political determination? ...(Interruptions) If these are parties that have ideological variance, the earlier Government of the BJP and the PDP was itself an unnatural marriage of parties that had absolutely nothing in common with each other and yet the Governor saw fit to work with them. On what basis can he make a political judgement? ...(Interruptions)

So, I would request that the hon. Home Minister that he should give us in writing the reasons of the Governor for not holding the floor-test and also, he should share with us what exactly justifies the political determination of the Governor. ...(Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, I oppose the Proclamation issued by the President on the 19th December, 2018 under Article 356 in relation to the State of Jammu and Kashmir. ...(*Interruptions*)

I think that the imposition of President's Rule is arbitrary and unconstitutional. ...(Interruptions) The Government of Jammu and Kashmir fell in June, 2018 when the BJP, which had 25 Members in the House, withdrew support to the Government. ...(Interruptions) Under the Constitution of Jammu and Kashmir, Governor's Rule was imposed under Section 92 of the of the Jammu and Kashmir Constitution. ...(Interruptions) Then, there was an effort by all the secular parties to form a Government and the PDP, National Conference and Congress agreed to form a Government. ...(Interruptions) The Government at the Centre and the BJP tried to foist Sajjad Lone, who had only two Members, as the Chief Minister. ...(Interruptions) The Governor had acknowledged that if he had looked to Delhi, he would have had to install Sajjad Lone as the Chief Minister. ...(Interruptions)

Madam, the return to Assembly-based Government and a majority was essential in Jammu and Kashmir. ...(Interruptions) By imposing President's Rule in an unconstitutional way, going against the judgement in the Bommai case, the Governor violated the Constitution and the Centre colluded with the Governor's effort. ...(Interruptions) This was done when Kashmir has been burning. ...(Interruptions) The Central Government has proved to be a total failure.

...(Interruptions) About 900 people have died in militancy-related incidents in the year 2018 uptill now. ...(Interruptions) But still the Centre did not allow a majority Government formed by major parties in the State just because the BJP had their limited communal agenda.

13 00 hrs

That is why, the House should totally oppose the proclamation of the President's rule and the BJP's efforts to foist one Sajad Lone with defections from other parties. The present Governor is talking too much, but he is not being able to bring peace to the beautiful State of Jammu and Kashmir. I urge that since the proclamation is already passed, the Government should immediately announce holding of elections to Jammu and Kashmir, so that democracy returns to this troubled State and people's assurance is ensured in the State. ...(Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): We are all aware that Jammu and Kashmir is a troubled State and this trouble is growing in the State for quite sometime very recently. It is not that it has just started after the President's proclamation of Article 356. It has been going on since the Jammu and Kashmir State merged with our country and we are all aware that the injection of terrorist activity which is going on in that State is the reason why the rest of the nation has to look at Kashmir with special attention. That is what is required. Madam, proclamation of Article 356 has all along been opposed by respective Regional

Parties throughout the country and it has a long history behind. Earlier it was the Akali Dal, which was the victim of Article 356. Our State was also the victim of Article 356. Even in Tamil Nadu, Article 356 was imposed just to please certain political parties and also to drive out regional party Governments in the respective States. This is the reason, why Article 356 is invariably opposed by most of the regional parties.

Also, a consensus was built and subsequently, the Supreme Court also came up with a direction that when Article 356 is imposed, then it has to be approved by the Lok Sabha or by the Parliament with immediate effect when the House will meet. That is why, the proclamation of Article 356 in Jammu and Kashmir is before this House today. We should also not forget that the last Assembly election that was held in that State gave a very fractured mandate and this type of mandate had never happened in Jammu and Kashmir earlier. The one part of valley voted for one Party and the rest of the State voted for another Party and it was the magnanimity of Mufti Sahib who could bridge both the political parties like BJP and PDP together to form a Government and that was the requirement of that day. The Congress was not in a position to form a Government; Congress led the Opposition. But what happened subsequently? After Mufti Sahib's demise, both the parties could not pull on together and that is the reason why the Government fell.

Today, what is happening? During the last two to three months' time, the Government declared that we should have Panchayat Raj elections, but who boycotted the Panchayat Raj elections? It was those regional parties of Jammu and Kashmir who openly said that they will not participate in the Panchayat Raj elections. The Congress participated; BJP participated and some small regional parties also participated. I would also insist that we should strengthen the Panchayati Raj system in Jammu and Kashmir, so that people's leadership can also be established through Panchayati Raj system. The leadership should not be confined to Jammu or Srinagar.

I am of the opinion that today, it has become necessary to impose President's rule. I would also request the Government that when the next Lok Sabha election is due, along with Lok Sabha elections, Jammu and Kashmir Assembly elections should also be held. Accordingly, the Election Commission should be apprised. I support the imposition of Article 356. Thank you. ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Dr. P. Venugopal, if you want to speak, at least, your MPs should go back to their seats. If a leader wants to speak, all his MPs in the well should go back to their seats.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, kindly allow me to speak ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: I am allowing you to speak. But let them go back to their seats. You are the leader of your party; and your MPs in the well should go back to their seats. Then only you may speak. How can it be possible that your MPs are in the well and you also want to speak simultaneously? Both the things cannot go together.

13 06 hrs

At this stage, Shrimati V. Sathyabama and some other hon. Members went back to their seats.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, on behalf of our party, AIADMK, we are always against the imposition of Governor's Rule or President's Rules in any State of our country. It is against the principle of federal structure and democratic setup of our country.

Madam, the elected Governments are supreme; and the Centre should not dismiss any elected Government. Our former Chief Minister, Dr. Anna and the late Dr. J. Jayalalithaji always stood for the States' rights and against destabilising the elected Government in any part of the country.

Madam Speaker, in the case of Jammu and Kashmir, it may be a different situation. The Government would have considered all the circumstances, pros and cons of such an imposition. The Government may explain the situation which warranted it to taking this extreme step. So, in essence, we are against the imposition of President's Rule in any State of our country. Thank you.

HON. SPEAKER: Now, Shrimati Supriya Sule.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Jaiprakash Narayan Yadav is standing. He normally speaks before me ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: It is not like that. When I am allowing you to speak, you can speak. His turn will also come.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Madam, I am thankful to you for giving me this opportunity on this very sensitive Bill.

I stand here with a heavy heart because Jammu and Kashmir is one of the prettiest States that we have, and which we all know, is in turmoil for the last several years. I would make a request to the hon. Home Minister in this regard. I want to ask him a couple of questions. Firstly, what is really the reason of imposing the President's Rule there? The reason being, we have not seen the Interlocutor's Report. Neither do we have Mr. Vohra's Report nor have we seen the late Dileep Padgaonkarji's Report. I am sure, to the present Government, the Governor must have reports about the status of Jammu and Kashmir which is going through one of its most difficult times. I still remember while I was sitting on that side, and Rainathii was on that side, and Sushmaii was saving from here: " अगर वे हमारा एक मारेंगे तो हम उनके 10 या 100 मारेंगे। " I still remember it. मैं बहुत प्रभावित हुई थी when she said that अगर वे हमारा एक बच्चा भी मारेंगे तो आप यहां से कुछ करेंगे। उसी अपेक्षा से हम आज आपको पूछें कि आर्टिकल 356 की जरूरत क्या है? पिछले टाइम मुझे याद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट था, अभी जम्मू-कश्मीर में सरपंचों का इलैक्शन हुआ था, there, the hon. Prime Minister, after meeting the Sarpanches, tweeted that 'this has been one of the best turnouts in elections.'

So, if Sarpanches elections can be held so well, why do we need article 356? Why do we need President's Rule there? So, why are we not going for elections there?

I was just talking to Dr. Abdullah before that General Hooda and Ex-DGP, Rajendra Singh are all saying that it is a disaster. These statements are in the public domain.

So, I would urge you that this is not the time for bullets; we need a good election. I would like to take this opportunity. I would not talk about Bommai Judgment and all that, but I would take us back to what Dr. B.R. Ambedkar had said in a small quote. When there was a discussion on article 356, and he introduced it, at that time, Pandit Hriday Nath Kunzru said: "May I ask my hon. friend to make a point clear? Is it the purpose of article 278 and 278A to enable the Central Government to intervene in provincial affairs for the good of the province?"

What Dr. Ambedkarji said was: "No, no. The Centre is not given any authority in the Constitution."

There is one more limited point. When he was asked again: "What if there is such a misgovernment in the province to endanger public peace?" Then, Dr. Ambedkar said: "There are two ways of handling it. First, the Governor has to give a warning; -- (I am just reading it in short) – second, order an election allowing the people of the province to settle the mattes by themselves."

So, when the Constitution and Dr. Babasaheb have clarified this, what was the reason of this imposition when the elected Members were trying to form a Government, especially because Jammu and Kashmir is a very sensitive State. The faster they have their own Government, the better it is for the stability for us and the entire nation.

Thank you.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद। अभी तक जितनी भी चर्चा हुई है, कुल मिलाकर के शिष्टाचार के दायरे में ही हुई है। जैसा कि सुप्रिया जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जम्मू-कश्मीर is a beautiful State और निश्चय ही इनकी बात की तस्द्रीक करते हुए मैं यह भी कहूंगा कि इस बात की पीड़ा सबको महसूस होती है। हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ भी हो, विचारधारा कुछ भी हो, पिछले 20-25 वर्षों से न जाने जम्मू-कश्मीर राज्य को क्या नजर लग गई कि हमें इस प्रकार के वातावरण से गुजरना पड़ा। A protracted nightmare of restlessness and militancy. जैसे एक शायर ने कश्मीर घाटी में जो गुजरा है, उस संदर्भ में कहा था कि-

मेरे बुजुर्गों ने जन्नत जिसे बनाया था, उस जन्नत को दोजख बना दिया तुमने।

इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका विश्लेषण इतिहास करेगा, इतिहासकार करेंगे। परंतु सुप्रिया जी की ही बात में बात को जोड़ते हुए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, किसी भी प्रकार से हमारी निष्ठा और संकल्प में जम्मू-कश्मीर के प्रति कोई कमी नहीं रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एक तरह से जम्मू-कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उससे पूर्व भारतीय जनसंघ की स्थापना की प्रेरणा हमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हुए उस बलिदान से मिली, जो बलिदान जम्मू-कश्मीर की धरती पर हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस विषय को लेकर के कुछ और विडंबनाएं या कुछ और बहस की आवश्यकता है। जहां तक हमारी प्रतिबद्धता का सवाल है, बहुत समय न लेते हुए, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वर्ष 2015 में एक सरकार बनी, उससे पूर्व वर्ष 2014 में एक इलेक्शन हुआ। मैं सीधे ही वर्तमान पर आऊंगा। महताब साहब ने ठीक कहा है कि it was a fractured mandate. हमसे

बहुत सारे सवाल किए गए। उस समय भी सवाल हुए कि बीजेपी ने किस प्रकार का गठबंधन कर दिया। हमारे ऊपर ताने भी लगाए गए कि श्यामा प्रसाद जी की विरासत को क्या हुआ? आप तो एक विधान की बात करते थे, एक निशान की बात करते थे, एक प्रधान की बात करते थे। अब आपने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया, जो सेल्फरूल की बात करती है और इत्यादि-इत्यादि करती है। आज ये अवसर है, यह कहने का कि this mandate was dictated by the people. हम तो उतरे थे मैदान में यह कहकर कि हमें 44 प्लस दीजिए, हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। लेकिन जनता को यह मंजूर नहीं था। We got a fractured mandate. वो पार्टियां लगभग एक ही संख्या में सामने आई, एक पी.डी.पी. और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। It was the mandate of the people that we should get together and form a Government as it normally happens in such situations where you come forward to form what is known as a minimum common programme or a coalition Government. So, we had to do so. अगर हमने नहीं कहा होता, तो वही लोग जो हम पर यह आरोप लगाते हैं कि आपने क्यों गठबंधन किया। हम पर यह आरोप लगाते कि आप लोगों का मैन्डेट लेकर भाग गए। आप सरकार बनाने से पीछे हट गए। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, वह ईश्यू नहीं है। ईश्यू यह है, ...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: हम इसी पर आएंगे, क्योंकि ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, किसी पार्टी का इतिहास बोलते गए हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: किसी पार्टी का नहीं, आपका और अपना बोलूंगा। ...(व्यवधान) आपका भी इतिहास बोलूंगा। मैं पांच मिनट से अधिक नहीं लेने वाला हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप मुझसे बात कीजिए। He has not been allowed(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: मैडम, चूंकि शिश थरूर साहब ने यह बात उठाई है, तो मैं उस बात का ही स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़-प्लीज़ आपस में बात नहीं करें।

...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अगर आप आप चाहेंगे तो मैं वहां से भी जाऊंगा। Kashmir today is an outcome of series of blunders committed by successive Congress Governments starting from Nehruvian blunders. The infamous Nehruvian blunders had led us to this आप ही ने कहा कि इतिहास बताओ। ...(व्यवधान) अगर नेहरू ने सरदार पटेल को कश्मीर उसी प्रकार हैण्डल करने दिया होता, जैसे बाकी प्रदेशों को किया है तो आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता। ...(व्यवधान) The Prime Minister at that time intruded into the domain of the Home Minister and did not let him function as a Home Minister as far as Jammu and Kashmir is concerned and this is the outcome today.

So, I think I will stop short with that and come back from the history. सन् 2015 में सरकार बनी, शिश जी ने ठीक कहा कि कुछ लोगों का यह मानना था कि It is an unnatural marriage. I would say that it was typical Indian marriage, it was not an unnatural marriage. हिंदुस्तान में कितने विवाह होते हैं, कहीं वर-वधू ने एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखी होगी, बाद में पता चलता है कि स्वभाव ही अलग है। In the larger interest of the family and in the larger interest of the social responsibilities they learned to live together. We, also in the larger interest of our realisation and of our democratic obligations, managed to live together. आप हमारी दाद दीजिए कि विचारधारा अलग होने पर भी, विचार अलग होने पर भी, भेदभाव होने पर भी, मतभेद होने पर भी, हमने इकट्ठे सरकार चलाने का प्रयास

किया, यह तो आपको शबाशी देनी चाहिए। हमने भारत की परंपरा को निभाया और प्रजातंत्र की परंपरा को निभाने का प्रयास किया, फिर 19 जून, 2018, I am coming straight to the President's Rule issue. I am glad that Shri Shashi Ji is at least listening to me. 19, जून 2018 को बीच में एक अंतराल दो-तीन वर्ष का आया, जबिक हमें ऐसा लगा, क्योंकि उस वक्त एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया था, जिसमें यह तय हुआ कि We will agree to disagree as we do in our typical Indian marriage and yet get along. That is why, I said it is in keeping with the Indian tradition. We agree to disagree on issues of ideology and keep them aside and concentrate on issues of development.

प्रो. सौगत राय (दमदम) : तो डायवोर्स क्यों हुआ?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: वही बता रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ ऐसे टोका-टाकी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: मैं उसी पर आ रहा हूँ, डॉयवोर्स आपने करवाया, वह भी मैं बता रहा हूँ कि वह कैसे हुआ। अब हम इकट्ठे चल पड़े, कॉमन मिनिम प्रोग्राम बनाया कि भाई बाल-बच्चों का ध्यान रखना, समाज का ध्यान रखना, बाकी अपना कर्म अदा करना, अपना विचार तुम्हें मुबारक और मेरा विचार तुम्हें मुबारक। तो यहां पर, इस विवाह में क्या था? विकास हमारा परिवार था। Development was hamara parivaar. We focussed on that. तीन साल गुज़र जाने के बाद, हमारे मतदाताओं ने, हमारे लोगों ने, हमारी जनता ने यह शिकायत करना शुरू किया, and very loudly and visibly कि यह जो एजेंडा ऑफ एलायंस बना है, यह उस तरह से आप नहीं निभा पा रहे हैं, जिस तरह से होना चाहिए था। क्योंकि दोनों पार्टियों में उस तरह का समन्वय नहीं है और विशेष कर जम्मू और लद्दाख से इस प्रकार की आवाज़ आने लगी। और ज़ाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं के लिए

जवाबतलब है और इसीलिए 19 जून को यह निर्णय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से बाहर आएगी। Prof. Saugata Roy is a very senior Member and is highly respected by me. I will rather dare say that this is one of the rare occasions where you were comfortably placed in the ruling seat of power and you decided to walk out. हमें किसी ने मजबूर नहीं किया था, बहुमत हमारे पास था।

डॉ. शशि थरूर: लेकिन जनता आपके पास नहीं थी।

श्री जितेन्द्र सिंह: नहीं, जनता के लिए इलैक्शन को तीन साल पड़े थे। यहां तो दो महीने पहले तैयारी की जाती है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है।

शायद दूसरी पार्टियों को इसलिए समझ नहीं आती कि यह भिन्न है। हमने कहा कि जिन्होंने हमें डिक्टेट किया था कि हम गठबंधन में आएं, यदि उनकी यह मंशा है कि हम गठबंधन से बाहर आएं, तो हम गठबंधन से बाहर आएं। So, dictated by the mandate of the people, we entered into coalition. Dictated by the will of the people, we walked out of the coalition. इस तरीके की कहानी है।

अब गवर्नर रूल आ गया। जम्म-कश्मीर का जो संविधान है, उसमें यह व्यवस्था है कि पहले छह महीने गवर्नर रूल होना चाहिए और वह लागू हुआ। उसी छह महीने के दौरान वहां पंचायत का इलेक्शन भी हुआ। जैसा सुप्रिया जी ने कहा, प्रधान मंत्री जी एवं गृह मंत्री जी ने उसकी सराहना भी की। Under the Governor's rule, a peaceful election was conducted. गवर्नर साहब ने इलेक्शन करवाया और यह उनकी दाद है। लेकिन उसमें कोई हिंसा नहीं हुई। वहां से लगभग 40 हजार पंच चुनकर आए हैं। वहां अफरातफरी पैदा करने के लिए अलगाववादियों की तरफ से बायकॉट कॉल हुआ। मुझे लगता है कि this is something that we have to appreciate.

वहां पोलिटिकली क्या हुआ? इस पंचायत इलेक्शन में कुछ राजनैतिक दल एक्स्पोज़ हुए। Now, that is how the President's Rule comes in, all of a sudden, कुछ पार्टियों ने इसका बिहिष्कार किया, इसका बायकॉट किया। जैसा महताब साहब कह रहे थे, उसमें नेशनल कांफ्रेंस थी, उसमें पीडीपी थी। शुरू में कांग्रेस थोड़ी-सी डगमगाई कि करें या नहीं करें। बाद में उन्हें लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सारे देश में चुनाव लड़ना है, इसलिए शायद ठीक नहीं रहेगा। Finally, they also came in. वहां इलेक्शन हुआ और उसका परिणाम निकला। भारतीय जनता पार्टी को व्यापक तौर पर बहुत अच्छा परिणाम मिला। अब तो यह आँकड़ें बताते हैं। I cannot help if we have won. लोगों ने हमें जिताया। हम दोनों कारपोरेशन में जीतें। जम्मू में हमारा मेयर बना और श्रीनगर में हमारे समर्थन से पहली बार कोई मेयर बना। In the local body, the majority was with the BJP.

इसी प्रकार से पंचायतों का भी परिणाम आया, हालांकि यह नॉन-पार्टी था। Anyway, I will not go into the figures. आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बारे में हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं केवल राजनीतिक बात रखूंगा। जिन पार्टियों ने इलेक्शन का बिह्म्कार किया था, जिनमें नेशनल कांफ्रेंस तथा पीडीपी थी, उन्होंने कहा कि उस समय 35-ए को लेकर बहस चल रही थी। हालांकि वह न कोई मुद्दा है और न ही हम उसमें जाएंगे। हमने 35-ए को प्रोटेक्ट करने के लिए बिह्म्कार किया और हम इलेक्शन तब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक 35-ए का फैसला न हो। Now the same Party, on the other hand, is very keen to go in for the Assembly elections. जब इलेक्शन हो जाता है, तो उनको लगता है कि the Bharatiya Janata Party has made a sweep. इसलिए, वे घबरा गए। अब वे कहते हैं कि आप तुरंत इलेक्शन करवाइए। पहले वे 35-ए को बचाने के लिए इलेक्शन का बिह्म्कार करते हैं और अब वे इलेक्शन की मांग करते हैं। उनका असली स्टैंड क्या है, यही किसी को पता नहीं है।

In fact, they have been unfaithful even to their own electorates. These were the Parties, whose core constituency is Kashmir Valley, which have betrayed their own constituents. They have, in fact, bluffed them by changing their stance after the results of the local body came. Now they say they want to fight elections to protect article 35A. Earlier they said they wanted to boycott the election to protect article 35A. Now, in this gadbadahat, all this started. They started coming together. They said कि नेशनल कांफ्रेंस जुड़ जाएगी, पीडीपी जुड़ जाएगी, कांग्रेस भी एक साथ हो जाएगी और हम एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ताकि बीजेपी सामने न आएं। अभी जैसा शिश जी कह रहे थे कि पीडीपी और बीजेपी अलग-अलग विचारधाराओं के थे। यहां पर तीन पार्टियां हैं, जिनमें विचारधारा तो दूर, शायद कभी एक-दूसरे की सूरत देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वे इकट्ठे आ गए कि कहीं बीजेपी न आ जाए। लोकल बॉडीज़ के परिणाम ने उनको इस कदर खौफज़दा कर दिया कि उनको असेम्बली की शक्ल दिखायी देने लगी।...(व्यवधान) मैं वहीं आ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप उनका जवाब मत देना।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record. Only the Minister's statement will go on record.

...(Interruptions)...*

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अभी मेरा आधा मिनट बाकी है। उसमें मैं बात करूंगा।...(व्यवधान) उसी में बात समाप्त हो जाएगी। अगर आप आधा मिनट इंतजार करेंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा।...(व्यवधान)

.

^{*} Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: आप लोग आपस में टोका-टाकी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: इस दौरान आप और भड़केंगे।...(व्यवधान)

There was a phase of competitive separatism. Dangerous statements have started coming in from the leaders of Congress, National Conference and Peoples Democratic Party. ...(Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: They wanted to form a Government. ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Please sit down.

... (Interruptions)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: मैं आपको बताता हूं। ...(व्यवधान) कभी वे फौज को गाली देने लगे, कभी एयरफोर्स को गाली देने लगे, कभी वे भारत की प्रभुसत्ता को गाली देने लगे।...(व्यवधान) In fact, this has been the trend with some of these parties that when in power they swore by India and when out of power they talked in separatist jargons. Separatism is by convenience for them and not by ideology. ...(*Interruptions*)

I would say that the so-called mainstream political parties in Kashmir, whether it is the National Conference or PDP or Congress, may be playing a more dangerous role than the separatist lobby because the separatists are identified. ...(Interruptions) They are working in a camouflage and playing separatism in the garb of mainstream. वे मुख्यधारा का चोला पहनकर के अलगाववाद का एजेंडा चला रहे हैं मात्र और मात्र किसी अपनी कांस्टीट्यूएंसी के अपीजमेंट के लिए। इलेक्शन क्यों नहीं कराया, मैं इस बात को कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। हमने यह कभी नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते।

भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे, 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम हर समय इलेक्शन मोड में हैं। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखिए, एक चुनाव समाप्त होता है और दूसरा चुनाव किसी प्रदेश में 8 माह के बाद होना होता है, वे उसी दिन सायंकाल उसकी बैठक ले लेते हैं। हम कोई रसोईघर की पार्टी नहीं हैं। मैं उससे ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर भड़क जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं होता कि खाना परोसते-परोसते माँ-बेटा फैसला करते हैं। हमारी एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: गणेश सिंह जी, बैठिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: Nothing will go in record except the speech of the hon. Minister.

..... (Interruptions)...*

HON. SPEAKER: Hon. Minister, please conclude your speech.

... (Interruptions)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। यह एक व्यवस्था के अधीन, एक अनुशासन के अधीन काम करने वाली पार्टी है, 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। मैं फिर कहूँगा कि यहाँ खाना परोसते-परोसते माँ-बेटा फैसला नहीं करते हैं। ...(व्यवधान)

अब बात आती है इलेक्शन की, हम तो कह रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हों तो हम आज भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अगर आप अभी से एनाउंस करें। We are always in election mode. इलेक्शन किसने नहीं होने दिया और क्या किया? खड़गे साहब ने उस समय टोका था, मैं इन्हें याद

_

^{*}Not recorded.

दिला देता हूँ। जम्मू-कश्मीर इलेक्शंस की अगर कहीं खिलाफवर्दी हुई और एब्यूज हुआ है तो वह भी

उसी पार्टी ने किया है. जिसने 50 साल वहाँ सत्ता की।

The rigging of 1987 elections was a turning point in the history of Jammu

and Kashmir. उसके बाद ये सब लोग जो आज अलगाववाद चला रहे हैं या उसके नेता बने हैं.

पाकिस्तान के हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, ये उस समय इलेक्शन में खड़े हुए थे। यही गठबंधन था, इन्हीं

पार्टियों का गठबंधन था। जिन्होंने रिगिंग किया, उनको हराया, ताकि विपक्ष कहीं सामने न आए और

उसका नतीजा आज सामने है।

We believe in elections in the spirit of elections and not in the kind of

elections which you have been practising in Jammu and Kashmir. वास्तविक प्रजातंत्र

देने का अगर प्रयास और संकल्प किसी दल ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके

अतिरिक्त गृह मंत्री जी उत्तर देंगे, लेकिन जहां तक प्रेसीडेंट रूल आया, उसके उपरान्त विकास कार्यों

की गति भी बढ़ी है और लोगों को भी इस बात की तसल्ली है कि उस प्रकार के अफरातफरी के

वातावरण से उनको मुक्ति प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी सदा चुनाव के लिए तैयार है। आज कहें, तो

आज तैयार है, लेकिन हम उस तरह का चुनाव न लड़ेंगे, न करवायेंगे, न प्रोत्साहित करेंगे, जैसा कांग्रेस

पार्टी करती रही है।

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): धन्यवाद। अच्छा हुआ, मंत्री जी को आपने बुलवा दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष जी, यह एक बहुत अच्छे विषय पर उन्होंने बहस की। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, मैंने मोहम्मद सलीम का नाम लिया। उनके बाद आपको अवसर दूंगी।

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, मंत्री जी बोल दिए, यह अच्छा हुआ, वरना बिना चर्चा के ही पास हो जाता।

मैंने आपको लिखित रूप से दिया था, यह भी एक अच्छी परंपरा है, मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था कि लोकतंत्र में हम पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद पास करते हैं। आप नयी परंपरा डाल रहे हैं, पहले पास करते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। यह हमारी संसदीय परंपरा नहीं थी, एक नई परंपरा डाली जा रही है। आपके मुंह से बुलावाया, मैंने नहीं बोला। ...(<u>ट्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : क्या ?

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, आपने एक्सेपशनली यह मौका दिया है।

दूसरी बात, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। India is a Union of States. हम किस तरह से देश चला रहे हैं, उसका यह नमूना है। मंत्री जी, बहुत अच्छे मंत्री हैं। उनको यहां बोलने का मौका मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोकतंत्र और चुनाव में पूरे वर्ष व्यस्त रहती है। 70 सालों में यह पहली बार हुआ, जनसंघ से लेकर भाजपा तक, अभी पांच राज्यों में असेम्बली के चुनाव हुए, किसी भी भाषण में कश्मीर की चर्चा किसी नेता ने नहीं की। कश्मीर दिखा कर वोट मांगते थे। ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही): मध्य प्रदेश के चुनाव में कश्मीर की बात करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, बिहार में पाकिस्तान बोलते थे, मध्य प्रदेश में कश्मीर नहीं बोलेंगे, यह अच्छा हुआ। इससे पता चलता है कि पिछले चार सालों में आपने देश को कैसे चलाया। यहां हमारे पूर्व लौह पुरुष आडवाणी जी मौजूद हैं। ...(व्यवधान) आडवाणी जी अभी भी हैं, लौह पुरुष पहले थे। अभी तो चीन का आयरन लाकर पुराने लौह पुरुष की मूर्ति बना रहे हैं, हम देशी लौह पुरुष की बात कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप क्या बात कर रहे हैं, आप पसर्नल बात क्यों कर रहे हैं?

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, हम जानते हैं वे डिस्टर्ब करेंगे, वे कश्मीर के मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप पसर्नल बात नहीं कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, आखिर ऐसी क्यों हालत हुई? मंत्री जी मैं पुराने इतिहास की बात नहीं सुनना चाह रहा था। आज कश्मीर की क्या हालत है? जहां इतने अच्छे ढंग से चुनाव हुए, सदन में हमने वाह-वाह किया, विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनी। आज ये महानता दिखा रहे हैं कि हमारी टर्म बाकी थी, फिर भी हम गठबंधन से बाहर आ गए। ये मैंने नहीं कहा, विवाह और तलाक को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मैं मंत्री जी की बात कह रहा हूं। वे जो भी कहें, इसका मतलब है It was a marriage of convenience. कोई भारतीय या विदेशी कुछ नहीं था। आपने मैरेज ऑफ किन्विनएंस कहा, आपने जो कहा उसका मैंने हिन्दी शब्द का अंग्रेजी शब्द कहा। इंडियन मैरिज में कहते हैं, जनम जनम का साथ है, सात फेरे लेकर साथ जिन्दगी का होता है, आपने कहा कि नहीं यह दो साल के अंदर हो सकता है। आप नयी भारतीय परंपरा भी डाल रहे हैं, ठीक है। मामला यह है कि अभी हमारे गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी आई, चूंकि प्रेसिडेंट रूल का मतलब है governance by proxy कश्मीर का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी सुप्रिया सुले जी ने कहा कि इसका समाधान सिर्फ बुलेट से नहीं बल्कि बैलट से होना चाहिए। जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, इसमें लोगों की

हिस्सेदारी घट गई, सिर्फ राजनीतिक दल की नहीं घटी। हमने अपने लोगों को नेता बना दिया, लेकिन वे आर्टिफिशिएल नेता हैं। कश्मीर का मामला आपका नहीं है, यह पहले से परेशानी हो रही है कि हम अगर बाई प्रोक्सी चलाते हैं, अपने पसंदीदा लोगों को नीचे से लेकर ऊपर तक बैठाते हैं तो जो कश्मीर का अलगाव है, जो आतंकी हैं, सीमा पार के लोग हैं जो हमारी देश विरोधी ताकतें हैं, वे जो करना चाहते हैं उनको ज्यादा बल मिल जाता है।

कश्मीर में अभी नवम्बर के महीने में इतनी बर्फबारी हुई, अगले हप्ते कोई बर्फबारी नहीं है, किसानों के लिए ऐसी बर्फबारी अच्छी होती है। लेकिन एपल ग्रोअर बहुत परेशान हुआ। उनकी परेशानी के लिए असेम्बली में चर्चा होनी चाहिए। हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, राष्ट्रपति शासन ले आएंगे, आज यहां तिमलनाडु और आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य यहां बोल रहे हैं, सभी जगह कभी न कभी 356 लगाया गया था और उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारी पार्टी वर्ष 1957 से 356 का विरोध कर रही है। आपको यह भलीभांति मालूम है। यह इस सरकार या उस सरकार का मामला नहीं है। गृह मंत्री जी, आपकी सरकार आने के बाद आपने कहा था कि हम कश्मीर में पोलिटीकल प्रोसेस शुरू करेंगे, आज कश्मीर की जो समस्या है वह ill-thought of policy or without policy, without a roadmap, mishandling and inept handling of Kashmir issue अभी यह आपके रुपर थोपा जा रहा है, गलतियां दिग्गज नेताओं ने की, मैरेज ऑफ कन्विनिएंस करके, अभी यह आपके सिर थोपी जा रही है।

मामला इतना बुरा नहीं था। आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, हम अनंतनाग में बाय इलेक्शन नहीं करा पाए। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग में हम बाय इलेक्शन नहीं करा पाए क्योंकि सिचुवेशन साथ नहीं दे रही थी। इन्होंने पार्टीसिपेट नहीं किया, उन्होंने पार्टीसिपेट नहीं किया इसके लिए नहीं था। ग्राउंड रियलिटी, आपका एसेसमेंट, हम अगर वहां पर कश्मीर में, देश में लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म फंक्शनिंग नहीं करेगा, जम्मू-कश्मीर के लोग जो भारत के साथ सेक्युलर डेमोक्रेसी के

लिए आए थे, अगर वह सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी थ्रेटेंड होता है, तो फिर उनके लिए उनका अपना जो सवाल है, जिसके लिए वे भारत के अटूट अंग है, केवल भाषण देने से नहीं होगा। वहां हमारी सिक्योरिटी फोर्स अपना खून बहा रही है। There is 72 per cent increase in the martyrdom of our security forces in the last four years. आपने इसीलिए चर्चा नहीं की। सिक्योरिटी फोर्सेज की हत्या में 72 फीसदी का इजाफा हुआ है। सिविलियन मर रहे हैं। प्लीज मैडम, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, इस जगह कश्मीर की बात नहीं होगी तो कहां होगी? आपने असेम्बली को भंग किया, चूंकि आपकी पसंद की सरकार है, ठीक है। मेघालय से लेकर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आपने ऐसा किया। एक-दो सदस्य लेकर सरकार बनाएंगे। मंत्री जी. एक नयी परम्परा डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि सूरत ऐसी बनी, संविधान ने सूरत देखकर फैसला करने को नहीं कहा। बोम्मई जजमेंट की बात आई, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट की बात आयी। यहां हमने बार-बार चर्चा की। बिहार में आपको एक बार राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद वापस लेना पड़ा था, ऐसी भी स्थिति बनी थी। आपको यह समझना चाहिए कि पोलिटिकल फायदे के लिए कश्मीर जैसे मामले को आप अगर अपनी राजनीतिक परेशानी को, राजनीतिक हथकंडे को देश की समस्या बनाएंगे तो आपको यह देश कभी माफ नहीं करेगा। जम्मू-कश्मीर के लोगों का मामला एवं उनकी मांगो की चर्चा यहां पर होनी चाहिए जब तक असेम्बली नहीं है। आपको यहां पर जगह निकलनी पड़ेगी जैसे अगर आप किसानों के मामलों पर यहां चर्चा नहीं कराते हैं, तो किसान सड़क पर उतरते हैं। कश्मीर के मामलों पर अगर यहां चर्चा नहीं कराएंगे, तो सड़क पर कश्मीर के लोग उतरेंगे और पैलेट गन से मामला हल होने वाला नहीं है। आप कितनी कोशिश करेंगे, आपको यह समझना पड़ेगा कि India stands for ballots, not for bullets. पूरे देश में हमारी पहचान है।

श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आज जम्मू-कश्मीर मामले में बहस की शुरुआत की है। जब मैं रक्षा मंत्री था, तो जम्मू-कश्मीर के मामले को हल करने के लिए वहां दस दिन रहा। वहां सभी पक्ष के लोग आए, माननीय राजनाथ सिंह जी को पता है, आप वहां बाद में पीएसी कैम्प तक गए थे, फिर वहां से वापस आए थे, लेकिन हम वहीं सीमा पर चले गये। हमें वहां के एयर चीफ एवं आर्मी चीफ ने रोका था, मैं नहीं रुका। वहां रोजाना बर्फ पड़ती है। आज वहां फौज काम कर रही है। मैं रक्षा मंत्री था, फौज हमारा विभाग था। वहां फौज ज्यादा लगा दी तो, मैंने मना किया कि इतना मत लगाइए। लेकिन, वहां के लोग जो मिले थे वे पूरी तरह चाहते थे कि समस्या हल हो जाए। जो लोग उसके खिलाफ हैं, वे लोग भी और जो उसके पक्ष में हैं, वे लोग भी। फिर दोनों को मैंने बुलाया, दोनों की हमारे सामने बातचीत हुई। बातचीत में यह निकला कि आप जो फैसला करेंगे हम उसे मानेंगे। फैसला करने के लिए, मैंने कहा कि मुझे उस जगह घूमा दो, जहां लोग जाना नहीं चाहते हैं। वहां एक तालाब है, हम उस तालाब के पास गए। तालाब में हम घूमे, परन्तु किसी ने हम पर हमला नहीं किया। फिर एक दूसरी जगह है, जहां कोई नहीं जा सकता था, वहां हम तीन दिन तक ठहरे थे।

जब मैं वहां तीन दिन ठहरा तो सभी लोग मुझसे बात करने आए। हमने बातचीत की। सच्चाई यह है कि सभी लोग पूरी तरह से तैयार थे कि हम एक हैं और हममें किसी तरह का मतभेद न रहे। उसके बाद जब हम वहां के अधिकारियों को लेकर हेलीकॉप्टर से गए, मैंने तीन जगह हेलीकॉप्टर उतारा, तीनों जगहों पर हमारा स्वागत हुआ और कहा कि हम लोगों के बीच कोई भी मतभेद नहीं हो सकता है, अगर कोई मतभेद कराता है तो वह दिल्ली की सरकार है। वे उस समय की सरकार पर आरोप लगा रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है, यह मामला हल हो सकता है, लेकिन अगर सरकार में हिम्मत हो तो। गृह मंत्री जी, आपको पता है, आप पीएसी के कैम्प से ही वापस आ गए थे। मुझे पता है, आपको आगे जाने नहीं दिया होगा। मैंने किसी की बात नहीं मानी और हम वहां

चले गए। किसी की बात नहीं मानी। आपको पता है कि हम वहां तक गए, जहां पर 24 घण्टे बर्फ बरसती है। ऐसी स्थिति में हमारी फौज काम कर रही है। उस समय फौज का विभाग हमारे ही पास था। वहां जब मैंने सभी अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार इजाजत दे तो हम यह समस्या हल कर देंगे। जो दो हिस्सों में वह क्षेत्र है, हमारी मांग रहती है कि वह हमारा है, वह सब समस्या खत्म कर देंगे। मैंने यहां यह बात ... * से कही। कृपया करिए, अगर ... * जैसे कमजोर लोग होंगे तो देश में कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि वे तैयार हैं बातचीत के लिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ... * का नाम नहीं रखना, यह ठीक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, ... * इतना डर गए कि वह नहीं गए। वह कुछ दो किलोमीटर तक गए, लोगों ने समझाया कि आप जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी गए थे। मुलायम सिंह यादव ने अपने को जोखिम में डाला था, लेकिन किसी ने हमारे खिलाफ नहीं कहा, सभी ने स्वागत किया। सभी पक्षों के लोग वहां आए, सब एक हो गए कि हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन असलियत यह है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वे चाहते थे कि झगड़ा अच्छा है, इससे हमारी पूछ होगी। यह नहीं हो पाया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुलायम जी, धन्यवाद। ठीक है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर सरकार की ओर से एक होकर, पूरे प्रयास किए जाएं तो ऐसा संभव हो सकता है। गृह मंत्री जी, आप कोशिश करिए, हम आपको सहयोग करेंगे और मैं आपको कुछ बताऊंगा भी। इसलिए मुझे खुशी है कि आज आप इस पर बहस करवा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

.

^{*} Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : अरविंद सावंत जी, बहुत संक्षेप में बोलिए। लम्बी चर्चा नहीं करनी है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): अध्यक्ष महोदया, यह एक अतिशय महत्वपूर्ण विषय है। कश्मीर हमारा सिर है। वहां जब भी कोई गंभीर स्थित आती है तो बहुत दर्द होता है। इतिहास तो सभी जानते हैं। आप भी जानती हैं कि वन्दनीय हिन्दू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी कार्टून निकालते थे और कश्मीर के कार्टून बहुत अलग से निकालते थे। कितना भी दूध पिलाओ, तब भी जहर निकलकर आएगा, इस तरह के कार्टून वह निकालते थे। यह दर्द भरी बात है कि हम संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, हालांकि डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी चाहते थे कि इसका इस्तेमाल कम से कम हो, कभी न हो तो ज्यादा अच्छा होगा। एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है कि अगर हम अन्तर्मुख होकर देखें तो कितनी बार आपने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया होगा, वह आपको पता चलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दो अलग विचारधाराओं के लोग इकट्ठे आकर सरकार बनाई। माननीय जितेन्द्र साहब ने बता दिया कि क्या स्थिति थी और किसलिए हम लोग इकट्ठे आए थे, लेकिन एक चीज जाननी चाहिए थी कि इनके साथ में जाकर भी कुछ नहीं बनेगा। अभी सलीम जी चले गए, मैं उनसे दो-तीन सवाल पूछने वाला था।

क्या आपको दर्द नहीं होता, जब वहां छोटे-छोटे बच्चे हमारे जवानों पर पत्थराव करते हैं? वहां राज्य की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उसके बावजूद हमारे जवानों की हत्या हो रही थी। उसके बावजूद जवानों पर पत्थराव हो रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी? उसके ऊपर जो भी राजनीति करनी है या टीका-टिप्पणी करनी है, कर लो, हम उस बात में नहीं जाना चाहते हैं। हमें दर्द इस बात का है कि सरकार आने के बाद भी हमने इतने सालों से पंडितों को वापस लाने की बात नहीं कही। क्या इनमें से कोई बोला कि जम्मू-कश्मीर में पंडित थे? हिर सिंह से इतिहास निकालेंगे, तो वह बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन वहां से पंडितों के जाने के बाद क्या किसी

एक सरकार ने प्रयास किया कि पंडितों को वहां वापस लाया जाए? हमें उम्मीद थी कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद हमारी सरकार कुछ कदम उठाएगी। यहां भी हमारी सरकार आई है तो हमने सोचा कि पंडित वहां वापस आ जाएंगे। अब वहां राष्ट्रपित शासन है, इसलिए मैं राजनाथ सिंह जी से मांग करता हूं कि आप बहुत कठोर और सक्षम हैं, इसमें भी आपको सक्षम होना चाहिए। एक बहुत गंदा इल्जाम लगा है कि प्रॉक्सी गवर्नमेंट है। राष्ट्रपित का शासन यानी प्रॉक्सी शासन होगा। वल्लभ भाई पटेल की याद आई, उन्होंने सही कहा था कि उस वक्त गलितयां हुई हैं। वहां राज्य का अलग ध्वज है, वहां की नीतियां अलग हैं। यह जो धारा 370 है, हम बार-बार बता रहे हैं, आप इससे क्यों उरते हैं? डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में यही कहना था कि वे मुख्यधारा में आने चाहिए। जम्मू-कश्मीर को हम यदि अलग रखेंगे और मुख्यधारा में आने नहीं देंगे, तब तक ये बातें चलती रहेंगी।

वहां जितने भी संकट आए, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। यह नहीं सोचा कि किसकी सरकार है। उनकी आपित पर वहां दौड़कर गई और जितनी मदद चाहिए, दे दी। फिर भी आतंकवाद बढ़ रहा है। क्या आपको अच्छा लगा कि अनंतनाग में चुनाव नहीं हुआ? आप अभी जो अनुशासन लाने की बात कर रहे हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि उसमें पहला कदम पंडितों को वापस लाने का किया जाए। दूसरा कदम धारा 370 खत्म करो और जम्मू-कश्मीर की जनता को कहो कि आपको भी हम मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। सरकार "सबका साथ सबका विकास" की बात करती है, इसलिए हमें उनका साथ भी चाहिए। हम जम्मू-कश्मीर का भी विकास चाहते हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहते हैं।

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदया, बहुत गंभीर विषय पर बात चल रही है। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। जम्मू-कश्मीर में धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हमारी सरकार, हमारे प्रधान मंत्री "एक राष्ट्र-एक चुनाव" की बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि पहले दो इलेक्शन एक साथ हुए थे, उसके बाद बैलेंस बिगड़ा और धारा 356 को मिसयूज करने का सिलसिला शुरू हुआ। पंजाब में भी बहुत बार धारा 356 को यूज किया गया और चुनिंदा सरकारें तोड़ी गई। आज भी ऐसा चल रहा है चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो। कर्नाटक के लिए अलग रूल है, 24 घंटों के लिए बड़ी पार्टी का मुख्य मंत्री बना दिया जाता है, वही चीज गोवा में नहीं होती है। दिल्ली में भी ऐसे ही हो रहा है कि चुनिंदा सरकार के मुख्य मंत्री को नौ-नौ दिन, दस-दस दिन एलजी के घर पर धरना देना पड़ रहा है। राज्यपालों के जरिए चुनिंदा सरकारों को तंग करने का सिलसिला संघीय ढांचे के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। एक तरफ मंत्री जितेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि बीजेपी अनुशासन पसंद पार्टी है और लोकतांत्रिक कीमतों को निभाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप दिल्ली को देश का हिस्सा नहीं मानते हैं? जिस घर में एलजी साहब रहते हैं, अंग्रेजों के समय वहां वायसराय रहते थे। शायद उनकी आत्मा एलजी साहब में घुस गई है कि वे लाट साहब के डंडे से दिल्ली चलाते हैं और जो जनता के पक्ष की स्कीमें हैं, उनकी फाइलें क्लीयर नहीं करते हैं और हड़तालें, धरने देने पड़ते हैं। चुने हुए मुख्य मंत्री के घर पर कभी सीबीआई छापा डालती है, कभी दरोगा भेजकर तंग करते हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर भारत का स्वर्ग है, इसलिए वहां धारा 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

महोदया, मैं आखिर में राहत इंदौरी की दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा –

"सरहद पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या"

महोदया, तनाव को चुनाव के लिए देश में यूज किया जाता है। जम्मू-कश्मीर में धारा 356 का मैं विरोध करता हूं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): माननीय अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर में जो स्थिति उत्पन्न हुई और उसके फलस्वरूप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया, इस विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद में मुहर लगेगी कि बहुमत किसका है, इसका फैसला फ्लोर पर तो नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी पंचायत संसद आज उस पर मुहर लगा देगी।

मैं मानता हूँ कि यह असंवैधानिक है। राष्ट्रपति शासन लगाना असंवैधानिक है और जम्मू-कश्मीर में संसदीय लोकतंत्र के पैर को कतरने का काम किया गया है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति शासन लगाकर बहुमत को नकारा गया और लोकतंत्र की हत्या की गई, मैं यह मानता हूँ।

माननीय मंत्री आदरणीय जितेन्द्र सिंह जी ने अभी कहा कि हम लोग हमेशा इलेक्शन के मूड में रहते हैं। आप जब इलेक्शन के मूड में रहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वहाँ जो असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो कितने दिनों के अंदर इलेक्शन की तिथि की घोषणा करके वहाँ पर इलेक्शन कराना चाहते हैं। मैं माननीय जितेन्द्र बाबू से यह पूछना चाहूँगा।

ढाई वर्ष पहले माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुझे जम्मू-कश्मीर जाने का मौका मिला। हमारी सिमित वहाँ गई थी। आदरणीय शरद यादव जी, जो सदन में नहीं हैं और श्री येचुरी साहब सिहत कुछ और माननीय सदस्य साथ में थे। उस समय कहा गया था कि वहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाना उचित नहीं है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करके हम सभी लोग जम्मू-कश्मीर में निकल गये। कई लोगों ने कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जहाँ-जहाँ गये, हमें मना भी किया गया कि यहाँ नहीं जाइए, उनके दरवाजे पर नहीं जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग क्या हैं, यह आप लोग देख लीजिए। आप आये, तो कौन आपका कत्ल कर रहा है, आपको कौन मार रहा है? हम इसी हिन्दुस्तान के हैं, इसी भारत के हैं, इसी मिट्टी-गिट्टी के हैं। हम यहीं कफ़न लेते हैं, यहीं दफ़न लेते हैं, इसी हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए हमारा खून बहा है। हम ऐसा नहीं करते हैं।

माननीय गृह मंत्री जी, मैं उन बातों की याद दिला रहा हूँ। इसीलिए मैं मानता हूँ कि पूर्ण बहुमत को नकारा गया है, संसदीय लोकतंत्र की हत्या की गई है, बहुमत को साबित नहीं करने दिया गया है, डेमोक्रेसी को बुलडोज़ किया गया है और सभी संस्थाओं पर ग्रहण लगाने का काम किया गया है। संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसका फ्लोर पर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन यह टेस्ट आपने नहीं किया। हम माननीय जितेन्द्र बाबू से चाहेंगे, जैसा कि वे कहते हैं कि वह हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं, तो वहाँ कब इलेक्शन कराएंगे, उसकी तिथि तो बता दीजिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वहाँ पर लोकतंत्र बहाल होना चाहिए और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, thank you very much for the opportunity. I rise to oppose the Statutory Resolution, which has already been passed. I am only confining to the legal point alone.

Article 356 of the Constitution is very specific that when there is a failure in the constitutional machinery of a particular State, then only the chance of invoking Article 356 of the Constitution comes into play. The pertinent question to be discussed in this House regarding the Statutory Resolution is as to what is the political situation prevailing in Jammu & Kashmir. A popular Government has been there in Jammu & Kashmir, where there has an alliance between the PDP and the BJP. Whether it is a natural alliance or an unnatural alliance is out of question as far as the Constitution is concerned. Whether it is a natural alliance or an unnatural alliance or an unnatural alliance or an unnatural alliance or

The only question to be considered is when the BJP has withdrawn the support of the coalition Government, what is the next course of action the Governor has to take? Is there a chance to form an alternate Government? Is there a chance of forming another popular Government, especially in the State of Jammu & Kashmir, a sensitive State? The Country is highly concerned about the political situation in the State. The Governor ought to have sought an opinion to know whether there is any chance of forming a popular alternative Government in the State of Jammu & Kashmir.

Madam, you may kindly see, the three major political parties of the State – National Conference, PDP and the Congress, all the three political parties have given in writing that they are ready to form a coalition government so as to have a coalition government in the State of Jammu & Kashmir.

The constitutional responsibility of the Governor is to go for a floor test or give a chance to have a coalition government. In Justice S R Bommai case, it is very clear that a floor test is required. My point is that even in the S R Bommai's Judgment, it is well stated that if there is no chance of having a floor test, then the Governor of the particular State should give in writing as to why there is no chance of having a floor test.

I would like to know from the hon. Home Minister whether the Governor of Jammu & Kashmir has given in writing as to why the floor test was not possible in the State of Jammu & Kashmir. I request him to share this information with this House whether such a situation is prevailing, whether such a report has been given by the Governor in writing.

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): I am glad that the hon. Home Minister is here. The State of Jammu & Kashmir is going through a great turmoil. Unfortunately, this turmoil does not seem to end. We still have terrorism, there is no doubt about it, and we have to deal with it. But the only solution is not the Army or the Police.

The hon. Home Minister was kind enough to go with the Parliamentary Delegation to the State and he met people there other than those who belong to the Hurriyat. It would have been a good thing if he had met them also so that they would also put their views. They would have also put their points and, maybe, then something could have been arrived at. Without discussion with the people, we will arrive nowhere.

Already, as other hon. Members have spoken, two years were spent by the Late Padgaonkar ji and his team who visited every place and met everyone in Jammu & Kashmir. That report is still here and has not been presented by the Government to Parliament which should have been done so that everyone would know what they saw and what their views were but nothing was done.

Today, we now have the President's Rule in Jammu & Kashmir. In that President's Rule, it becomes a direct rule from Delhi. That is also not a solution to the problem of Jammu & Kashmir. You will have to hold elections there, and those elections will have to be held as soon as possible so that an elected government comes there and they can look after the affairs of the State. In that, Government

of India's help will be greatly needed because a lot of assistance will be needed to develop the State from the destruction it has gone through over the years.

Madam, we have three distinct regions of the State – Ladakh, Jammu and Kashmir. If all are united together, it becomes a 'Mini India'. If we do not protect everyone in that 'Mini India', we will not be able to safeguard the people of that State.

One of the very important things is the unfortunate killing that takes place in the State. So long as you kill militants, none of us will be against it but when civilians get killed, it gives a great shock and those of us who stand with this nation are really pulled back. We no longer hold our ground. Therefore, my request to the Government of India is that something has to be done immediately not waiting too long and it has to be done now.

Many of the projects in the State have not been undertaken. Already, the hon. Minister himself has seen that even the tunnel that had to be started long time ago in Zoji-la still stands undone, rail which should have been there in 2015 is still not there and when it was 2015, they said that they will see to it. The road itself is in a very critical condition on the stretch of 30 kms between Ramban and Banihal. This continues to create trouble for us. Even when there is a light rainfall, the road gets washed out.

14 00 hrs

Madam, as you know, this used to be a heaven once. Unfortunately, it has been turned into a hell. The situation can be retrieved now.

Many of you would not like it if I say that our neighbour has a part of our land. You all know that land exists with them. Part of that land has been given to China - Aksai Chin and the areas – which they had no right to give.

I am sorry to say, no solution from terrorism will come, till some sort of a way is found in talking to that country. Already you are seeing you have got a corridor for the Sardars to visit Kartarpur. Similarly, our Kashmiri Pandit brothers want Sharika Devi temple to be visited. No action has been taken to this date to see that some movement is made so that these people could go and visit the temple. That has not been done.

My request to you is that we should move forward without hatred between each other. Many of the policies I may not like of yours and many of the policies you may not like of mine. But if India has to survive, then Kashmir has to be given the priority that it needs.

No longer, I beg of you, no longer can we continue to suffer as we are suffering today. However much you may say that every village is electrified, when we have no electricity what will you electrify? To this day we continue to suffer. After 70 years of Independence of India we do not have good power.

HON. SPEAKER: Now conclude.

DR. FAROOQ ABDULLAH: I need only one minute more.

I request all Members of this House irrespective of the party they belong to, to please help us get that State back to normal, not by killing but by winning hearts.

Prime Minister himself announced from the ramparts of the Lal Quila that we have to win the hearts. I want to say here what Vajpayee-ji said just near the Pakistani border and they could hear what he was saying. He said, "Friends can be changed, neighbours cannot be changed". We either live with friendship with neighbours and progress or live with disharmony and thereby let our progress and their progress come down.

My appeal to this House and to every Indian is, please own Jammu and Kashmir, own the people of Kashmir. We are not Pakistanis, we are not militants. We are part of this land, we have joined this land. Please help us get out of this tragedy that we are facing today.

Thank you, Madam, for your time.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, पहले तो मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस सदन ने राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 19 दिसम्बर 2018 को संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है, उसको अनुमोदित किया है, इसलिए उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो अपना स्टेट्युटरी मोशन मूव कर दिया, स्टेट्युटरी मोशन बिना चर्चा के पास हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि मैं भी चाहता था कि इस पर चर्चा हो। ज्यों हीं आपने मुझसे पूछा कि अब यह मोशन पास हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो मैंने सहज रूप से अपनी सहमति दे दी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं, बहुत ही गम्भीर विचार व्यक्त किए हैं, सबके विचारों को हमने अच्छी तरह से सुना भी है।

मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस है, इससे किसी को बचना नहीं चाहिए। जहां तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जून में जिस समय वहां पर राज्यपाल शासन की घोषणा हुई थी, उसके पहले वहां के तत्कालीन राज्यपाल वोहरा साहब थे। वोहरा साहब ने वहां की सिचुएशन के बारे में एक लिखित जानकारी राष्ट्रपति महोदय को भेजी है। यदि मैं उस जानकारी का उल्लेख करूंगा तो लंबा समय लगेगा। इसलिए मैं बहुत डिटेल में उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सेंटेंसिस कोट करना चाहूंगा। गवर्नर ने कहा है कि-

"I spoke on phone to Shri Kavinder Gupta. He is at Delhi to ascertain whether BJP would stake claim to form Government in collaboration with any other party and was informed that BJP has no such intention." यह बी.जे.पी. के बारे में कहा है।

उसके बाद कहा है कि, "Consequent to the resignation of the Chief Minister, I spoke on phone with Mr. G.A. Mir, President, Jammu & Kashmir Pradesh Congress Committee to ascertain his party's position consequent to the fall of the PDP-BJP Government. He informed me that the Indian National Congress, Jammu & Kashmir does not have the requisite numerical strength to stake claim to form the Government of the State on its own or in conjunction with any other political party. He favoured the imposition of Governor's Rule in the State." उस समय कांग्रेस पार्टी ने भी इसको समर्थन अपना लिया।

आगे गवर्नर लिखते हैं कि "In the above context, it would be seen that as of today, the 19th June, 2018, no political party or coalition of parties in Jammu & Kashmir is in a position to stake claim for forming Government in the State." इन परिस्थितियों में जून में वहां पर राज्यपाल शासन की घोषणा करनी पड़ी। बीच में वहां पर लगातार लगभग 5.5-6 महीने तक असेम्बली को डिजॉल्व नहीं किया गया था, इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। हो सकता है कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के साथ एलाइंस करके यदि गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो राज्यपाल उसके लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई क्लेम नहीं किया था। वहां पर कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। इन परिस्थितियों में मजबूर होकर राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति शासन के लिए अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ी है। ...(व्यवधान)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: जब ये परिस्थिति हुई तब हमने एक शख्स को देखा कि ये कोशिश कर रहे थे कि वह लोगों को खरीद कर हुकूमत बनाए। आपके सामने ईमानदारी से बात रख रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं जानता हूं कि आप नहीं मानेंगे, वे जो आपके पीछे बैठे हैं, मैं जानता हूं, वे क्या हैं। ...(व्यवधान) मैं

आपको सुनाता हूं कि महबूब जी की पार्टी पी.डी.पी. है, उन्होंने हमसे कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, क्या आप हमारा साथ देंगे? उसके बाद नेशनल कांफ्रेंस ने यह फैसला किया कि हम साथ आने के लिए तैयार हैं। हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन साथ देंगे। कांग्रेस ने भी यही कहा, मगर आपको याद होगा कि गवर्नर साहब को फैक्स भेजा गया था, उनकी फैक्स मशीन काम नहीं कर रही थी। कमाल ये देखिए कि फैक्स मशीन काम नहीं करती है, उनका फोन भी काम नहीं करता है, मगर उसके बाद भी मैं आपसे यह कहूंगा और मैं यह कहने के लिए माफी मांगता हूं कि गवर्नर का घर यह साबित करने के लिए नहीं है कि बहुमत किसका है? असेम्बली है, जहां पर ये साबित हो कि किसकी गवर्नमेंट बन सकती है और किसकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया, उन्होंने सीधा डिजॉल्व कर दिया, जो गलत था। मैं मानता हूं, जो गलत था।

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, यह बात सच है कि गवर्नर के घर पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा। वह तो सदन में ही सिद्ध हो सकता है कि किसके पास मेजोरिटी है, कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। अभी-अभी हमने जो गवर्नर की रिपोर्ट पढ़ी है, गवर्नर ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात-चीत करने के बाद यह रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजी है। ...(व्यवधान) जून की बात मैं कर रहा था।

अध्यक्ष महोदया, अब मैं दिसम्बर पर आता हूं। जब 19 दिसम्बर को राज्यपाल शासन समाप्त हो रहा था, स्वाभाविक है कि उसके एक दिन पहले ही गवर्नर को इस बात का फैसला करना था कि आगे प्रेसीडेंट रूल इंपोज करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए यहां पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए। उन्होंने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। मैंने स्वयं भी एक बार पूछा था कि क्या वहां कोई गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं है? एक बार अखबारों में मैंने यह खबर पढ़ी कि नेशनल कांफ्रेस, कांग्रेस और पी.डी.पी., ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर वहां पर गवर्नमेंट बनाना चाहती हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाना चाहती हों, उसी दिन सुबह मैंने कांग्रेस पार्टी के

राज्य सभा में लीडर ऑफ अपोज़ीशन गुलाम नबी आजाद साहब का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में इस प्रकार की कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहेंगे। मेरी भी यह धारणा बन गयी कि शायद वहां पर कोई भी अपनी गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं है। ...(व्यवधान) एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए।(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Let him conclude please.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कंप्लीट करिए।

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, उसके बाद भी गवर्नर साहब से मैंने पूछा कि क्या कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कोई सरकार नहीं बनाना चाहता है और किसी ने अपना क्लेम भी हमारे पास पेश नहीं किया है। तब ऐसी सूरत में राज्यपाल के सामने और कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचता है। तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजी है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, जैसे शिश थरूर साहब ने कहा कि यह अननेचूरल मैरिज थी। अब इसको अननेचुरल मैरिज कहिए अथवा अननेचुरल अलाइंस किहए, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं। इसे नेचुरल मैरिज कहते हैं, इसको भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं। इसे अननेचुरल मैरिज कहते हैं, उसे भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जिसे नेचुरल मैरिज कहा जाता है, वह नेचुरल मैरिज कब टूट जाएगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं शिश थरूर साहब से कहना चाहूंगा कि इसका फैसला आप...(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: It was not the Governor's place to make a subjective determination as to the political ideological compatibility of the parties; the place was on the floor of the Assembly. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या इनको एक्सपर्ट ऑफ मैरिज मानते हैं? What is going on? ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: मैं लगातार बोलता रहूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बीच में ऐसा नहीं होता है।

श्री राजनाथ सिंह: जब मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं, ...(व्यवधान) उसके बाद भी सदस्य बोले जा रहे

हैं, this is very unfortunate. ...(व्यवधान)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : आप हंस रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये कश्मीर पर नहीं हंस रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: वे इस हाउस के एक सीनियर मेंबर हैं। एक सीनियर लीडर हैं, यदि कोई बात उन्होंने कह दी है, तो उस पर रियेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, शांत रहिए।

अध्यक्ष महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कृपया इस गवर्नमेंट की इन्टेंशन पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए संदेह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि हमारी इन्टेंशन खराब होती, हम कुछ और जम्मू-कश्मीर में करना चाहते अथवा हम किसी और की सरकार बनाना चाहते, तो हमें राज्यपाल शासन का पूरे छः महीने का समय मिला हुआ था। उसमें हम कर सकते थे। उसमें यह तोड़-फोड़ करनी थी, भारतीय जनता पार्टी को अगर गवर्नमेंट बनानी होती, तो दूसरों के साथ बातचीत करके इस काम को कर सकती थी। लेकिन छः महीने तक हम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया।

...(व्यवधान) अंत में भी नहीं किया। मैं ईमानदारी की बात कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि एक-दो लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ एफर्ट किया हो, लेकिन हमारी तरफ से अथवा हमारी सरकार की तरफ से ...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): This is the statement of the Governor. ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record; only the Minister's statement will go on record.

...(Interruptions)...*

माननीय अध्यक्ष : आप बात करिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record.

...(Interruptions)... *

श्री राजनाथ सिंह: जहां तक कश्मीर की समस्या के समाधान का प्रश्न है, कश्मीर की समस्या पर कोई यह नहीं कह सकता है कि पांच साल, दस साल, पंन्द्रह साल या बीस साल की समस्या है।

अध्यक्ष महोदया, कश्मीर की समस्या बहुत ही पुरानी और गंभीर समस्या है। मैं समझता हूं कि भारत का हर व्यक्ति चाहता है कि कश्मीर की समस्या का समाधान हो। कश्मीर के लोग हमसे अलग नहीं हैं। कश्मीर के लोग भी हमारे परिवार के ही हैं। कश्मीर के ऐसे हालात देखकर हर व्यक्ति को तकलीफ होती है। चार, साढ़े चार वर्षों में जनाब फारूख अब्दुल्ला साहब इस बात के साक्षी हैं और जम्मू-कश्मीर के लोग भी इस बात के साक्षी हैं कि बार-बार मैंने यह अपील की है कि मैं सभी के सहयोग से इस समस्या का समाधान करना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर की किसी भी पालिटिकल पार्टी

_

^{*} Not recorded.

का कोई लीडर यदि मिलता है, तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यह बताइए कि जम्मू-कश्मीर की प्राबल्म्स को रिज़ाल्व करने के लिए क्या-क्या स्टैप्स लिए जाने चाहिए? दो बार ऑल पार्टी डेलिगेशन भी लेकर जम्मू-कश्मीर में गए, कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर जो स्टेक्होल्डर्स हैं, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, फारूख अब्दुल्ला साहब इस बात के साक्षी हैं, जम्मू-कश्मीर के हर पालिटिकल पार्टी का लीडर इस बात का साक्षी है। मैंने कहा कि हमें किसी से बात करने में कोई परहेज़ नहीं है, जो भी बात करना चाहेगा उससे हम बात करने को तैयार हैं। मैं एक और चीज़ यहां पर डिसक्लोज़ करना चाहता हूँ कि जिस समय ऑल पार्टी डेलिगेशन जम्मू-कश्मीर में गया था तो जयप्रकाश जी यहां पर बैठे हैं, लोगों ने मुझसे पूछा कि हम लोग वहां के कुछ अलगाववादी नेताओं से मिलने जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, वे वहां पर गए और उन लोगों को किस तरीके से वापस होना पड़ा, उसकी चर्चा करना भी यहां पर उचित नहीं है। वहां की मुख्य मंत्री महबूबा मुफ्ती जी से भी जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। हमारे भाईसाहब, डॉ. फारूख अब्दुल्ला साहब जब-जब मिले हैं, तब-तब मैंने कोशिश की है। आपको लगता है तो आप ही कुछ ऐसा इनीशिएटिव लीजिए, ताकि वहां की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विडम्बना है कि वह नहीं हो पाया, लेकिन जम्मू-कश्मीर के हालात के बारे में मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर के हालात एक समय में बहुत ही नाजुक थे। लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की हम लोग अपनी तरफ से अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ग्रासरूट डैमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स किए हैं, अर्बन-लोकल बॉडीज़ के इलैक्शंस, पंचायत इलैक्शंस, ये सब सारे हुए हैं, इसकी चर्चा हमारे सहयोगी डॉ. जितेन्द्र सिंह जी ने की है। मैं कह सकता हूँ कि पोलिंगपर्सेंटेज भी बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसे दो-तीन चार जिले थे, जहां पर कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप पोल पर्सेंटेज नहीं था। इतना

ही नहीं, वहां की अर्बन-लोकल बॉडीज़ के जो हमारे इलैक्टिड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और पंचायत के हैं, उनको अधिकतर एडिमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स भी हम दे रहे हैं।, पहले कोई एडिमिनिस्ट्रेटिव पॉवर भी नहीं थी न तो उनके पास कोई फाइनेंशियल पॉवर थी। फाइनेंशियल पॉवर भी हमने दी है, एडिमिनिस्ट्रेटिव पॉवर दे दिया है। हम चाहते हैं कि सरकारें गांव में भी, जो उन लोगों की बेसिक नीड़स हैं, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उनका पूरा करने के लिए उनकी डिपेंडेंस राज्य सरकारों के ऊपर रहे, उनकी डिपेंडेंस केंद्र सरकारों के ऊपर रहे. स्वयं वे अपनी सरकार चलाएं। स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान करें तो उनको हर प्रकार की, एडिमनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पॉवर्स भी हम लोगों ने उनको दी हैं। वहां के नौजवानों के रोजगार के लिए भी कई स्टेप्स उठाए हैं, यदि अध्यक्ष महोदया चाहेंगी तो मैं इसको पढ़ भी सकता हूँ, इसमें लंबा समय लगेगा। 255 करोड़ रुपये की लागत से पांच नई इंडिया रिज़र्व बटालियन की मंजूरी दी है। दो साल के अंदर यह हुआ है, जिसमें लगभग पांच हजार लोगों की भर्ती की जाएगी और राज्य सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। दो बॉर्डर बटालियंस भी मंजूरी प्रदान की गई है और इन दोनों बटालियनों में भर्ती, लाइन ऑफ कंट्रोल से ज़ीरो से ले कर 10 किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्रों में रहने वाले युवकों से ही की जानी है। भारत सरकार द्वारा 105 करोड़ रुपये धनराशि की सहायता से दो महिला बटालियन के लिए भी 13 जून को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 60 प्रतिशत पद जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों की महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत भी लगभग 90 हज़ार से ज्यादा नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया है। खड़गे साहब, हमने क्या-क्या काम किए हैं, यह मैं बताना चाहता हूँ। जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में दस हज़ार एसपीओज़ ...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सर, यह मुद्दा नहीं है। डेवल्पमेंट तो चुनी हुई सरकार करेगी, पहले आप इलैक्शन कराओ। ...(व्यवधान) आप तो एक एंटी-नैशनल एलिमेंट है, उसको वहां के चीफ

मिनिस्टर बनाने जा रहे थे। ...(व्यवधान) आपके गवर्नर ने क्या कहा है कि केंद्रीय सरकार का यह आदेश है कि मैं लोन को चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहा हूँ। ...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: खड़गे साहब, आपने गवर्नर का वह स्टेटमेंट भी देखा होगा कि गवर्नर ने जो कुछ भी पब्लिश हुआ था, उसको कोंट्राडिक्ट भी किया है। ...(व्यवधान) उसको भी आपको देखना चाहिए। ...(व्यवधान) यह भी किया है। ...(व्यवधान) लेकिन खड़गे साहब, आप आश्वस्त रहिए कि कोई भी गलत और अनैतिक काम जम्मू-कश्मीर में इस सरकार के रहते नहीं होने पाएगा। ...(व्यवधान) आप इतना आश्वस्त रहिए। ...(व्यवधान) मैं तो यह जानकारी देना चाहता था, लेकिन अब खड़गे साहब का कहना है कि वहां के विकास से उनको कोई लेना-देना नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए उसकी चर्चा न की जाए। ...(व्यवधान) आपने कहा कि विकास की चर्चा मत कीजिए। ...(व्यवधान) आपने कहा विकास की चर्चा मत कीजिए। ...(व्यवधान) आपने कहा विकास की चर्चा मत करिए, क्यों कह रहे हैं? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप बात करिए।

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में लगभग 10 हजार एसपीओज की नियुक्ति के लिए भी सारी मंजूरी दे दी गई है। इनमें से बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हो गई है, मॉर देन 35 थाउजंड एसपीओज की भी वहाँ पर नियुक्ति की गई हैं। बहुत सारे नौजवानों के लिए अन्य भी कई, जैसे जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 9 हजार विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। उनका इंट्रेक्शन भी कराया जाता है। ऐसे सिविक एक्शन प्रोग्राम बराबर वहाँ की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बार-बार टोको मत।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना भी एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, वह पूरी तरह से एफर्ट हो रहा है। वहाँ की सिचुएशन को...(व्यवधान) इलेक्शन हमको नहीं कराना है क्या? लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार है। यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कहीं से भी इलेक्शन कमीशन यदि सिक्योरिटी माँगेगा तो हम सिक्योरिटी भी होम मिनिस्ट्री से प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात को बहुत लम्बी न करते हुए...(व्यवधान) मैं पुन: आपके माध्यम से इस सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस स्टेच्युटॉरी मोशन को सर्वसम्मित से पास किया है।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3:30 pm.

14 22 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

15 32 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty-Two Minutes past Fifteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)

MOTION RE: 44TH AND 45TH REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि यह सभा:-

- 13 दिसम्बर, 2018 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 44वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि परिशिष्ट-एक में क्रम सं.
 66 पर विधेयक वर्गीकरण और विधेयक के लिए समय के नियतन का लोन किया जाए।
- 19 दिसम्बर, 208 को सभा में प्रस्तुत समिति के 45वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत हैं कि संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित उसकी सिफारिशों के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा(दो) का लोप किया जाए।"।

HON. DEPUTY SPEAKER: The guestion is:

"That this House do agree with:-

 the Forty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 13 December, 2018, subject to modification that classification and allocation of time to Bill at SI. No.66 in Appendix-I be omitted; and

2. the Forty-fifth Report of the Committee presented to the House on 19 December, 2018, subject to modification that para 4 and sub-para (ii) of para 5 of recommendations thereof, relating to allocation of time to Resolutions, be omitted.".

The motion was adopted.

15 34 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced

(i) Prevention of Acid Attacks and Rehabilitation of Acid Attack

Victims Bill, 2018*

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prevention of acid attacks by surveillance over sale, supply and use of acid or other such corrosive agents and rehabilitation of victims of acid attack and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for prevention of acid attacks by surveillance over sale, supply and use of acid or other such corrosive agents and rehabilitation of victims of acid attack and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, I would request the hon. Members not to read the full text of the Bill that you have given. You just read the heading of the text. That is enough because a lot of Members want to go, and also, we have to introduce 134 Bills today. Therefore, I would request all of you to try to be very brief. Instead of reading the full text, you read the heading of the text and the number on the heading.

15 35 hrs

(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2018* (Insertion of new article 21B)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित^{**} करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 35 ½ hrs

(iii) Vedic Education (Compulsory Teaching in Educational Institutions) Bill, 2018

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि शैक्षिक संस्थाओं में वैदिक शिक्षा के शिक्षण को अनिवार्य बनाए जाने और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for making teaching of Vedic education compulsory in educational institutions."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018.

15 36 hrs

(iv) Cow Protection Bill, 2018*

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि गौ (बॉस इंडिकस) की संख्या का स्थिरीकरण सुनिश्चित करने और गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेदों 37 और 48 का अनुपालन करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक प्राधिकरण गठित करने और गौ-हत्या करने पर रोक लगाने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to constitute an Authority to ensure stabilization of population of cows (*Bos indicus*) and to suggest such measures to comply with articles 37 and 48 of the Constitution to ban the slaughter of cows and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित^{**} करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 36 ½ hrs

(v) Compulsory Protection of Witness and Victims of Crimes Bill, 2018

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य द्वारा अपराधों के साक्षियों और पीड़ितों, या उनके परिवार के सदस्यों या उनके सगे-संबंधियों, जिन्हें अपराधों के आरोपियों या उनके सहयोगियों या मित्रों या संबंधियों या सह-आरोपियां या उनसे सहानुभूति रखने वालों द्वारा पीड़ित या उनके परिवार के सदस्यों या उनके सगे-संबंधियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष अपराध करके विभिन्न तरीकों से धमकाया, उत्पीड़ित, शारीरिक हमला किया जाता है, के अनिवार्य संरक्षण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपंबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory protection of witnesses and victims of crimes by the State who are intimidated, harassed, physically attacked mostly by various means or of their family members or their near and dear ones by the accused of crimes or by their accomplices or friends or relatives or co-accused or sympathizers committed either directly against the victims or against their family members or their near and dear ones."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे: मैं विधेयक को पुरःस्थापित^{**} करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 37 hrs

(vi) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2017* (Amendment of section 41)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973."

The motion was adopted.

डॉ. संजय जायसवाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

_

15 37 ½ hrs

(vii) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2017* (Amendment of section 358)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

डॉ. संजय जायसवाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 38 hrs

(viii) Right to Disconnect Bill, 2018*

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for

leave to introduce a Bill to establish an Employees' Welfare Authority to confer the

right on every employee to disconnect from work related telephone calls and

emails beyond work hours and on holidays and right to refuse to answer calls and

emails outside work hours and for all matters connected therewith or incidental

thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The guestion is:

"That leave be granted to introduce a Bill to establish an Employees' Welfare Authority to confer the right on every employee to disconnect from work related telephone calls and emails beyond work hours and on holidays and right to refuse to answer calls and emails outside work hours and for all matters connected therewith or incidental

thereto."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018.

** Introduced with the recommendation of the President...

15 38 ½ hrs

(ix) Tuberculosis (Prevention and Eradication) Bill, 2018*

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish a Tuberculosis Prevention Authority for prevention and complete eradication of tuberculosis and for all matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to establish a Tuberculosis Prevention Authority for prevention and complete eradication of tuberculosis and for all matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 39 hrs

(x) Gender Sensitization (Training and Education) Bill, 2018*

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide compulsory gender sensitization education in curriculum of school as a part of personality development and for matter connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide compulsory gender sensitization education in curriculum of school as a part of personality development and for matter connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 39 ½ hrs

(xi) National Food Security (Amendment) Bill, 2018 * (Amendment of section 2, etc)

श्री जगदिम्बका पाल (डुमिरयागंज): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the National Food Security Act, 2013."

The motion was adopted.

श्री जगदिम्बका पाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 40 hrs

(xii) Information Technology (Amendment) Bill, 2018* (Omission of section 66A)

श्री जगदिम्बका पाल (डुमिरयागंज): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000."

The motion was adopted.

श्री जगदिम्बका पाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 40 ½ hrs

(xiii) Armed Forces Law (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of section 45 etc.)

श्री जगदिम्बका पाल (डुमिरयागंज): मैं प्रस्ताव करता हूं कि समलैंगिक, गे, उभयितंगी और विपरीतितंगी समुदाय के सदस्यों को देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने और सशस्त्र बलों में सेवा करने के समान अधिकार और अवसर देने के लिए थल सेना अधिनियम, 1950 नौसेना अधिनियम, 1957 और वायुसेना अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Army Act, 1950, the Navy Act, 1957 and the Air Force Act, 1950 with a view to give equal rights and opportunities to members of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender community to dedicate their lives for the nation and serve in the Armed Forces."

The motion was adopted.

श्री जगदिम्बका पाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

_

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 41 hrs

(xiv) Disaster Management (Amendment) Bill, 2018* (Insertion of new section 46A)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Disaster Management Act, 2005.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Disaster Management Act, 2005."

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section- 2 dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 41 ½ hrs

(xv) Freedom of Literature Bill, 2018*

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend certain enactments to guarantee and protect literary freedom in the country.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend certain enactments to guarantee and protect literary freedom in the country."

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 42 hrs

(xvi) Sports (Online Gaming and Prevention of Fraud) Bill, 2018

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish an effective regime to maintain the integrity of sports in India by preventing and penalizing Sports Fraud, regulation of online sports gaming and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to establish an effective regime to maintain the integrity of sports in India by preventing and penalizing Sports Fraud, regulation of online sports gaming and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 42 ½hrs

(xvii) Women's Sexual, Reproductive And Menstrual Rights Bill, 2018*

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for

leave to introduce a Bill further to amend certain enactments to emphasize on the

agency of a woman in her sexual and reproductive rights and to guarantee

menstrual equity for all women by the State.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend certain

enactments to emphasize on the agency of a women in her sexual

and reproductive rights and to guarantee menstrual equity for all

women by the State."

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 43 hrs

(xviii) Supreme Court, High Courts and District Courts (Use of Official Languages) Bill, 2018*

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषाओं का प्रयोग और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the use of official languages in the proceedings of the Supreme Court, High Courts and District Courts and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेट्टी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित^{**} करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 43½ hrs

(xix) Constitution (Amendment) Bill, 2018* (Omission of article 44, etc.)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेट्टी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

 $^{^{*}}$ Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 44 hrs

(xx) Pineapple Board Bill, 2018*

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to

provide for the constitution of a Board for the development of export of pineapple

and for the control of pineapple industry including the control of cultivation of

pineapple and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the development of export of pineapple and for the control of pineapple industry including the control of cultivation of pineapple and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

ADV. JOICE GEORGE: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 44 ½ hrs

(xxi) Jackfruit Board Bill, 2018*

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to

provide for the constitution of a Board for the development of export of jackfruit

and for the control of jackfruit industry including the control of cultivation of

jackfruit and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The guestion is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the development of export of jackfruit and for the control of jackfruit industry including the control of cultivation

of jackfruit and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

ADV. JOICE GEORGE: Sir, I introduce ** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 45 hrs

(xxii) Farmers (Guaranteed Income and Welfare) Bill, 2018*

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of Farmers Welfare Fund to ensure guaranteed income to farmers irrespective of natural calamity or price fall and for matters and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of Farmers Welfare Fund to ensure guaranteed income to farmers irrespective of natural calamity or price fall and for matters and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

ADV. JOICE GEORGE: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 45 ½ hrs

(xxiii) Pepper Growers (Welfare) Bill, 2018*

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain welfare measures and other facilities for pepper growers and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain welfare measures and other facilities for pepper growers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

ADV. JOICE GEORGE: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 46 hrs

(xxiv) Industrial Employment and Environmental Protection Bill, 2018*

SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Sir, I beg to move for leave to

introduce a Bill to provide employment to the local residents of any area in which

an industry has been or is going to be set up, ensure basic income to all workers

and to establish a regulatory mechanism to protect environment from any adverse

effects due to industrialisation in such area and for matters connected therewith or

incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to employment to the local residents of any area in which an industry has been or is going to be set up, ensure basic income to all workers and to establish a regulatory mechanism to protect environment from any adverse effects due to industrialisation in such area and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI DHARAM VIRA GANDHI: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

** Introduced with the recommendation of the President.

15 46 ½ hrs

(xxv) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of section 171 etc.)

SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

SHRI DHARAM VIRA GANDHI: Sir, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 47 hrs

(xxvi) Abolition of Begging and Rehabilitation of Beggars Bill, 2018*

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for abolition of begging and rehabilitation of beggars and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for abolition of begging and rehabilitation of beggars and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 47 ½ hrs

(xxvii) Women's (Reservation in Workplace) Bill, 2018*

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for reservation of posts for women in establishments and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for reservation of posts for women in establishments and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : Sir, I introduce ** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 48 hrs

(xxviii) Free and Compulsory Primary, Secondary, Higher and Technical Education Bill, 2018*

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for free and compulsory primary, secondary, higher and technical education to every child in order to eradicate their illiteracy and overall development and for deterrent punishment to those who prevent their children from going to school and pursuing their studies in any manner and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for free and compulsory primary, secondary, higher and technical education to every child in order to eradicate their illiteracy and overall development and for deterrent punishment to those who prevent their children from going to school and pursuing their studies in any manner and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 48 ½ hrs

(xxix) Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2018* (Insertion of new section 207A)

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान अधिनियम,1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988."

The motion was adopted.

श्री विनोद कुमार सोनकर: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

 $^{^{*}}$ Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 49 hrs

(xxx) Anganwadi Workers (Regularisation of Service and Welfare) Bill, 2018*

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regularisation of the services of Anganwadi Workers and conferring the status of not less than those of Group 'C' employee of the Central Government on such Anganwadi Workers.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for regularisation of the services of Anganwadi Workers and conferring the status of not less than those of Group 'C' employee of the Central Government on such Anganwadi Workers."

The motion was adopted.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I introduce ** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 49 ½ hrs

(xxxi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of section 3, etc.)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005."

The motion was adopted.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 50 hrs

(xxxii) ASHA Workers (Regularisation of Service and Other Benefits) Bill*

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regularisation of the services of ASHA workers, conferring the status of permanent employee of the Government on them and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for regularisation of the services of ASHA workers, conferring the status of permanent employee of the Government on them and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I introduce ** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 50 ½ hrs

(xxxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of article 142)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I introduce the Bill.

_

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 51 hrs

(xxxiv) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2018* (Substitution of new sections 35A and 35B)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908 with a view to provide for imposition of punitive costs by Courts in cases of false or vexatious claims or defences and for causing delays and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908 with a view to provide for imposition of punitive costs by Courts in cases of false or vexatious claims or defences and for causing delays and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I introduce the Bill.

 $^{^{*}}$ Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 51 ½ hrs

(xxv) Employment Agencies (Regulation) Bill, 2018*

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate employment agencies for the help of domestic workers, in turns and other employees seeking employment, apprenticeship or internship with employers indulged in legitimate occupation in order to enhance social security of employees and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to regulate employment agencies for the help of domestic workers, in turns and other employees seeking employment, apprenticeship or internship with employers indulged in legitimate occupation in order to enhance social security of employees and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 52 hrs

(xxxvi) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of section 160)

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973"

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Sir, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 52 ½ hrs

(xxxvii) Indecent Representation of Women (Prohibition) Amendment Bill, 2018* (Insertion of new Chapter IIIA)

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986."

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Sir, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 53 hrs

(xxxviii) Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of section 7, etc.).

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947."

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 53 ½ hrs

(xxxix) Real Estate (Regulation and Development) Amendment Bill, 2018^{*}
(Amendment of section 7, etc.).

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016."

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 54 hrs

(xl) National Food Security (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of section 2, etc.).

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the National Food Security Act, 2013.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the National Food Security Act, 2013."

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 54 ½ hrs

(xli) Indian Easements (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of section 7, etc.).

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Indian Easements Act, 1882.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Indian Easements Act, 1882."

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 55 hrs

(xlii) Right to Play Sports Bill, 2018*

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to confer right to play sports on every child and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to confer right to play sports on every child and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 55 ½ hrs

(xliii) Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2018*

(Substitution of new section for section 3)

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971."

The motion was adopted.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018.

15 56 hrs

(xliv) Compulsory Teaching of Knowledge Traditions and Practices of India in Educational Institutions Bill, 2018^{*}

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of Knowledge Traditions and Practices of India as a co-curricular subject for classes VII to X in school education in India in order to enable students to know and understand India's glorious culture and traditions and foster, strengthen and maintain Indian Culture and its civilizational strength and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of Knowledge Traditions and Practices of India as a co-curricular subject for classes VII to X in school education in India in order to enable students to know and understand India's glorious culture and traditions and foster, strengthen and maintain Indian Culture and its civilizational strength and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 56 ½ hrs

(xlv) Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Amendment Bill, 2018 * (Amendment of the Schedule)

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950."

The motion was adopted.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA: I introduce the Bill.

 $^{^{*}}$ Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 57 hrs

(xlvi) Official Government Meetings and Functions (Prohibition on Serving Non-Vegetarian Food) Bill, 2018

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit non-vegetarian food from being served at official meetings and functions of Government of India for the purpose of animal conservation and impact on climate change.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to prohibit non-vegetarian food from being served at official meetings and functions of Government of India for the purpose of animal conservation and impact on climate change."

The motion was adopted.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

15 57 ½ hrs

(xlvii) Cantonments (Amendment) Bill, 2018* (Insertion of new Chapter IVA)

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Cantonments Act, 2006.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Cantonments Act, 2006."

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 58 hrs

(xlviii) Uniform Civil Code in India Bill, 2018*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of the National Inspection and Investigation Committee for preparation of Uniform Civil Code and its implementation throughout the territory of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of the National Inspection and Investigation Committee for preparation of Uniform Civil Code and its implementation throughout the territory of India."

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 58 ½ hrs

(xlix) Change of Name of Aurangabad City of The State of Maharashtra to Sambhaji Nagar Bill, 2018

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to change the name of Aurangabad city as Sambhaji Nagar in the State of Maharashtra and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to change the name of Aurangabad city as Sambhaji Nagar in the State of Maharashtra and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

<u>15 59 hrs</u>

(I) Distressed Widows and Single Women (Protection, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2017*

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protective measures with need based rehabilitation and welfare to be undertaken by the Government for the distressed, infirm, neglected and disowned widows and single women by providing financial assistance, pension, medical care, housing and other facilities through a Welfare Board to such widows and single women and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protective measures with need based rehabilitation and welfare to be undertaken by the Government for the distressed, infirm, neglected and disowned widows and single women by providing financial assistance, pension, medical care, housing and other facilities through a Welfare Board to such widows and single women and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 59 ½ hrs

(li) Missing Children (Faster Tracking and Reuniting) Bill, 2017

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for faster tracking and reuniting the children, who go missing due to abduction, kidnapping, luring or runaway from their homes, with their parent; establishment of Special Cells in Police establishments with specifically trained personnel to trace missing children; immediate registration of F.I.R. for flashing photograph and details of missing children in television, newspapers and social media so as to put in place proper mechanism to trace missing children and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for faster tracking and reuniting the children, who go missing due to abduction, kidnapping, luring or runaway from their homes, with their parent; establishment of Special Cells in Police establishments with specifically trained personnel to trace missing children; immediate registration of F.I.R. for flashing photograph and details of missing children in television, newspapers and social media so as to put in place proper mechanism to trace missing children and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15 59 3/4 hrs

(lii) Ban on Cow Slaughter Bill, 2017*

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit the slaughter of cow and its progeny and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the slaughter of cow and its progeny and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

16 00 hrs

(liii) Population Stabilization Bill, 2017*

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): I beg to move for leave to

introduce a Bill to provide for promotion of family planning measures by the

Central and the State Governments for population stabilization in the country

through various incentives and disincentives so as to ensure that the population is

commensurate with its social, economic and other developments and with the

ecological balance and bridge the gap between the haves and have nots and for

achieving quality of life and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for promotion of family planning measures by the Central and the State Governments for population stabilization in the country through various incentives and disincentives so as to ensure that the population is commensurate with its social, economic and other developments and with the ecological balance and bridge the gap between the haves and have nots and for achieving quality of life and for matters

The motion was adopted.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: I introduce** the Bill.

connected therewith or incidental thereto. "

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

** Introduced with the recommendation of the President.

16 0½ hrs

(liv) Drafting of Law in Plain Language Bill, 2018*

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): I beg to move for leave to introduce a Bill to

establish a legal framework which mandates that all Government Bills and Acts be

drafted using plain, clear and concise language in order to maximise readability,

eliminate ambiguity and ensure compliance through easy interpretation with a

view to enhance citizen's access and undertaking of laws of India and for matters

connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to establish a legal framework which mandates that all Government Bills and Acts be drafted using plain, clear and concise language in order to maximise readability, eliminate ambiguity and ensure compliance through easy

interpretation with a view to enhance citizen's access and

undertaking of laws of India and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI RAJEEV SATAV: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

16 01 hrs

(Iv) Women (Development and Welfare) Authority Bill, 2018*

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि योजनाओं के निर्माण के लिए एवं महिला सशक्तीकरण के लिए उपायों के बारे में समुचित सरकार को सिफारिश करने के लिए महिला विकास और कल्याण प्राधिकरण के गठन का उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of the Women Development and Welfare Authority to formulate schemes and recommend to the appropriate Government about measures for women empowerment and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव : मैं विधेयक को पुर:स्थापित^{**} करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 01 1/2 hrs

(Ivi) Agricultural Workers Welfare Fund Bill,2018 *

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कामगारों के कल्याण तथा विकास और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए कृषि कामगार कल्याण कोष की स्थापना करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to establish a Agricultural Workers Welfare Fund for the welfare and development of agricultural workers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव : मैं विधेयक को पुर:स्थापित^{**} करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 02 hrs

(Ivii) Unemployment Allowance Bill, 2018*

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि पात्र नागरिकों को लाभकारी नियोजना प्रदान किए जाने तक बेरोजगार भत्ता प्रदान करने एवं लाभकारी नियोजन का अधिकार सुनिश्चित करने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of unemployment allowance till gainful employment is provided to eligible citizen and ensuring the right to gainful employment and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव : मैं विधेयक को पुर:स्थापित ** करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 02 1/2 hrs

(Iviii) Constitution (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of the Eighth Schedule)

श्री फरगन सिंह कुलस्ते (मंडला): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री फरगन सिंह कुलस्ते : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

16 03 hrs

(lix) Constitution (Scheduled Castes) and (Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of the Schedules)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967."

The motion was adopted.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : मैं विधेयक को पुर:स्थापित^{**} करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 03 ½ hrs

(Ix) Prevention of Violence against Doctors, Medical Professionals and Medical Institutions Bill, 2018*

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention of violence against doctors, medical professionals and medical institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention of violence against doctors, medical professionals and medical institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.38, Shri P. Karunakaran – Not present

Item No.41, Shri P. Karunakaran – Not present.

Item No.42, Shri P. Karunakaran – Not present.

Item No.43, Shri P. Karunakaran – Not present.

Item No.48, Shri Feroze Varun Gandhi – Not present.

Item No.49, Shri Deepender Singh Hooda – Not present.

Item No.50, Shri Deepender Singh Hooda – Not present.

Item No.51, Shri C.P. Joshi – Not present.

Item No.52, Adv. Narendra Sawaikar – Not present.

Item No.53, Shri Dilip Kumar Mansukhlal Gandhi – Not present.

16 04 hrs

(Ixi) Women (Empowerment and Welfare) Bill, 2018

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इक्कीस वर्ष की आयु तक लड़िकयों के विवाह को लंबित करने के लिए मासिक प्रोत्साहन योजनाएं, महिलाओं के लिए यदि पित अमद्यसारिक हो, वार्षिक बोनस सिहत उच्च ब्याज दर प्रदान करने वाली विशेष बचत योजनाएं, सूक्ष्म ऋण योजनाओं के लिए विशेष निधि, कृषि कर्मकारों के लिए चल स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु दिशा-निर्देश, निजी नियोजन अभिकरणों का विनियमन, विधवाओं हेतु योजनाओं का उपबंध करने के लिए तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए महिला सशक्तिकरण और कल्याण प्राधिकरण का गठन करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to establish a Women Empowerment and Welfare Authority to provide for monthly incentive schemes for girl child to delay marriage until age of twenty one years, special saving schemes for women with higher rate of interests inclusive of annual bonus if husband is non-alcoholic, special fund for micro credit schemes, guidelines for mobile healthcare facilities for agricultural labour, regulation of private placement agencies, schemes for widows and for all matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री भेरों प्रसाद मिश्र : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित^{**} करता हूँ।

_

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 04 1/2 hrs

(Ixii) Urban Areas (Equitable Development and Regulation) Bill, 2018

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्थलों के स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रख-रखाव का उपबंध करने, झुगी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का समुचित आवासों में पुनर्वास करने, झुगी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पुनर्निर्माण कार्यकलापों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश जारी करने, नागरिकों के बीच स्व-प्रबंधन की प्रणाली को सुकर बनाने, भूमिगत जलनिकासी और नालियों का समुचित नेटवर्क बनाने, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए समर्पित पथ का निर्माण करने, साइकिलों को सब्सिडीकृत करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के संवर्धन हेतु नीतियां तैयार करने, फेरीवालों के लिए सामुदायिक बाजारों का सृजन करने, फेरीवालों को लाइसेंस जारी करने, निजी हॉस्टलों और सशुल्क अतिथि आवासों द्वारा पालन किए जाने योग्य न्यूनतम मानकों का उपबंध करने और उनके अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की संस्तुति करने, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक और रोजगार अवसरों के समान पुनर्वितरण को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक शहरी क्षेत्र साम्यापूर्ण विकास प्राधिकरण की स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to establish an Urban Areas Equitable Development Authority to provide for clean and hygienic maintenance of environmental and public spaces, resettlement of people living in slums in decent housing facilities, issuing guidelines for employment of persons in slums in the reconstruction activities,

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

facilitating systems of self policing among citizens, proper underground drainage and sewerage network, dedicated paths for pedestrians and cyclists, formulate policies for subsidising cycles and promoting eco-friendly transport, creation of community markets for hawkers, issuing licenses to hawkers providing for minimum standards to be maintained by private hostels and paying guest accommodations and recommending their compulsory registration, framing guidelines for ensuring equal redistribution of economic and work opportunities in urban areas."

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित ^{*} करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.64, Shri Sukhbir Singh Jaunapuria – Not present.

Item No.65, Shri Janardan Singh 'Sigriwal', -- Not present.

Item No.66, Shri Janardan Singh 'Sigriwal', -- Not present.

Item No.67, Shri Devji M. Patel – Not present.

Item No.68, Dr. Udit Raj – Not present.

Item No.69, Shrimati Darshana Vikram Jardosh – Not present.

Item No.70, Ms. Sushmita Dev – Not present.

Item No.71, Shri Rattan Lal Kataria – Not present.

Item No.72, Shri Vinod Kumar Boianapalli – Not present.

٠

^{*} Introduced with the recommendation of the President

Item No.75, Shri Sukhbir Singh Jaunapuria – Not present.

Item No.76, Shri Sukhbir Singh Jaunapuria – Not present.

Item No.77, Shri Ninong Ering – Not present.

Item No.78, Shri Ninong Ering – Not present.

16 05 hrs

(Ixiii) National Agricultural Policy Commission Bill, 2018

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में कृषि सुधार और विकास नीतियाँ बनाने संबंधी एक राष्ट्रीय नीति आयोग की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए। HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of a National Agriculture Policy Commission to formulate policies on improvement and development of agriculture in the country."

The motion was adopted.

श्री निहाल चन्द: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित^{**} करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 05 ½ hrs

(Ixiv) Water (Accessibility and Conservation) Bill, 2018*

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide an overarching national legal framework with principles for distribution, conservation, regulation and management of water as a vital and stressed natural resource, under which legislation and executive action on water at all levels of government, as also water-use and water-related actions by persons and their associations, public and private institutions and bodies corporate of all kinds, may take place, and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide an overarching national legal framework with principles for distribution, conservation, regulation and management of water as a vital and stressed natural resource, under which legislation and executive action on water at all levels of government, as also water-use and water-related actions by persons and their associations, public and private institutions and bodies corporate of all kinds, may take place, and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: I introduce** the Bill.

_

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.85, Dr. A. Sampath – Not present.

Item No.86, Dr. Karan Singh Yadav – Not present.

Item No.87, Shri Dushyant Chautala – Not present.

16 06 hrs

(Ixv) Population Control Bill, 2018

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दो संतानों वाले दम्पत्तियों के बीच स्वैच्छिक बंध्यीकरण का संवर्धन का संवर्धन तथा विवाह के लिए न्यूनतम आयु का नियतन करने, छोटा परिवार संन्नियम का संवर्धन करने जैसे कतिपय उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to promote voluntary sterilization among the married couples having two children and provides for certain measures like fixing the minimum age for marriages, promoting small family norm."

The motion was adopted.

श्री विष्णु दयाल राम : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित^{**} करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 06 1/2 hrs

(Ixvi) Juvenile Justice (Care and Protection of Children) (Amendment) Bill, 2018 * (Amendment of section 56, etc.)

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015."

The motion was adopted.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

16 07 hrs

(Ixvii) Companies (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of section 135)

श्री भेरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013."

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

 $^{^{*}}$ Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

16 07 ½ hrs

(Ixviii) Contempt of Courts (Amendment) Bill, 2018 * (Amendment of section 2)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Contempt of Courts Act, 1971."

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Item no. 92: Shri Rama Chandra Hansdah – Not present.

Now, Item No.100. Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

16 08 hrs

(Ixix) High Court at Allahabad (Establishment of a Permanent Bench at Mahoba) Bill, 2018 *

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की महोबा में स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of a permanent Bench of High Court at Allahabad at Mahoba."

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

16 08 1/2 hrs

(lxx) Constitution (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of article 51A)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

16 09 hrs

(Ixxi) Compulsory Teaching of Indian Spiritual and Human Service

Philosophy Education in Educational Institutions Bill, 2018*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीय आध्यात्मिक और मानव सेवा दर्शन शास्त्र की शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the compulsory teaching of Indian Spiritual and Human Service Philosophy Education in educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 09 1/2 hrs

(Ixxii) Constitution (Amendment) Bill, 2018* (Amendment of article 309)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

28.12.2018 254

16 10 hrs

(Ixxiii) Suicide Prevention in Youth Bill, 2018 *

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): I beg to move for leave to

introduce a Bill to address the increasing prevalence of suicide especially

amongst the youth of the country with a community-based approach focusing on

timely intervention and removal of stigma associated with reporting of mental

illness and increasing lines of communication and for matters connected

therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to address the increasing prevalence of suicide especially amongst the youth of the country with a community-based approach focusing on timely intervention and removal of stigma associated with reporting of mental illness and increasing lines of communication and for matters connected

therewith."

The motion was adopted.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 10 1/2 hrs

(Ixxiv) Single-Use Plastic (Regulation) Bill, 2018*

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a framework to enable India to achieve its goal of eliminating single-use plastic by the year 2022.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for a framework to enable India to achieve its goal of eliminating single-use plastic by the year 2022."

The motion was adopted.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 11 hrs

(lxxv) Population (Stabilization & Planning) Bill, 2018*

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a comprehensive policy towards stabilizing the population of the country by providing voluntary and safe access to methods of contraception, establishment of a Population Planning Agency, promotion of schemes that incentivizes the small family norm, creating awareness on family planning and providing access of education to empower every girl child and for all matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The guestion is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for a comprehensive policy towards stabilizing the population of the country by providing voluntary and safe access to methods of contraception, establishment of a Population Planning Agency, promotion of schemes that incentivizes the small family norm, creating awareness on family planning and providing access of education to empower every girl child and for all matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

_

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 11 ½ hrs

(Ixxvi) Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2018* (Insertion of New Section 28A)

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981."

The motion was adopted.

DR. PRABHAS KUMAR SINGH: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 12 hrs

(Ixxvii) National Sports Development Commission Bill, 2018

श्री निहाल चंद (गंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में खेलों के समग्र विकास, मूलभूत खेल सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय खेल विकास आयोग की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of National Sports Development Commission for the overall development of sports, improving the quality of basic sports facilities in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री निहाल चंद : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित^{**} करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 12 ½ hrs

(Ixxviii) Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018* (Insertion of new section 24A, etc.)

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009."

The motion was adopted.

DR. PRABHAS KUMAR SINGH: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 13 hrs

(Ixxix) Responsible Parenthood Bill, 2018

डॉ. संजीव बालियान (मुजफ्फरनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकों और विशेषत: महिलाओं के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देश के संसाधनों के अनुरूप विकास लक्ष्य हेतु जनसंख्या को स्थिर करने, भावी पीढ़ियों के लिए सुन्दर, सुरक्षित एवं अभावमुक्त जीवन प्रदान करने के लिए संविधान की धारा 21 के अन्तर्गत प्रदत्त जीवन का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु शुद्ध जल, स्वच्छ वायु एवं शुद्ध भोजन प्रदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for implementation of two children norm to improve the standard of living of citizens especially that of women and empower them, stabilise country's population in order to achieve the goal of development in accordance with country's resources while achieving the Sustainable Development Goals, 2030 of United Nations Organisation, provide a graceful, safe and paucity free life for the forthcoming generation and to provide pure water, clean air and hygienic food for ensuring Right to Life as guaranteed under article 21 of the Constitution and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

डॉ. संजीव बालियान : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित^{**} करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 13 ½ hrs

(Ixxx) Ban on Use of Microbeads in Cosmetic

Products Bill, 2018*

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): I beg to move for

leave to introduce a Bill to provide for banning of use of microbeads in

cosmetic products and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The guestion is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for banning of

use of microbeads in cosmetic products and for matters connected

therewith."

The motion was adopted.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

16 14 hrs

(Ixxxi) Declaring of Habitual Offenders Laws as void Bill, 2018*

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): I beg to move for leave to introduce a Bill to render certain enactments tagging nomadic, semi nomadic and migrating tribes as habitual offenders or criminals by birth as inoperative.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to render certain enactments tagging nomadic, semi nomadic and migrating tribes as habitual offenders or criminals by birth as inoperative."

The motion was adopted.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

16 14 ½ hrs

(Ixxxii) Plastic Packaging (Regulation) Bill, 2018*

SHRIMATI MEENAKSHI LEKHI (NEW DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to impose a ban on the manufacture, storage, usage, sale, import, transport and distribution of plastic packaging and single use plastic items and to constitute a body to govern measures to treat plastic waste and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to impose a ban on the manufacture, storage, usage, sale, import, transport and distribution of plastic packaging and single use plastic items and to constitute a body to govern measures to treat plastic waste and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI MEENAKSHI LEKHI: I introduce ** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 15 hrs

(Ixxxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2018* (Insertion of new article 31)

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित^{**} करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 15 ½ hrs

(Ixxiv) Constitution (Amendment) Bill, 2018* (Insertion of new article 275A, etc.)

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित^{**} करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 15 3/4 hrs

(lxxxv) Compulsory Military Training Bill, 2018*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): मैं प्रस्ताव करता हूं कि समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने और तत्संबंधी विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to make military compulsory for all able-bodied citizens and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : मैं विधेयक को पुर:स्थापित^{**} करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

28.12.2018

16 16 hrs

(Ixxxvi) Non-Resident Indians (Voting Rights and Welfare) Bill, 2018

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान करने और उन देशों में, जहां वे निवास करते हैं और कार्य करते हैं, सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक राष्ट्रीय अनिवासी भारतीय आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for voting rights and setting up of a National Commission for Non-Resident Indians for the purpose of providing assistance to them in the countries where they reside and work and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव: मैं विधेयक को पुर:स्थापित^{**} करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 16 1/2 hrs

(Ixxxvii) National Malnutrition Policy Commission Bill, 2018

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय कुपोषण नीति आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of National Malnutrition Policy Commission and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI NIHAL CHAND: I introduce ** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 16 3/4 hrs

(Ixxxviii) Protection of Human Rights Defenders Bill, 2018*

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): I beg to move for leave to introduce a Bill to ensure protection of individuals, groups, associations engaged in protection and promotion of human rights and fundamental freedoms and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to ensure protection of individuals, groups, associations engaged in protection and promotion of human rights and fundamental freedoms and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: I introduce** the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Ravneet Singh – not present

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 28.12.2018

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16 17 hrs

OBSERVATION BY THE DEPUTY SPEAKER

Rights of Transgender Persons Bill, 2014

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, now items no. 174 that is about the Rights of Transgender Persons Bill, 2014, was passed by Rajya Sabha. In this regard, I may inform that a Government Bill, namely, the Transgender Persons(Protection of Rights) Bill, 2018 was passed by this House on 17th December, 2018.

As per sub-rule(2) of rule 112, a Bill pending before Lok Sabha shall be removed from the Register of Pending Bills in case a substantially identical Bill is passed by the House. Bill introduced in and passed by Rajya Sabha and laid on the Table of Lok Sabha falls within the definition of pending Bill. However, this definition is silent with respect to cases where Bill from Rajya Sabha after being laid on the Table of Lok Sabha is under discussion by Lok Sabha. In the past, Private Members' Bills introduced and pending in Lok Sabha have been removed from the Register of Pending Bills if their objective was achieved consequent upon passing of Government Bills.

There appears to be no past precedent as to the course of action to be followed with respect to a Private Member Bill passed by Rajya Sabha and under discussion in Lok Sabha, if a Government Bill on the same subject is passed by Lok Sabha.

As the Bill is part-discussed in Lok Sabha, the Lok Sabha alone can decide on the course of action to be followed with respect to this Bill. I am of the opinion that we should not further proceed with this Private Member Bill, as passed by Rajya Sabha in view of the provision laid down in sub-rule(2) of rule 112 read with third part of the explanation thereto. Therefore, if the House agrees, the Bill may be removed from the Register of Pending Bills as its object has been achieved with the passing of the Government Bill on the same subject.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I fully abide by the observations of the Hon. Deputy Speaker regarding Rule 112 clause 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business.

Sir, it is a historic day because this is the first time in the history of Indian Parliament that a Bill which has been passed by the Rajya Sabha and transmitted to the House of People and is partly discussed and subsequently a Government bill has been passed. So, that is why the hon. Deputy-Speaker has made an observation that 112 (2) is a bar in further discussion of the Bill.

I do concede and abide by the ruling / observation of the hon. Deputy-Speaker, but at the same time I would like to express my observation regarding this Rule also. At various times, I myself have quoted this Rule in the House regarding 'substantially identical Bills'.

Sir, you may kindly see Rule 112 (2), which states that :

"A Bill pending before the House shall also be removed from the Register of Bills pending in the House in case a Bill substantially identical is passed by the House or the Bill is withdrawn under rule 110."

Here, the pertinent fact to be noted is 'a substantially identical Bill'. If it is so, then it will be removed from the Register of Bills, and even the Lok Sabha Secretariat can very well do it. This is the well-established and accepted position here. In the Explanation clause (3) also it is stated that:

"a Bill originating in the Council and transmitted to the House and laid on the Table under rule 114 or 122; and"

Here, the unique incident that has happened in this House is that the Bill has been transmitted; it has been laid on the Table of the House; and it has been partly discussed. This is the latest position. So, a new precedent has to be created by virtue of the decision of the hon. Deputy-Speaker.

The only point that I would like to substantiate is this. I did not take part in the discussion of the Bill. Mr. Panda, who has actually moved this Bill, has resigned from the office of the Member of Parliament. Hence, I got the opportunity to finally move the Bill for passing. So, the point that I would like to state is regarding the 'identical Bill'.

I am only quoting the salient features of the Bill, which has been passed by Rajya Sabha. Firstly, a National and State-level Commission for transgender persons to perform the powers conferred upon them and assigned to the Commission. So, a National-level and State-level Commission will be constituted as per the Bill. I am only mentioning the salient features just to distinguish between the two Bills, and I am not going into the merits of the Bill.

The second salient feature is transgender rights courts. This was the Bill, which was passed by Rajya Sabha, which mentions that for speedy disposal of cases of transgender persons in each sub-Division, each District, and each city with a population of more than 10 lakh special courts will be constituted.

The other salient features are reservation in primary schools; reservation in employment; social security in healthcare; skill development and employment; and protect the Right to Education. Above all this, the original Bill, that was passed by Rajya Sabha, is giving a social, political and legal recognition to the most disempowered and deprived groups in our country. This is why this Bill has been moved, and it has been passed.

So, my submission is that this is not a 'substantially identical' Bill. The Government passed the Bill, which is not fully serving the purpose. I fully appreciate the Government's stand that at least a law has been made by the Parliament, but it is not fully serving the purpose. It is not 'substantially identical'

Bill, which has been passed by Rajya Sabha. This is the observation that I would like to make here. Thank you, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Anyhow, the objective and everything is the same.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, hon. Minister, Shri Thaawar Chand Gehlot, wants to say something on this particular issue. ...(Interruptions) Actually, it is an identical Bill and passed by this House. ...(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is because the objective has been passed by the House.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister, do you want to say something on this issue?

... (Interruptions)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि राज्य सभा से जो उभयिलंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक पास होकर यहां पर आया था, लोक सभा ने 17 दिसंबर को उसी आशय का एक सरकारी विधेयक इसी सदन ने पारित किया है। उस पर खूब चर्चा हो चुकी है। राज्य सभा से जो विधेयक पारित होकर आया था, वह अब अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर वहां से बिल पास

होकर यहां आया था, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर इस सदन ने भी शासन का जो विधेयक था, उसको पारित कर दिया है।

इसलिए अब उस विधेयक को चर्चा में लेना या उस पर निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि सदन इससे सहमत हो तो अच्छा है।

HON. DEPUTY SPEAKER: If the House agrees, the Bill may be removed from the register of Bills.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

16 25 hrs

SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015* – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we shall take up Item No.173.

Shri Jagadambika Pal – not present.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Thank you, Deputy Speaker, Sir. First of all, I would like to express my gratefulness to the hon. Member, and my friend, Shri Vincent Pala *ji*, for introducing and moving this important Constitutional (Amendment) Bill. I also thank all the hon. Members who had taken part in the entire discussion.

<u>16 26 hrs</u> (Shri Kalraj Mishra *in the Chair*)

सर, आप कुर्सी पर आ गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संसदीय इतिहास में यह किसी बिल पर चलने वाली सबसे लंबी चर्चा है। एक तरह से रिकॉर्ड है कि सन् 2015 का संविधान संशोधन विधेयक, विन्सेंट पाला जी के बिल पर चर्चा चल रही है और आज इसका अंतिम जवाब देने का मौका मुझे मिला है। हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, क्योंकि इसमें इतने सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ और सबका इश्यु भी इतने व्यापक रूप से हुआ है कि अगर मैं एक-एक बात का जवाब दूंगा तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी और जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 20-25 मिनट में समेट कर इसको खत्म करना चाहता हूँ। सर, इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, वह मैं फिर से सदन के सामने दोहराना चाहता हूँ। ऑटोनॉमस काउंसिल्स देश में बनी

^{*} Further discussion on the motion for consideration of the Bill moved by Shri Vincent H. Pala on 5th August, 2016, continued.

28.12.2018

हुई हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में कुल मिला कर दस ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनी हुई हैं। उसमें माननीय सदस्य का मानना है कि जो ऑटोनॉमस काउंसिल बनी हुई हैं, उनसे लोगों की आशाएं और आकाक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए और अधिकार मिलने चाहिए। यह माननीय सदस्य का कहना है। If I sum up the entire objective of the Constitutional (Amendment) Bill, I can categorise in three parts. One is the demand to increase the number of members in the District Council from 30 to 40 as originally envisaged in the Constitution of India. Second is to bring traditional occupation of tribals relating to mines and minerals under the legislative competence of the District Council. Third is to protect the customary practices and interest of the tribals. These are the three broad demands made by the hon. Member.

Now, let me first of all admit that merely creation of Autonomous Councils do not meet the entire aspiration of the people. सर, आपने तो देखा है, आप तो विरष्ठ हैं, आपने पूर्वोत्तर में भी बहुत दौरे किए हैं। आपने देखा है कि वहां की जितनी भी ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, वहां पर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग जब से सरकार में आए हैं, कोई हिसाब नहीं है, मैं खुद हर ऑटोनॉमस काउंसिल के डेलिगेशन से लगातार मिल रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से इस सदन को एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि ऑटोनॉमस काउंसिल्स में जो भी किमयां हैं, उनको पूरा करने के लिए कैबिनेट नोट भी तैयार हो गया है और मैं इस सदन को आश्वासन देता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, ऑटोनॉमस काउंसिल्स का जो अमेंडमेंड प्रपोजल है, उसको ले कर हम सदन में आएंगे।

कुछ बातें हैं, मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले उन्होंने जो कहा है कि नम्बर्स बढ़ना चाहिए। ऑटोनॉमस काउंसिल में जो इलेक्टेड मैम्बर्स होते हैं, उस संख्या में इजाफा होना

चाहिए। खासकर मेघालय और असम, इन दो राज्यों में इसकी डिमांड भी चल रही है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं पूरे फिगर्स यहाँ सदन में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कैबिनेट नोट तैयार हो गया है, उसका अभी फाइनल डिसिजन नहीं हुआ है। जब तक कैबिनेट का फैसला नहीं होता है, तब तक मैं संख्या बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि असम के अंदर दो ऑटोनॉमस काउंसिल है। एक है-काबीं एंग्लोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। दूसरा है- दीमा हसो ऑटोनॉमस टैरिटोरियल काउंसिल, इन दोनों का नम्बर इंक्रीज करने के लिए हमने एग्री किया है। इसको जल्दी से जल्दी हम फिर से पार्लियामेंट में लाएँग।

दूसरा, मेघालय से हमारे सदस्य आते हैं। मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल है, खासी हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल है, जैंतिया हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल है, तीनों के प्रस्ताव को हमने मंजूरी दी है और तीनों ऑटोनॉमस काउंसिल्स में भी मैम्बर्स को बढ़ा करके पार्लियामेंट में इसका कॉस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आने वाले हैं।

सर, दूसरा इम्पोटेंट बिल उन्होंने कहा है कि जो माइन्स एंड मिनरल्स है, उनका कहना है कि माइन्स एंड मिनरल्स की जो अरेंजमेंट अथॉरिटी है, वह ऑटोनॉमस बॉडी को देनी चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि संविधान में स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कनकरंट लिस्ट बनी हुई हैं। माइन्स एंड मिनरल्स को अगर हम ऑटोनॉमस काउंसिल को दे देंगे तो यह संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। संविधान का जो मुख्य ढांचा है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप सूची देखेंगे, जो छोटे-छोटे रिसोर्सेज हैं, फोरेस्ट प्रोड्यूसेज वगैरह उसकी अथॉरिटी आपके पास है, लेकिन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, ये बड़े-बड़े जो आइटम्स हैं, जिनको देश के बहुत बड़े रिसोर्सेज मानते हैं, वह संविधान के मुताबिक उनको ऑटोनॉमस काउंसिल को नहीं दिया जा सकता है। मैंने माननीय सदस्य से अलग से भी बात की है कि कुछ चीज़ है, हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमको संवैधानिक प्रक्रिया को मानना पड़ेगा।

सर, तीसरा प्वाइंट जो उन्होंने कहा है कि Customary practices and interests of tribals. इसकी लगभग हमने मंजूरी दी हुई है कि जो कस्टमरी लॉस है, कस्टमरी प्रेक्टिसेस हैं, जो कई सालों से पूर्वोत्तर के लोगों का, आदिवासी लोगों का अपना जीने का तरीका है, उससे सरकार ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती है। उसके लिए छूट दी हुई है और जैसे जीना चाहे अपने तरीके से वे जी सकते हैं। इससे सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है। जो मुख्य बिंदु है, कॉन्स्टीट्यूशन को अमेंडमेंट करने का हमारा प्रस्ताव है, मैं दो-तीन बातें आपको बताऊँगा। एक जितनी ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, उसमें महिलाओं के प्रतिनिधि को सुरक्षित करने के लिए हमने कुछ प्रावधान रखने का निर्णय किया है। There are certain reservations. You will come to know about it. We are going to keep reservation for the women in nomination. जहाँ इलेक्शन होता है, उसमें कोई भी चुन कर आ सकते हैं, लेकिन जहाँ सरकार की ओर से नॉमिनेट करते हैं, उस नॉमिनेशन में there is provision for women's reservation. We want that women should be properly represented in the Council. उसके बाद में जो विलेज काउंसिल का प्रोविजन होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल का है, दोनों में रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया है। जब हम इसको पारित करेंगे तो ऑटोनॉमस काउंसिल का जो चुनाव होगा, वह स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से होगा। अभी तक जो हो रहे थे, डिप्टी कमिश्नर की देख-रेख में चलते थे। अब हम इसको प्रोपर संवैधानिक दर्जा देने जा रहे हैं। कुछ नाम चेंज का भी इश्यू है, वह आपको मैं बाद में बता दूँगा। अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। स्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए हमने डिसक्वालिफिकेशन के प्रोविजन को रखा है कि आज आपने ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया, कल को आपने उसी को गिरा दिया। हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह होती है, उसको रोकने के लिए हमने डिसक्वालिफिकेशन का प्रोविजन प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में रखा है।

अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि उससे माननीय सदस्यगण को संतुष्टि मिलेगी। वह महत्वपूर्ण बात स्पेशल फाइनेन्शियल प्रोविजन है। अभी तक ऐसा होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है तो वह आपका फंड रोक देती है। कोई-कोई ऑटोनोमस काउन्सिल पूरी मरी पड़ी है, उसके पास पैसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उसे टाइम से फंड रिलीज नहीं करती है। वे अपने स्टॉफ की सैलरी भी नहीं दे पाते हैं। उनके विकास के कई प्रोजेक्ट्स रूक जाते हैं। उसे ठीक करने के लिए अभी हम जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, वह भारत के संविधान का आर्टिकल 280 है। There was a provision of special budgetary allocation for the Autonomous Council. The State Finance Commission will indicate how much money should be allocated to the District Autonomous Council. जैसे पंचायत को, म्युनिसिपल बॉडीज को फंड देते हैं, अब ऑटोनोमस काउन्सिल्स को भी फंड दिया जायेगा। यह उसमें मेंशन है।

माननीय सदस्यों ने काफी बातें उठायी थीं, मैं संक्षेप में उनका जवाब देना चाहता हूँ। आपने हमारी सरकार से बहुत सारी चीजों की डिमांड की है। आपने हमारी सरकार से कहा कि पूर्वोत्तर में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो मैं नॉर्थ-ईस्ट, जम्मू-कश्मीर और लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म एरियाज को आज इंडिया के तीन बड़े चैलेंजिंग एरियाज मानता हूँ। ये तीन एरिया आज हमारे हिन्दुस्तान के लिए सबसे बड़े सिक्युरिटी चैलेंज हैं। हिन्दुस्तान की अखण्डता को बनाये रखने के लिए इन तीन चैलेंज को हमें सही तरह से हैंडिल करना होगा। आज हम नॉर्थ-ईस्ट की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हमारी इस 16वीं लोक सभा में बहुत से लोग नॉर्थ-ईस्ट की चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, आपको मालूम है कि एक समय ऐसा था, जब हम नये-नये चुनकर आये थे, यहाँ के बहुत सारे एमपीज को 8 नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स का नाम तक मालूम नहीं था। देश भर में, हिन्दुस्तान के अंदर कितने नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स हैं, कितने केन्द्र शासित प्रदेश हैं, बहुत से लोगों को इन राज्यों का नाम

तक भी पता नहीं है। उस समय ऐसी नौबत थी। आज उत्तर प्रदेश का सांसद, दक्षिण भारत का सांसद भी यहाँ उठकर कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर पर ध्यान देना चाहिए। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देश में अगर मैं कश्मीर की बात करता हूँ, गोवा की बात करता हूँ तो केरल वाला एम.पी. भी असम की बात कर सकता है, क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं और इस देश की संसद में हम सब सदस्य हैं तो एक-दूसरे के प्रति जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। जब नॉर्थ-ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर के अंदर जितनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दुनिया में इतनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहीं नहीं हैं। आज भी वहाँ लोग पीड़ित हैं। वहाँ सिक्युरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है। एक-एक राज्य में बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप ऑर्गनाइजेशंस हैं। 16-17 साल के बच्चे हथियार लेकर जंगल चले जाते हैं। उन्हें स्कूल, कॉलेज जाना चाहिए, लेकिन वे बन्दूक लेकर, बम लेकर, ए.के.47 लेकर जंगल में घूम रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आयी? जिस माननीय सदस्य ने इसे मूव किया है, वे कांग्रेस के सदस्य हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इसका इतिहास है। ऐसा नहीं है कि वर्ष 2014 से सारी समस्या खड़ी हो गई। नॉर्थ-ईस्ट में मैं खुद बहुत साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैं आज भी ऐसी-ऐसी जगह जाता हूँ, जहाँ मुझे पता चलता है कि वहाँ से लोग अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आते हैं। सरकार के दरवाजे उसके लिए खुले नहीं हैं।

महोदय, मैं पिछले 4.5 साल की बात आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ ऐसे-ऐसे समुदाय हैं, जिनकी संख्या 10 हजार, 15 हजार, एक लाख या दो लाख होती है। वहाँ ऐसे हजारों समुदाय हैं। वे दिल्ली आकर भटकते रहते हैं। होम मिनिस्ट्री इतना बड़ा मंत्रालय है, हमारे यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिलने के लिए भी वे महीनों भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपाइंटमेंट नहीं मिलता है। वे वापस जाकर हिथयार उठा लेते हैं। लोगों को इसे समझना चाहिए। समस्या की जड़ कहाँ है, समस्या क्यों पैदा होती है? हमारे यहाँ एक-एक समुदाय पूरा अंडरग्राउंड क्यों चले गये? इसका कारण है? क्या दिल्ली में उन लोगों के दर्द को सुनने के लिए किसी के पास समय है? इस हालत में देश चल रहा था। वर्ष 2014 में

पहली बार जब हमारी सरकार बनी और प्रधान मंत्री जी ने मुझे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया, मैंने पहले दिन से ही यह सुनिश्चित किया कि पूर्वोत्तर का कोई एक भी आदमी हो या कोई संगठन हो, अगर वह दिल्ली आयेगा तो वह सरकार के प्रतिनिधि से बिना मिले वापस नहीं जाएगा। हमने यह निर्णय किया। हम ऐसा करके लोगों के दिलों को जोड़ते हैं। अब नॉर्थ-ईस्ट में अधिकारी लोग भी जाते हैं। प्रधान मंत्री जी से लेकर सारे सीनियर मिनिस्टर, जूनियर मिनिस्टर सभी लोग लगातार नॉर्थ-ईस्ट जा रहे हैं।

इससे एक ब्रिज बनता है, आपस में तालमेल बनता है। इसकी वजह से ही आज पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। वह ऐसे नहीं हुआ है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए हमने ठोस कदम उठाया है और वहां के लोगों का दिल जीता है। वहां जो विकास की धारा बह रही है, वह निरंतर आगे बहती रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं।

मैं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही पूर्वोत्तर में गया। पहली बार मैंने पूर्वोत्तर के लोगों से कहा कि आपने हथियार उठाया है, लेकिन किसी जमाने में उठाया है। पहले की केंद्र सरकार ने आपकी उपेक्षा की है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। आपने हमारी गलती से हथियार नहीं उठाया, बल्कि किसी और सरकार की वजह से हथियार उठाया। हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने बातचीत करने की प्रक्रिया के दायरे को और बढ़ाया है। हम सभी से बात कर रहे हैं, चाहे वह छोटा गुट हो या बड़ा गुट हो। हमने दोनों तरीके अपनाये हैं, पहला यह है कि हम सभी से बात करेंगे और खुले दिल से बात करेंगे। दूसरे, खुले दिल तथा सही तरीके से बात करने के बावजूद भी अगर कोई देश के खिलाफ काम करता है, तो हम ठोस कदम भी उठाएंगे।

हम अंग्रेजी में कहते हैं कि 'iron fist in a velvet glove.' हम शॉफ्ट एप्रोच भी अपनाते हैं और हार्ड एप्रोच भी अपनाते हैं। जहां ऑपरेशन करना है, जहां इनोसेंट लोगों को मारा जाएगा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, हम इसकी निगरानी कर रहे

हैं।...(व्यवधान) इसका नतीजा अभी मिल रहा है। श्री भर्तृहरि महताब जी ने जो कहा, वह सही है। हम लोग आपस में मिलते-जुलते रहते हैं। वह मेरी मन की बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया।

हम लोग जोर से कदम उठाने की बात नहीं कहते हैं। हम पहले मौका देते हैं, इसके बावजूद भी यदि कोई बाहरी ताकतें हैं, जो देश के खिलाफ काम करती हैं और उनके साथ जो मिले-जुले लोग हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमने सही तरीके से काम करना शुरू किया।

महोदय, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, नॉर्थ-ईस्ट के अंदर इतनी डायवर्सिटी है, यहां बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हमारे गृह मंत्रालय में जो नॉर्थ-ईस्ट डिवीजन है, वहां हमारे जो भी अधिकारी है, हम सभी सेंसिटाइज़ किए हुए लोग हैं। पूरे नॉर्थ-ईस्ट के बारे में सब को मालूम है कि क्या करना चाहिए और वहां के लोग क्या चाहते हैं। जिनके पास ज्ञान है, वही अधिकारी हमारे यहां काम कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पहले की सरकार ने अपनी पॉलिसी में कुछ गलितयां की हैं, मैं ऐसा मानता हूं। हमारी ड्यूटी है कि जो गलितयां पहले हुई है, उनको कैसे सुधारा जाए? यह हमारा दायित्व है। वहां क्या नई चीज जुड़ सकती है, उसे भी हम कर सकते हैं।

जैसे कि अभी नॉर्थ-ईस्ट में आठ राज्य हैं। देश में हमारी जो मेन लेन है, उसके साथ दो परसेंट लोग जुड़े हुए हैं और 98 परसेंट पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वोत्तर के लोगों को अच्छा काम मिले, उनको अच्छी तरह से मदद मिले, उनके विकास के लिए सही कदम उठाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 'Look East Policy' को बदल कर 'Act East Policy' बनायी है। 'Act East Policy' बनाने के बाद जो कार्य शुरू किया गया है, अभी प्रधानमंत्री जी लगातार नॉर्थ-ईस्ट जा रहे हैं। हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, वे लगातार वहां जा रहे हैं। अभी वहां सभी कोनों से लोगों को जोड़ने का काम शुरू हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछले साढ़े चार सालों में जो काम हुआ है, अगर वह 70

या 80 के दशक में हो जाता, तो वहां जो भी उग्रवादी घटनाएं तथा गड़बड़ी हो रही हैं, वे बंद हो जाती। अब जाकर यह धीरे-धीरे कम हुआ है।

महोदय, आपको मालूम है और जब आप पिछले साल की रिपोर्ट देखेंगे, हमने पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट रखी है। वहां जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस तथा सिविलियन का मारा जाना भी शामिल है। इनकी संख्या में लगभग 75 परसेंट की कमी आई है। यह कोई मामूली बात नहीं है।

हमारे आर्मी चीफ जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह बैठे हैं। जब वह थल सेना अध्यक्ष थे, उनको सारी चीजें पता है। आप उनसे पूछिए। नॉर्थ-ईस्ट में आर्मी तथा सिक्योरिटी फोर्सेस के सिर्फ ऑपरेशन होते रहते थे। वहां विकास की तो कोई बात ही नहीं करता था। अब हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा है, होम मिनिस्ट्री की जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, वहां इंडियन आर्मी के भी लोग हैं। अब वे बैरक में हैं और देश को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग विकास को प्राथमिकता से आगे रखकर चल रहे हैं।

एक समय नार्थ-ईस्ट जाने के लिए लोग हमसे पूछते थे कि मैं नार्थ-ईस्ट जा रहा हूं, वहां सेफ है क्या, वहां जाने पर कोई मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, कोई बम नहीं फटेगा, कोई गोली नहीं चलेगी, जाना सही है क्या? लोग ऐसे डरते थे। आज टूरिज्म के सैक्टर में लोग भर-भर कर जा रहे हैं, कितना इजाफा हुआ है। पूरे माहौल में परिवर्तन हुआ है।

कांग्रेस के दोस्तों को मैं कहना चाहता हूं कि हम राजनीति की दृष्टि से ये सब चीजें नहीं देखते हैं। आपने जितनी बातें कहीं, मैं आपको सिर्फ उनका जवाब दे रहा हूं। हमारे काफी मेंबर्स ने, बीजेपी के भी काफी मेंबर्स ने इस चर्चा में भाग लिया, कम्युनिस्ट के सदस्यों ने, कांग्रेस के सदस्यों ने, सब ने इसमें अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को हम गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंक्ल्यूड करेंगे।

मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी सरकार ने जो किया है, पुरानी कांग्रेस सरकार के जमाने में जो गलतियां हुई हैं, उसमें सुधार करते हुए हम आगे चल रहे हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए विनसेंट एच. पाला जी से अनुरोध करता हूं कि आपने जो-जो डिमांड्स की हैं, लगभग हमने उनको एग्री किया है। हमारा कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तैयार है, कैबिनेट नोट बन चुका है, हम उसे लेकर यहां आने वाले हैं। आपके दिल में कोई संशय होने या आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका जो प्राइवेट मेंबर बिल है, कांस्टीट्यूशनल अमेंडममेंट बिल है, आप उसको वापस ले लीजिए। हम सब मिलकर नार्थ-ईस्ट को हिंदुस्तान की मुख्यधारा में जोड़ें और आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए। हो सके तो आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, हमारे साथ आइए। यही हमारा फ्यूचर है।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you, Sir.

Thank you, hon. Minister, for giving such an excellent reply. I express my gratefulness to all the Members who have participated. I am proud to say on behalf of my people that this is the longest ever discussion on a Private Member's Bill. I have collected nine CDs showing who have supported and who have opposed the Bill.

HON. CHAIRPERSON: You have made history!

SHRI VINCENT H. PALA: Thank you for helping me make history!

I am grateful to the Minister. He has said that the Cabinet Note has been prepared and most of the proposals which we have given – not only by me but by many other Members who have spoken including Shri Bhartruhari Mahtab who has spoken a lot – will be incorporated. I do not know when the Bill would be brought but the people of Meghalaya expect the Bill to be brought in this Session. The election for the Council has been announced and will be conducted in February. If we pass the Bill in this Session, the election can be fought on the basis of the new law in which so many things will be incorporated.

First of all, I want to stress that in the Sixth Schedule, on the issue of mines, there is a bit of a clash because of the land tenure system. The land belongs to the tribal people. It cannot be purchased or auctioned by the Government. This being the case, when you bring the Bill for amendment, that has to be taken care. Under the present land tenure system, all the major minerals, coal, limestone, and

28.12.2018

uranium have to be auctioned by the Government. The land belongs to the tribal people as per the latest Supreme Court ruling and so the mines also belong to the tribal people. Therefore, the law has to be made in such a way that there is no clash. This has to be examined properly.

Secondly, the hon. Minister has spoken about the customary laws. For example, most of the tribal people from Khasi and Jaintia communities are good at handicrafts and efficient in the textile industry. I would suggest that the Government should set up an autonomous research centre here instead of setting up such centres in Kolkata or Mumbai where people from the North-East would go and work. If they set up a textile industry research centre in the North-East, the people there could be employed. If this is also included in the new law, either in the Bill or in the rules, the people of the North-East will be greatly benefited.

Sir, as 90 per cent of the Northeast is surrounded by the international border, Land Custom Stations along the border can be worked out. All the Land Custom Stations which have already been under construction have been delayed because of different reasons. For example, we had laid the foundation stone for Dawki Land Custom Station but the work on it is very slow. I am told that the company has gone into bankruptcy. I think the Home Ministry should review it and see if something could be done. Special care has to be taken with regard to this so that not one or two stations are made functional but a way is made for many more to follow so that the tribal and the landlock areas can be developed.

28.12.2018 288

Our Constitution clearly says that Para 12 (a)(b) is just like a Constitution

within the Constitution which empowers the Government to recommend to the

President of India to give notification in favour of the District Council. I think this

Para 12 (a)(b) can be implemented for mines and other regulations also.

I am happy with all the answers you have given. Most of the Members who

spoke, especially from BJP, have supported the Bill and have given some

suggestions also. As you have given an assurance that we are going to pass this

Bill, I do not have any problem in withdrawing the Bill.

I beg to move for leave to withdraw the Bill further to amend the Sixth

Schedule to the Constitution of India in its application to constitution of District

Councils and powers of the District Councils and Regional Councils.

HON. CHAIRPERSON: The guestion is:

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Sixth

Schedule to the Constitution of India in its application to constitution of

District Councils and powers of the District Councils and Regional

Councils."

The motion was adopted.

SHRI VINCENT H. PALA: I withdraw the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, President's recommendation for consideration has not been received on Item Nos. 175 and 176. So, the House will now take up Item No.177.

28.12.2018

16 52 hrs

TELEVISION BROACASTING COMPANIES (REGULATION) BILL, 2015

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों द्वारा ब्रॉडकास्टिंग चैनलों को बंद किए जाने तथा उससे संबंधित विषयों का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, इस घटना से पहले मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। यहां व्हिप जारी होने के कारण मैं घर नहीं जा सका, कल मेरे गुरूदेव का जन्म दिन था। मुझे उन्हीं की बात इस बिल के संदर्भ में याद आई। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि सूचना और सोचना, अगर ये दोनों चीजें साथ होंगी तो निश्चित रूप से परिणाम भी ठीक होंगे और निर्णय भी सही होगा। जब मैं इस बिल की बात करता हूं, जिन ब्रॉडकॉस्टिंग कंपनियों के बारे में सदन में चर्चा कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि सदन इस पर गंभीरता से विचार करेगा। पहली चीज आती है, जितनी भी ब्रॉडकॉस्टिंग कंपनियां हैं, वह काम क्यों करती हैं? वह व्यापार के लिए करती है या परोपकार के लिए करती हैं। मैं मानता हूं कि जब कभी कोई जागरण का काम होगा तो वह व्यापार नहीं हो सकता है, वह परोपकार ही हो सकता है। जब कभी देश में कोई न्यूज चैनल चलता है, जब यह चर्चा मेरे मन में आई थी, उस समय किसी भी न्यूज चैनल का रजिस्ट्रेशन भारत में नहीं होता था बल्कि बाहर के देशों से रजिस्ट्रेशन कराना होता था और हम उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाते थे। उस समय सेट-टॉप बॉक्स का बिल इसी सदन के भीतर आया था, उस समय भी मैंने यही बात कही थी। पिछले दो वर्ष पहले अचानक कोई चैनल बंद हो गया, उसके भीतर जितने वरिष्ठ पत्रकार, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को चलता कर दिया गया। यह पता चला कि सरकार को उनको कुछ देना नहीं है, केवल एक करोड़ रुपये जो पड़ा हुआ है उसको राजसात कर देना है।

सभापित महोदय, मुझे उसी दिन लगा कि कहीं-न-कहीं इस पर अंकुश की जरूरत है। सदन इस पर चर्चा करे। सरकार कानून लेकर आएगी, सरकार के बहुत-सारे कानून हैं। जब वे कंपनी एक्ट के तहत रिजस्टर्ड होते हैं, तो कंपनी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, परन्तु अक्सर ऐसा नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि जो टेलीविजन कंपिनयां हैं, उन सबके सामाजिक सरोकार इतने बड़े हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र इतने बड़े हैं कि कोई भी उन पर बहुत आसानी के साथ उनके खिलाफ जाना नहीं चाहता, उन पर हाथ नहीं डालना चाहता। मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि हम किस दृष्टिकोण से इन पर चर्चा करें। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं, ऐसा नहीं है।

मैं मजदूरों के बीच काम करता था, तब भी मैं यह बात महसूस करता था कि कभी कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर अगर किसी एक्सीडेंट में मारा जाए, तो उसके प्रभाव के कारण उसको कोई मदद मिल जाए तो मिल जाए अन्यथा उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। अगर उस मीडिया ग्रुप का कोई रेग्युलर इम्पलाई है, तब तो उसकी पेमेंट के साथ में उसकी इंश्योरेंस होगी, लेकिन अगर वह परमानेंट इम्पलाई नहीं है, तो चाहे वह कितनी ही वर्षों से काम कर रहा हो उसकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी ऑन पेपर कहीं पर एक नम्बर पर नहीं है, यह बात बिल्कुल साफ है। मुझे लगता है कि जब कभी चैनल बंद होता है, तो चैनल पर कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए, कोई नैतिक जवाबदेही तो उसकी बनती है, पर उसकी कानूनी बाध्यता कुछ है कि नहीं? उससे जुड़े हुए समूह में लगे हुए लोग जो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद करते हैं, उसके लिए कामकाज करते हैं। क्या उनके जीवन के, उनके बच्चों के, उनके परिवारों के भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए? मेरा इस विधेयक को लाने के पीछे अगर कोई मकसद है तो मकसद सिर्फ इसी घटना के कारण है। इसलिए सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जागरण के इस पवित्र उद्देश्य से जो काम शुरू हो रहा है, आज देश में दुर्भाग्य से वह कहीं-न-कहीं सिर्फ व्यापारिक और निजी हितों तक ही

सीमित रह गया है। इसलिए मुझे लगता है कि कभी इस सदन को निश्चित रूप से इन तमाम कंपनियों को जो टेलीविजन की ब्राड कॉस्टिंग कंपनियां हैं, इनका एक बार आबजर्वेशन होना चाहिए। लोग कह सकते हैं कि उनका कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है, तो कंपनी एक्ट के तहत कार्रवाई हो।

दूसरी बात यह है कि ये कंपनियां जब काम करती हैं, तो उनके काम करने के तरीकों पर, लोग कहेंगे कि यह प्रसार भारती है, कोई कुछ और कहेगें। लेकिन, मुझे लगता है कि अभी भी उस पर अंतिम निणर्य नहीं हुआ है। इस सदन में तमाम वरिष्ठ लोग हैं, जो इस पर अपनी बात कहेंगे। लेकिन, प्रसार भारती हो या अन्य कोई प्लेटफार्म्स हों, वे कभी भी बहुत आसानी के साथ इन पर कार्रवाई करने की क्षमता नहीं रखते हैं, वह अधिकार उनके पास नहीं है। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कहीं-न-कहीं यह किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, किसी समूह की ताकत का सवाल नहीं है कि वह किसकी विचारधारा के साथ जाता है. किसके साथ नहीं जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति यह बात मानता है कि हम जब कभी किसी को मौखिक रूप से कोई बात कहते हैं, सुना देते हैं या वह पढ़ लेता है, वह उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली वह तब होती है, जब चित्र के साथ वह बात प्रस्तुत होती है और ज्यादा मारक भी होती है। प्रभाव का मतलब यह नहीं है कि वह नुकसान नहीं करेगी। दूसरी बात आती है कि जब वह इतना प्रभावी तंत्र है, इतना प्रभावी प्लेटफार्म है कि आसानी के साथ कोई सरकारें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होती, तो आम आदमी की क्या हैसियत है, उसके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी की क्या सामर्थ्य है कि वह जाकर उनके खिलाफ लड़ेगा या उनके सामने जाएगा या उनके खिलाफ न्यायालय में जाए। यह सब इतना आसान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जब यह इतनी जवाबदेही का सिस्टम है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चौथा स्तम्भ मीडिया है। आखिर यह भी तो मीडिया का ही हिस्सा है। जब इतनी बड़ी जवाबदेही का तंत्र है, जो सबकी समीक्षा का अधिकार रखता है, जो सबके बारे में 28.12.2018

जब मर्जी आए अपनी बात बेवाक तरीके से कहता है। इस देश में आजादी है, बाकी देश में होगी या नहीं होगी। इसका मतलब है कि समाज के एक बड़े वर्ग को निश्चित रूप से प्रभावित करता है, यह बात बड़ी साफ है। जब इतना प्रभावशाली तंत्र अपने आप में सामने खड़ा है और उसके बाद उसके भीतर ही इतनी सारी विसंगतियां हों, उदाहरण के लिए वे हमारे बारे में या हमारी सरकार की नीतियों के बारे में, राज्य सरकार की नीतियों के बारे में, मजदूर संघों के बारे में, जब इस बात की वह समीक्षा करता है, कोई भी इलेक्ट्रानिक चैनल या कोई भी मीडिया ग्रुप जब यह बात डिस्कशन करता है कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है?

17 00 hrs

सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी के जितने पैमाने, नियम और कानून हैं, वे ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तब जरूर उंगली उन पर भी उठती है कि जब आप अपना चैनल बन्द करते हैं तो आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी कौन लेगा? वे भी देश के उस कानून के तहत आते हैं, उन तमाम कानूनों और मर्यादाओं से बंधे हुए लोग हैं। आप तमाम लोगों की समीक्षा करेंगे, आप कानून की समीक्षा करेंगे, उन कानूनों का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी समुदाय की समीक्षा करेंगे, कानून बनाने वाले राजनेताओं की समीक्षा करेंगे, राजनीतिक दलों की समीक्षा करेंगे, लेकिन जब आप पर गुजरती है, आपके लोगों पर गुजरती है और आपके द्वारा गुजरती है, तब उसकी समीक्षा कौन करेगा? मेरे इस बिल को लाने के पीछे यही दर्द था। इसलिए मैं कहता हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बिना किसी बंदिश के या बिना ऐसे किसी फ्रेमवर्क के हो तो मुझे लगता है कि यह देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इस नाते मैं यह बिल आज सदन में लेकर आया हूं। उनकी जवाबदेही है और वे नैतिक रूप से ज्यादा जवाबदेह हैं। जब आप कोई चीज दिखाते हैं, खासकर उस क्षण जब लाइव टेलीकास्ट होता है, ऐसी विसंगतियां सामने आती हैं कि असंसदीय शब्द है 'झूठ', लेकिन यह बात है कि कुछ 'झूठी' खबरें निकल जाती हैं, कुछ गलत बातें निकल जाती हैं।

कुछ त्रुटिपूर्ण बातें रिले हो जाती हैं, भ्रामक सूचनाएं भी उसके साथ में जाती हैं। तीसरी बात यह होती है कि विवेक के आधार पर इस बात को तय करना कि क्या चीज प्रसारित होनी चाहिए और क्या चीज प्रसारित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास एक तंत्र है, आप कहते हैं कि यह हमारे ग्रुप एडिटर हैं, एडिटर हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया में नीचे तक और भी तमाम पद हैं। फिर गलतियां कैसे हो सकती हैं? अगर गलतियां हुई हैं तो उन जवाबदेह लोगों का एक बड़ा चैनल है, उसके बाद भी अगर गलती होती है तो उसकी जवाबदेही किस पर जाएगी? क्या इस प्रकार की गलतियों पर कोई अंकुश लगाने का कानून देश में है? यह जवाबदेही क्या सिर्फ नैतिक रह जाएगी? क्या कानूनी रूप से जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए?

मेरे इस बिल की दूसरी मंशा यह है कि जब इतना प्रभावशाली मंच है और अगर उससे कोई गलती हो गई है तो स्वाभाविक है कि वह बड़ी जगह पर बड़ा नुकसान करेगी, क्या ऐसी जगह पर कानून नहीं होना चाहिए? क्या तात्कालिक रूप से जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? यह मेरा दूसरा आशय है। तीसरी बात मैं यह कहता हूं कि हम सरकार के सरोकारों की बात करते हैं, समाज के सरोकारों की बात करते हैं, हम बाकी समूहों के सरोकारों की बात नहीं होनी चाहिए? यह मेरा तीसरा बिन्दु है। मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से इनके सरोकारों के बारे में भी विचार होना चाहिए।

यह दौर अब सिर्फ इतना सीमित नहीं रहा है कि भारत का कोई मीडिया ग्रुप या मीडिया कंपनी काम कर रही है। अब अन्य तमाम देशों के बड़े ग्रुप यहां आकर, हमारे इन ग्रुपों में शामिल होकर उस अभियान को और तेज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह परिस्थित हमारे सामने आ चुकी है, जब हमने एफडीआई का रास्ता खोला और बाहर से दूसरे मीडिया ग्रुप्स उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करने लगे और यहां पर मीडिया ग्रुप या कंपनीज चलाने का काम कर रहे हैं। तब मुझे लगता है कि इस सदन को बहुत जल्दी इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि जिन बातों को हम तय करते हैं, जो लोग

हमारे प्रति या हमारे देश के प्रति अच्छा भाव नहीं रखने वाले हैं, कहीं वे इसे अपने दुष्प्रचार का माध्यम तो नहीं बना लेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि हम किसी पर शंका न करें। हमें इस पर कोई आपित्त नहीं है कि उस समूह में कौन लाभ कमाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं, जिनके बारे में निश्चित रूप से कानून की शक्ल होनी चाहिए या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके भीतर इनकी समीक्षा हो सके।

मैं सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि मीडिया सेक्टर में जो कंपनीज होती हैं, उनमें कुछ चीजें तय होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे किसी डाक्टर के बारे में समाचार आया, हमने समाचार में सुना या पढ़ा कि ऑपरेशन हुआ और मरीज के पेट में एक तौलिया रह गया। सबको पता है कि तौलिया पेट में नहीं रह सकता, कोई ब्लड सोखने का कॉटन या कोई छोटी-मोटी चीज हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे तौलिया कहेंगे तो जो आम आदमी उसे देख रहा है या सुन रहा है, उसे लगता है कि पांच-छ: फीट का कोई तौलिया पेट में रह गया होगा। मुझे लगता है कि जब कभी ऐसी बातें चलती हैं तो क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? आखिर हम इतनी अतिरंजना के साथ किसी बात को कहकर समाज में कौन सा भला करने वाले हैं?

क्या समाज में एकता नहीं होनी चाहिए? हम पर तो बहुत-सी नैतिक जिम्मेदारियाँ डाली जाती हैं। हर जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी है भी कि उसके द्वारा भूल से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या यह जवाबदेही चौथे स्तम्भ पर नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसी कंपनियों की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें एक-एक चीज पर बात करनी चाहिए। यह ठीक है, वह प्रभावशाली तंत्र है, प्रभावशाली मंच है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि उसे इस बात की आज़ादी मिल जानी चाहिए कि उसकी जो मर्जी आए, वह करता रहे। एक छोटी-सी बात का असर हुआ कि उसके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ऐसा हुआ।

मैं जबलपुर की एक घटना से प्रभावित था। एक पत्रकार की उसके घर के सामने...उसी दिन उसके बच्चे का जन्म हुआ था। विधवा पत्नी थी, वह नौज़वान थी, उसके आगे-पीछे कोई नहीं था। जब उसकी लड़ाई शुरू हुई, चूंकि वह कहीं पर एनरोल नहीं था, वह किसी का एम्प्लाई नहीं था। अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होती, तो उसको दस लाख रुपये की भी राहत नहीं मिल पाती। ऐसी दोतीन घटनाओं ने मेरे जैसे व्यक्ति को उद्बेलित किया। एक तरफ हम सामान्य मज़दूर के लिए क़ानून बनाने की बात करते हैं। लेकिन ये पढ़े-लिखे लोग हैं, समाज के सरोकारों के लिए काम करने वाले मीडिया-पर्सनल्स हैं, क्या उनकी ज़िन्दगी में इस प्रकार की राहत नहीं होनी चाहिए, इस बात का संरक्षण नहीं होना चाहिए?

जो मैं बिल लेकर आया हूँ, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी एक कम्पनी भर के बारे में विचार किया जाए, बल्कि कम्पनियों के कामकाज़ पर भी विचार किया जाना चाहिए कि वे कैसे काम करती हैं। अपने गठन के समय वे जिन उद्देश्यों को पूरा करने की बात करती हैं, वे उनके विपरीत तो नहीं जा रही हैं। हम कई बार यह सोचते हैं कि यह लीज़ है, स्कूल बनाने के लिए, लेकिन जब हम स्कूल नहीं बनाते हैं, तो उसकी लीज़ कैंसिल हो जाती है। हम कहते हैं कि आपने जिस काम के लिए यह भूमि ली थी, अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया, आपने उसकी लैंड यूज़ बदलने की कोशिश की है, तो आपकी लीज़ समाप्त हो जाएगी।

जो ब्रॉडकास्टिंग कम्पनियाँ हैं, वे जिन उद्देश्यों के लिए पंजीकृत होती हैं और अपना काम शुरू करती हैं, जब वे अपने उद्देश्यों के खिलाफ जाती हैं, तो कहीं-न-कहीं उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ।

जब मैं यह बात कहता हूँ कि वे पैसे कमाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई आपित्त होनी भी नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए विज्ञापन जगत है। सरकार के पास नियम हैं, उनके अपने रेट्स हैं। सरकार जब विज्ञापन देती है, तो उसके अपने रेट्स हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी

28.12.2018

कोई पारदर्शी व्यवस्था है, जिसके तहत सरकार के लिए जो रेट्स हैं, सरकार उसी के आधार पर भुगतान करेगी, लेकिन प्राइवेट एजेंसीज़ के लिए अलग व्यवस्था है। लेकिन वह कभी स्पष्ट नहीं होता है कि हम उसे किस सीमा तक ले सकते हैं। यह कोई ऐसा व्यापार नहीं है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसमें मनमर्ज़ी करने की छूट होगी। यह ठीक है कि सरकार को दस रुपये लगेंगे क्योंकि सरकार समाज के लिए काम कर रही है। वह टैक्स पेयर्स का पैसा है, मेहनत का पैसा है। वह उस परिवार के पास भी होता है, जो प्राइवेट तौर पर विज्ञापन दे रहा है। लेकिन यदि आपको लगता है कि यह कमर्शियल है, यह भी कमाएगा, तो आप उसमें रेट तय कर दें। क्या इसके लिए भी कोई क़ानून है? इसके लिए भी कोई सीमाएं हैं? जब आप एक तरफ पूरे समूह के लिए लाभ कमाने का काम करते हैं, तो आपको उसकी भी चिन्ता करनी चाहिए, जो समूह में पैसे कमाने के लिए आपका सहयोगी था, चाहे वह कैमरामैन हो, पत्रकार हो, संपादक हो। क्या रैशनलाइज़ेशन तरीके से उनको उसका लाभांश मिलता है? ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं दिखती है। यदि ऐसी कोई व्यवस्था होगी, तो शायद मुझे मालूम चलेगा, मेरी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन अभी मैं भाषण कर रहा हूँ और अब तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किसी फॉर्मेट के भीतर कोई अपने निचले कर्मचारियों-सहयोगियों को लाभ देता है। यह बात मेरे ध्यान में नहीं है।

मुझे एक बात और लगती है कि जब कभी मैं कहता हूँ कि समाचारों को गलत ढंग से प्रसारित न किया जाए, तो मेरे जैसे व्यक्ति की यह अपेक्षा है कि इस क़ानून के तहत यह भी प्रावधान होना चाहिए कि चाहे कोई एंकर हो, प्रबंधक हो, ग्रुप एडिटर हो, कहीं पर तो योग्यता की बात होनी चाहिए। मैं उनको अयोग्य नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि विषय का जानकार होना चाहिए। यदि हम देखें, तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, एक ही बातें रिपीट होती रहती है। लेकिन कहीं पर जवाबदेही तो होनी चाहिए कि हम समाज को क्या परोस रहे हैं, हम समाज को क्या देना चाहते हैं?

सभापित महोदय, इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ न्यूज़ नहीं, बल्कि बाकी चीज़ें भी तो ये कंपिनयां चलाती हैं। उसमें सीरियल्स होते हैं। क्या इनके लिए कोई जवाबदेही नहीं है? समाज में आप जो परोस रहे हैं, क्या वह हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप है? वह हमारी सामाजिक व्यवस्था को मज़बूत करेगा या कमज़ोर करेगा? वह हमारे मूल्यों को घटाएगा या मूल्यों को बढ़ाएगा? क्या वह मूल्यों को प्रेरित करने का काम करेगा? आने वाली पीढ़ी को वह जानकारी तो दे, दुनिया की जानकारी दे, लेकिन कम से कम इस ज़मीन की जानकारी भी दे, ताकि उसका रास्ता न भटके।

सभापित जी, मुझे लगता है कि जब कभी मैं यह बात कहता हूं, तो कुछ तो तय होना चाहिए कि वास्तव में हम कहां से कहां जा रहे हैं। यह मेरा उद्देश्य था, इस बिल को लाने का। आगे, मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि जब कभी देश के लिए ये मीडिया ग्रुप्स बनते हैं, जैसा कि मैंने शुरूआत की थी, कि पहले जब कभी न्यूज़ चैनलों ने अपने रिजस्ट्रेशन कराए, तो भारत की ज़मीन से बाहर कराए। इसी सदन में जब मैंने पूछा था, तो यह बात सच साबित हुई थी। लेकिन ठीक है, आज हमारे देश में रिजस्ट्रेशन होने लगे हैं। हम देश के लिए काम कर रहे हैं। हम देश की मज़बूती के लिए काम कर रहे हैं। क्या देश का चित्र समाज के सामने परोसने का काम हम कर रहे हैं? क्या वे चीज़ें, जो हम बनाएं, जो हम बांटें, जो हम बताएं, क्या वे देश की संस्कृति को मज़बूत करने वाली हैं?

सभापित जी, क्या कभी इस आधार पर भी सरकारें इसे तय करेंगी? लोग कह सकते हैं कि मीडिया स्वतंत्र है, उसको सरकार बांध नहीं सकती है, लेकिन सरकार की और समाज की अपेक्षा तो है। जो अपेक्षा आप न्यायपालिका से करते हैं, जो अपेक्षा आप कार्यपालिका से करते हैं, जो अपेक्षा आप व्यवस्थापिका से करते हैं, वही अपेक्षा इस चौथे स्तंभ से करना क्या गलत है? इसलिए मुझे लगता है कि वह जवाबदेही वहां पर भी होनी चाहिए। डिस्कशन उस पर भी होना चाहिए। मैं उस नाते ही इस सदन में इस बात को रख रहा हूं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात को कहता हूं। मैं दत्तोपंत थेंगड़ी की थर्ड-वे, तीसरा रास्ता किताब पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि संस्कृति में भी हम बदलाव

28.12.2018

को स्वीकार करते रहे। हमने कभी इस बात पर हठ नहीं किया। धर्म ऐसी चीज़ है, जिसको बदला नहीं जा सकता। उसके सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता। लेकिन उन तमाम समयकाल परिस्थितयों के आधार पर संस्कृति में परिवर्तन स्वीकार होता है।

सभापित जी, हम देखते हैं कि जब कुंभ लगता है, तो हम बहुत सारी बातों को कालग्राही मानकर अलग करते हैं और नई बातों को अपने साथ में, सरोकार के साथ में जोड़ते हैं। लेकिन मीडिया कभी उन बातों को नहीं बताता है। अगर मीडिया बताए, कि कोई दिगम्बर साधु है, जो खड़ा हुआ है और चिलम पी रहा है, उसको तो वह प्रचारित करेगा, लेकिन 12 बरसों के एक युग के बाद में जो सामाजिक सरोकारों में होने वाले परिवर्तन हैं, उस पर जो गंभीर मंत्रणाएं होती हैं, जो हमारी श्रुतियों और स्मृतियों के आधार पर उनमें परिवर्तन होते हैं, उनका कभी उल्लेख नहीं होता है। क्या वह प्रमुखता के साथ नहीं होना चाहिए? यू.एन.ओ. ने भी मान लिया है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई समूह नहीं हो सकता, जिसमें कोई आमंत्रण नहीं बंटता, जिसकी बाकी कोई व्यवस्थाएं नहीं होतीं, जिसकी कोई सूचना नहीं होती, कलेंडर में पता नहीं ढूंढने पर एक छोटी सी लाइन मिल जाती है और अनपढ़ आदमी से लेकर पढ़ा-लिखा आदमी उस कुंभ में जाता है। वह उसमें अपनी व्यवस्था से जाता है और चला आता है। करोड़ों लोग जब इस व्यवस्था का पालन करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या ये चीज़ें इस समाज को और दुनिया को बताने के लिए नहीं हैं? यह सिर्फ देश का सम्मान नहीं होती है।

सभापित महोदय, मैं तीसरी बात शिक्षा के बारे में कहता हूं। हम शिक्षा को सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं मानते हैं। हम शिक्षा को सिर्फ स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई से नहीं जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि समाज को भी पढ़ो और पुस्तकों को भी पढ़ो। जब दोनों को कोई पढ़ता है, तो वह शायद बहुत श्रेष्ठ नागरिक बनता है। जब कभी इन बातों पर चर्चा होती है, तो हमारी आलोचना हो। हमारी किमयां हैं, तो हमारी आलोचना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या तुलना के आधार पर इन बातों पर इन मीडियों

समूहों में कभी बातचीत होती है? जब मैं इन विषयों की बात करता हूं, यदि कोई रिसर्च की बात करेगा, तो उसी योग्यता के आधार पर जब वहां पर एंकर होगा, तब ही तो वह अपनी बात कह पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी विषय हों, उन विषयों का जानकार वहां पर हो। पुरातत्व की हमारे पास बहुत समृद्ध विरासत है, लेकिन जब हम को पढ़ाया जाता है और हमसे यह कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जो हमसे ज़्यादा पुरातन और प्राचीन हैं। बाद में धीरे-धीरे पता चलता है कि डॉक्युमेंटेशन करने में हमने कोई गलती कर दी होगी, लेकिन उसके बाद भी हम ज़्यादा पुराने हैं। ऐसे अनेक मामले अब हमारे सामने आ गए हैं। इसके बावजूद भी क्या हम कभी इन कंपनियों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते? क्या इन पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? हम भारत के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। हम भारत के हितों के लिए काम कर रहे हैं। हम भारत से ही कमा रहे हैं और भारत के लिए ही हम उसको देना चाहते हैं। जब आपका इतना बड़ा उद्देश्य है, तो ऐसी बातों से दुनिया के सामने जो चित्र उभरकर सामने आता है, उसको साफ करने का काम कौन करेगा?

जब हम इस बात पर गर्व करते हैं कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी यू.एन. गए थे, तो वह पहले प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने हिन्दी में भाषण दिया था। आज दुनिया भी उनका लोहा मानती है और हम भी गर्व के साथ अपना सिर ऊपर करते हैं। मीडिया ग्रुप्स के साथ में हमारी भी यह अपेक्षा होती है कि दुनिया में ये चीजें होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: ये प्राईवेट मैम्बर्स रिजॉल्यूशन है, जो इनिशियेट करता है, उसको समय मिलता है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि जब कभी हम अपनी ऐसी चर्चाओं की अपेक्षा करते हैं तो इलैक्ट्रोनिक मीडिया, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यदि उस पर कोई अच्छा डिस्कसन होगा, कोई बेहतर बात उस पर होगी तो निश्चित रूप से दुनिया में हमारी अच्छाइयां भी जाएंगी। ये देश कभी भी आलोचना से नहीं घबराया है, संवाद और विमर्श से नहीं घबराया है। हमेशा हमने माना है कि विमर्श अच्छा हो, विमर्श हितकारी हो, विमर्श सकारात्मक हो, विमर्श आगे बढ़ने वाला

हो। इसलिए मैं मानता हूं कि यह बेहतर प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी सीमाएं निश्चित रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए कि वास्तव में उसके कर्त्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, उसके दायित्व क्या हैं?

सभापित जी, मेरा चौथा पॉइंट निदयों का है। हमारे पास में निदयां रही हैं। एक समय हम कहते थे कि हमारे यहां दूध की निदयां बहती थीं। अभी मैं एक जनसंख्या के कार्यक्रम से आया हूं, जो सौ करोड़ वीं बेटी थी, वह उस कार्यक्रम में आई थी। उसने जो बात कही थी, उसी को मैं दोहरा रहा हूं। उसने कहा था कि इस देश में एक समय दूध की निदयां बहती थीं, लेकिन अब तो निदयों में जल भी नहीं बहता है। निदयां भी सूखने लगी हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है?

सभापित महादेय, मैं इस सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अटल जी राज्य सभा के सदस्य थे। मैं वर्ष 1989 में पहली बार इस सदन में आया था। उस समय चन्द्रशेखर जी देश के प्रधान मंत्री थे। अटल जी का वह भाषण मैंने राज्य सभा की दर्शक दीर्घा से सुना था। बात तो कुछ और थी। बात यह थी कि चन्द्रशेखर जी को 'देशद्रोही' कहा गया था, लेकिन मूल्य स्थापित करने के बाद अटल जी ने राज्य सभा में कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पीने के पानी के लिए होगा। देश की आबादी बढ़ रही है, देश की आबादी का घनत्व तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारी बारहमासी नदियां सूख रही हैं। जल का भीषण संकट है। इसके बाद भी यदि हम इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि यह देश के हित में नहीं होगा। जल संकट है, जल का संकट दिख रहा है। हमारे मनीषियों में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोगों ने कहा है, यह सच भी है कि यह देव भूमि है। हमारे पास अण्डरग्राउण्ड वाटर के सोर्सेज़ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, मीठे पानी के सोर्सेज़ ज्यादा हैं, बहते हुए पानी में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ पीने के लायक है। मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार पीने के पानी के लिए बांध बनाकर बाकायदा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर रही है।

मैं अटल जी का जिक्र कर रहा था। अटल जी ने कितनी दृढ़ता के साथ वर्ष 1989 में जब मैं पहली बार संसद में आया था, तब उन्होंने यह बात कही थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पीने के

पानी के लिए होगा। क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि आने वाले 30-40 साल के लिए आगे तक सोचें? इसी मंशा से किसी की आलोचना के लिए यह बिल लेकर नहीं आए हैं, किसी के खिलाफ इस बिल को लेकर नहीं आए हैं। मीडिया की ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों का निर्वहन यदि ठीक तरीके से नहीं होगा और समाज में एक बार भ्रम फैल गया तो जो नुकसान वह करेगा, वह बहुत भयानक होगा। एक समय ऐसा था, उस समय पंचवर्षीय योजनाएं थीं। चुनाव को हम जागरण का अभियान मानते थे, पर्व मानते थे। लोग भी पांच साल में चुनाव के समय सजगता के साथ सुनने के लिए जाते थे। बीच के काल-खण्ड में मूर्धन्य लोगों को सुनने जाते थे, अटल जी जैसे लोगों को सुनने जाते थे।

तमाम पार्टियों के लोग, कर्मचारी और अधिकारी उनको स्नने के लिए जाते थे। अन्यथा ऐसे कार्यक्रमों में कार्यकर्ता के अलावा कोई भाग नहीं लेता था, कोई संख्यात्मक कार्यक्रम नहीं होते थे। यह बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि एक समय जागरण का एकमात्र अधिकार हुआ करता था, जब चुनाव का पर्व आता था, तब लोग मानते थे कि हमें नेताओं की सुननी चाहिए। उसके बाद हम अपने वोट का फैसला करेंगे। लेकिन आज जो मीडिया है, उसमें भी इलेक्ट्रानिक मीडिया, जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं, चाहे वे न्यूज के माध्यम से अपनी बात कहें, चाहे डिबेट के माध्यम से अपनी बात कहें या चाहे किसी सीरियल के माध्यम से अपनी बात कहें, ये निश्चित रूप से समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही हैं। उससे हम जैसे लोगों की यह अपेक्षा है कि हां, वे संस्कृति के बारे में बात करें, वे शिक्षा के बारे में बात करें, वे पुरातत्व के बारे में बात करें, वे निदयों के बारे में बात करें, वे वन के बारे में बात करें। आज अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं और वनीकरण की बात करते हैं, एक आंकड़ा शायद जिसे बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, मैं स्टैण्डिंग कमेटी में था। एक बार एक आंकड़ा आया कि डेन्सिटी ऑफ फारेस्ट इन-इन हिस्सों में बंट गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि डेन्सिटी ऑफ फारेस्ट आज से बीस साल पहले उन क्षेत्रों में बढ़ा था, जहां इनसर्जेन्सी थी। क्या डेन्सिटी ऑफ फारेस्ट यानी वन के घनत्व को बढ़ाने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाएगा? ये जो विसंगतियां आंकड़ों के रूप में

बताई जाती हैं और मुझे लगता है कि जब कभी ऐसी चीजें सामने आती हैं, तब हम सबको जागना होगा और सबको विचार करना होगा। मैं उस नाते ही इस गंभीरता को कहता हूं कि जब कभी मीडिया तंत्र की बात आती है, किसी इलेक्ट्रानिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की बात आती है, तो उसी उद्देश्य से, उसी पवित्र भाव से मेरी अपेक्षा यह है कि मेरी बात सौ लोग सुनेंगे, हजार लोग सुनेंगे, पांच हजार लोग सुनेंगे। लेकिन आपकी बात तो लाखों-करोडों लोग एक बार में सुन रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी, तो वह कितने गुना नुकसान करेगी। मैं इस गंभीरता के कारण इस बिल को लेकर आया हूं कि हमको कहीं न कहीं तो तय करना ही पड़ेगा कि गलती होने के दुष्परिणाम क्या होंगे? उन दुष्परिणामों के बारे में जिम्मेदार कौन होगा? उन परिणामों की जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कानून होगा?

सभापित महोदय, मैं नार्थ-ईस्ट में अभी कुछ समय पहले पार्टी के काम से गया था। वहां पर सब जगह मीडिया नहीं है। लेकिन उसके बाद में ऐसी-ऐसी घटनाएं घटीं कि एक नौजवान खत्म हो गया, 56 दिनों तक उसकी लाश रखी रही थी, कभी मीडिया में नहीं दिखाया गया। मैंने इसी सदन में उसको उठाया था। यानी एक-एक साल से ज्यादा 11-11 लोगों की लाशें, वहां पर उन्होंने फ्रीजर में बर्फ के साथ रख दीं और कहते हैं कि एक साल से भी ज्यादा की घटना उस मणिपुर की धरती पर घटी है। अगर वही चीज मीडिया के किसी केन्द्रबिन्दु पर होती, तो मैं पूछता हूं कि क्या संभव था? मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं उसकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि क्या ये अंतर समाज को ठीक करेगा, क्या समाज में यह एकजुटता लेकर आएगा, क्या नुकसान नहीं करेगा? ये जो चीजें हैं, वे प्रश्न बनकर खड़ी हैं और जिनके उत्तर निश्चित रूप से हमें कानून की परिधि में खोजने पड़ेंगे। मेरा यह कहना है कि खनिज है, अनुसंधान है, खनिज की भी यही स्थिति है। मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि मैं हमेशा मानता हूं, लेकिन हो सकता है कि लोग मेरी बात से सहमत न हों। ईश्वर ने किसी के साथ में अन्याय नहीं किया है। किसी को जमीन के ऊपर दिया है और किसी को जमीन के नीचे दिया है। लेकिन उन बातों को अगर हम सामने नहीं रखेंगे, तुलना नहीं करेंगे, तो यह निराशा बढ़ती जाएगी

और हम उपभोक्तावाद की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, इन्डिविजूअल बेनिफिट पालिटिक्स की भी तरफ आगे बढ़ेंगे, हम प्रलोभन की भी बात करेंगे, हम लालच की भी बात करेंगे, हम ऐसा कर देंगे। मुझे लगता है कि यह सब प्रकार से नुकसानदेह होगा। मैं इस नाते मानता हूं कि इसकी जवाबदेही सबकी है, सदन की भी है, सरकार की भी है, इस मीडिया समूह की भी है और इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं, राजनीतिक विचारधाराओं पर, राजनीतिक चिन्तकों पर, धर्मों पर, धर्म के तौर-तरीकों पर, उनकी पूजा-पद्धतियों पर, उनके नुकसान पर, उनके फायदे पर, इन सब पर भी बात हो सकती है। ज्वलंत प्रश्न बहुत से हैं। जनसंख्या है, पीने का पानी है, आतंकवाद है, ऐसा तमाम सवाल हैं, जिन पर समय की मर्यादा के साथ कहीं न कहीं चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं बिल ड्राफ्ट कर रहा था, तब मेरे मन में यही बात थी की उन तमाम जुड़े हुए लोगों की सोशल सिक्योरिटी की गारंटी का क्या होगी, जिनके चैनल बंद हो जाते हैं। मेरा फोकस उसी बात पर था कि कहीं न कहीं उन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों के बारे में हमें तय करना चाहिए कि उनके रजिस्ट्रेशन के समय आप जो भी उनसे सिक्योरिटी लेते हैं, उस सिक्योरिटी से सामाजिक सुरक्षा को पूरा नहीं किया जा सकता है। आपके रजिस्ट्रेशन की शुल्क अलग हो सकती है, लेकिन जो कर्मचारी उससे जुड़ते हैं, उनकी जवाबदेहियां भी किसी न किसी खाने में स्निश्चित होनी चाहिए।

फिर तीसरी बात आती है कि आपने अपने कर्मचारियों के हितों के बारे में जरूर चिंता कर ली, उनके परिवार के बारे में कर ली। लेकिन उससे आगे इस देश के बारे में भी तो सोचिए कि कम से कम आपके प्लेटफॉर्म से तो ऐसी गलती न हो जो देश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा दे। यदि हमने एक भ्रम भी इस समाज के भीतर खड़ा कर दिया और जो खतरनाक साबित हुआ तो वह देश और समाज के लिए हितकारी नहीं होगा और उसके लिए जवाबदेही किस पर जाएगी, यह कानून के फ्रेमवर्क में कहीं न कहीं आना चाहिए। चौथी और अंतिम बात मैं कहूंगा कि जब कभी ऐसे अवसरों पर, यह हमारा काम नहीं है, यह सरकार का काम नहीं है, यह उसी संस्था का काम है, जो अपने उस ऑर्गनाइजेशन

को खड़ा करती है, उसको यह तय करना होगा कि वास्तव में वह जिस विषय को सामने रख रहा है, उसका योग्य व्यक्ति उसके पास है किनहीं, आखिर वे ढूंढते हैं, लेकिन जब कोई नहीं मिलता है तो किसी को भी पकड़ पर बिठा लेना और बाद में वह जो कहे और वह लाइव पूरा देश देखे, हो सकता है किलोग उससे असहमत हों, नाराज़ हो जाएं, उसकी आलोचना कर दें, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे, जो साफ-स्वच्छ बच्चों का जो मानस होता है, उसको अगर वे प्रभावित कर गए, तो वह नुकसान करेगा।

सभापित महोदय, जनसंख्या के इन्हीं कारणों से मेरे जैसा व्यक्ति चिन्तित होता है और मानता है कि इन सब में हमको एकजुट होना चाहिए कि जनसंख्या में हम अटल जी की उस बात को तो ध्यान में रखते हैं कि वोट के लिए तो सिर गिने जाते हैं और काम के लिए हाथ गिने जाएंगे। अगर वे सही दिशा में हैं तो वे लाभ देंगे, लेकिन अगर एक प्रतिशत हाथों में हथियार चले जाएंगे तो देश और समाज का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए ऐसा कहना कि थ्योरी एक सी हो सकती है, सबका अपना मानस हो सकता है, सबका अपने सोचने का तरीका हो सकता है। मुझे लगा कि यह सदन में रखना चाहिए, इस नाते मैं इस विधेयक को ले कर आया हूँ।

सभापति महोदय, मैं अपेक्षा करता हूँ कि लोग इस पर चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से कोई रास्ता निकलेगा और मेरे जैसे लोगों के मन में जो छोटी-मोटी शंकाएं हैं, सरकार उनका समाधान करेगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भर्तृहिर महताब (कटक): सर, एक बड़ी बात है कि आज गतिरोध दूर हुआ है। जो गतिरोध कई दिनों से लोक सभा में चल रहा था, किसी भी कारण हो, आज गतिरोध दूर हुआ है, और गतिरोध इस प्राइवेट मैंबर्स बिज़नस में भी दूर हुआ है। दो सालों से एक गतिरोध चल रहा था, वह गतिरोध आज दूर हुआ है। प्रह्लाद जी का यह जो विधेयक है, जब हमने देखा और सुना कि यही बिल आज आने वाला है, तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं।

सभापित महोदय, टैलिविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज़ रैग्युलेशन बिल, 2015 पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहली दृष्टि में तो मुझे लगा कि यह तो कंपनीज़ एक्ट के जिए हो सकता है और यह रैग्युलेशन की आवश्यकता क्या है। जैसे कंपनी बनती है और कपंनी बंद होती हैं, उसका एक कायदा है। उस हिसाब से कंपनी एक्ट के अनुसार यह रैग्युलेटिड होना चाहिए। जो चीज़ अपने वक्तव्य में प्रह्लाद जी ने एक-एक कर के जो बिंदुएं रखे हैं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर और भी गौर करने की जरूरत है। क्योंकि इन्होंने इस विधेयक में रैग्युलेटरी मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा है, रैग्युलेशन शब्द व्यवहार किया है, यह सिर्फ कंपनी के जिए ही हो सकता है कि नहीं, इसका उत्तर हम मंत्री जी की तरफ से सुनना चाहेंगे। कंपनी एक्ट के जिए यह होगा या इसके लिए अलग रैग्युलेटरी बॉडी बनाने के लिए एक प्रस्ताव इस विधेयक में है। उसके हिसाब से आज सुनने के लिए मिलेगा। But what I find is that there are hardly 42 lines in the Bill. There are six lines on the front page and another 36 lines on the other page. These are hardly 42 lines. In these 42 lines, when one goes through the details of the Bill or when one reads through the lines, the basic idea that crops up in my mind is this. Is he asking for a licensing body?

अगर किसी को कम्पनी बनानी है, वह कम्पनी एक्ट के ज़रिये कम्पनी बनेगी। अगर किसी को बंद करना है तो वही रेग्युलेटरी बॉडी के ज़रिये पहले परिमशन लेगी, अप्लाई करेगी, उसके बाद अगर

वह परिमशन मिलती है, तो उस हिसाब से उसको बंद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्लॉज 4 में रखा है "The Central Government shall, within six months of the coming into force of this Act, constitute a Committee to be known as the Regulatory Committee.

The Regulatory Committee shall consist of three persons representing the television broadcasting companies." जिसका एक्सपर्टाइज है, इन्होंने नहीं लिखा कि मैनेजरियल होगा या नहीं और इससे जो crux of the Bill इन्होंने रखा है, "Three persons representing the employees of television broadcasting channels as Members." अपनी बात कहने के लिए और स्टेकहोल्डर्स के इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह एक प्रोविजन इन्होंने प्रस्तावित रेग्युलेटरी कमेटी में रखा है। पर क्लॉज 5 में जो यह लिखा है- "A company which intends to close down the operation of its broadcasting channel shall apply to the Regulatory Committee in such form and manner as may be prescribed."

That means it will be done by the rules. इनका प्रस्ताव है, जो-जो रूल बनेगा, जब भी बनेगा, यह सारे पार्लियामेंट में प्रस्थापित होगा। So, protecting the interest of the employees of private channels or even Government channels, is the first and foremost priority of this Bill.

"The Regulatory Committee, before taking a decision on closing down of a television broadcasting channel, should give an opportunity of being heard to the employees of that channel."

But the employees should not be left in the lurch. That is what he has stated, and perhaps, he is aware जिस तरह कई कम्पनियाँ बनीं, it might have happened in Madhya Pradesh. It might have happened in many parts of the

country. It has also happened in North-East. Many channels came up with the liberalisation process that started in the late last century and with the opening of our market, investments were made. But subsequently, as we know, the law of nature always prevails. Law of nature means जो फिट है, जो फिटेस्ट है they only survive. Survival of the fittest, जिसको हम कहते हैं they only survive. फिटेस्ट की जो डेफिनेशन है. वह अपने-अपने विचारों में अलग-अलग मायने रखते हैं। आज के जमाने में जो स्मार्ट है. जो किनंग है. जो सराउंडिंग्स में एडेप्ट कर सकते हैं. वह बच सकते हैं. वह सरवाइव कर सकते हैं और लॉ ऑफ नेचर वही है कि जो सराउंडिंग्स में एडेप्ट कर सकते हैं. वही सरवाइव करते हैं। I would sav that the Regulatory Committee shall take a decision within three months. यह एक अच्छी बात है कि it is done in a time bound manner. It is not an open-ended provision कि एक ऐप्लिकेशन आ गई, तभी आप निर्णय ले सकते हैं। The basic purpose of this Bill is to protect the interests of the employees of the closed company. When a channel closes down, the management should be made accountable at least to its employees. दो चीज़ें उन्होंने इस विधेयक में रखी हैं कि यह रेग्युलेटरी कमेटी के सामने अपने वक्तव्य रखेंगे और अपने एम्प्लॉइज का वर्जन सुनने के लिए भी एक मौका मिलेगा। Normally, in our Companies Act, this provision is not there and we have fly-by-night companies which operate but suddenly the next morning we do not know whether that company exists or not. Or, is there any accountability of those companies or not? We have also seen during this Government how they have acted forcefully against the shell companies. Thousands of shell companies were apprehended after the demonetisation, and strong action was taken.

But what is the situation today in the country and even throughout the world? Explosion of information is taking place. Anurag ji is present in this House. He is chairing the Standing Committee on Information Technology. He is very much aware of the operation of various channels in our country and also outside. It is because of the amount of information which is exploding all around us what to understand and what to leave out has become very difficult.

There are many channels as we all know. There are news channels, entertainment channels, channels on yoga and medicines etc. There are different types of channels just as there are different types of shops in a market. If I go to market and if I have to buy certain things, I have to go to that particular shop only.

Now, these channels also try to have their own clients. But a new word 'infotainment' has come into being. It is information plus entertainment. That is perhaps the *mantra* today and that is how the channels are surviving. Some years back and not recently, a notice was sent to those channels asking that their channels were registered as news channels and why they were broadcasting content on entertainment. I do not know what subsequently has happened to that notice. But infotainment has become the rule of the day and in many news channels we find the content on entertainment, especially during the lunch hour and after the lunch hour.

I would say that managing a channel is a very challenging job. Taking advantage of the presence of the hon. I&B Minister, I would like to say something.

I am reminded of a cameraman who, some months back, was covering election preparations in Maoist area of Chhattisgarh. That cameraman was from Odisha. He was trained in Biju Patnaik Film Academy in Cuttack. That cameraman served in the Armed Forces also. After taking VRS, he came back and wanted to join and take up a challenging job. He had taken it up for himself. I think that the Minister is aware about his family. He went there and fell to the bullets of Maoists. Three other survived but here was a young person who fell to the bullets of Maoists. This man was a youngman, as I said, but my concern here is that he died there on duty. It is not because that he was an employee of Prasar Bharati that the Government has to do something for the family, but the society also has a responsibility for that family. He took that job as a challenge. Though he was escorted by some armed personnel while going into that area, he went there where nobody was willing to go. But I would like to understand what steps have been taken to give succour to his family, to his wife and children.

I would also like to impress upon the Mover of this Bill, why not extend the scope of this Bill to protect the interests of the temporary workers who are working both in private and in Government channels. There are different names given to them, like daily casual labourers. I am just putting the word 'temporary'. So, there are different types of people. A large number of young boys and girls also work in those companies and their future is at stake. They got a job by facing competition and they are working in that company. If that company is unable to survive then

we have to provide certain amount of social security so that something can be done for them.

There are other angles to look at it. Companies are formed by public money. Responsibility is taken up by the creator of that company. Money is provided by banks and the market. Money is not of the owners alone. Therefore, when companies are formed they are regulated by the company law. Shri Prahlad Singh Patel wants that when they are forced to close down, adequate provision should be made to protect the interest of the employees.

Content actually determines what type of channel it is. I mentioned about the market, but it is more like a jungle. As in nature, so also in this media world, it is they who survive who are tactful, who adapt themselves to the situation and to the surroundings. Many also die. Once Shri Rajinder Mathur, who was the Editor Nav Bharat, Indore those days, came to our newspaper office to address our subscribers and our people there. He said, 'A tiger can only survive in a jungle which has grass.' The general response was: What has the tiger got to do with the grass? After all, tiger does not eat grass. Tiger is a carnivorous animal. What has that to do with the grass? Then he explained, tigers survive on those which eat grass. That means, tiger survives on those cows, dears, etc. which eat grass. So, a jungle which does not have grass cannot have tigers also.

I would like to impress upon the Mover of this Bill that a number of channels would come up, but at the same time a number of channels would also die. But as

a responsible society, our Government also has to take steps to protect the interests of those people who are employed there in order to see that they are not left in the lurch. That is the purpose of this Bill. Shri Prahlad Patel has drawn the attention of this House towards a position which has been overlooked. I hope the House will support this Bill.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय सभापित जी, श्री प्रहलाद पटेल जी द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया है, उस पर आज चर्चा हो रही है। मैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपिनयां (विनियमन) विधेयक, 2015 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

निश्चित तौर से यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है कि जो कंपनियां अपने चैनल को प्रसारित करती हैं, वे खुलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। आज कंपनियों की भरमार हो गई हैं। इतनी कंपनियां तथा चैनल्स बने हैं, जिनके विनियमन का कोई कानून नहीं होने से निश्चित तौर पर उन पर कोई अंकुश नहीं रह पाता है। आज तरह-तरह के समाचार प्रसारित होते हैं, अश्वील चैनल्स दिखाए जाते हैं, अश्वील सीरियल्स दिखाए जाते हैं, इनसे बच्चों तथा आम आदमी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उनको आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। निश्चित तौर से यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बिल पर विचार करके, जैसे यहां चर्चा हो रही है, उनके नियंत्रण के लिए कोई न कोई कानून निश्चित तौर से बनना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है।

आज भी देखा जाता है कि जो कंपनियां बंद हो जाती हैं, उनमें जो कर्मचारी होते हैं, वे घूमते रहते हैं और उनका वेतन भी बाकी रह जाता है। चैनल जो विषय प्रसारित करते हैं, उन विषयों की भी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। कर्मचारियों के विषय में कहना चाहूंगा कि उनका कोई मिनिमम वेतन निर्धारित नहीं है। वे दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहते हैं। निश्चित तौर से इस पर विचार होना चाहिए। जैसा मैंने कहा है, हिंसा वाली फिल्में और सीरियल दिखा कर समाज पर कुप्रभाव डालने का काम हो रहा है। उस पर काफी कुछ यहां पर सरकार ने कानून भी बनाया, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। इस पर भी निश्चित तौर से विचार होना चाहिए। ये जो चैनल्स हैं, ये ग्रुप बना करके किसी विषय को ले करके, जिसके पीछे पड़ गए, वही विषय चला-चला करके निगेटिव बातों को प्रसारित करके एक तरह से लोगों को ब्लैकमेल करने का भी काम करते हैं। इस पर अंकुश होना

चाहिए। यह देखा गया है कि कोई विषय आ गया, सब लोग ग्रुप बनाकर काम करते हैं। चुनावों तक में देखा जाता है कि आप इतना करिए, इतना आप सबको पैकेज देना पड़ेगा, नहीं तो हम ये चीज प्रसारित करेंगे, इस तरह की बातें कह कर भी लोगों को ब्लैकमेल करने का काम होता है। इस पर विचार करके इनको नियंत्रित करने का काम होना चाहिए। इसी तरह से यहां पर छोटी-छोटी शुभकामनाएं दीजिए। अब दीवाली आ रही है, हर एक की एक सीमा होती है, उसका एक आर्थिक स्टैटस होता है। वह एक सीमा तक ही तो कर सकता है। अगर किसी ने नहीं किया, तो फिर उसको निगेटिव रूप से प्रसारित करने के लिए ढूंढते रहते हैं, जो स्थानीय स्तर पर लोग होते हैं, वे ढूंढते हैं कि किस तरह से इनको डीफेम किया जाए।

ऐसे तमाम उदाहरण हैं। महोबा के हमारे साथी सांसद बैठे थे और चर्चा कर रहे थे। उनके खिलाफ उन्होंने झूठी खबर प्रसारित कर दी। वहां पर उनको सफाई देनी पड़ी, अपनी पीड़ा को बताना पड़ा इसी लोक सभा में। माननीय पुष्पेन्द्र चंदेल जी अभी यहां बैठे थे। इस तरह के तमाम प्रकरण होते रहते हैं। इसको भी देखने की जरूरत है।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। जो सामूहिक डिबेट प्रसारित करते हैं, उसमें कभी-कभी युद्ध की नौबत आ जाती है। उसमें कोई न कोई आचार-व्यवहार तय होना चाहिए कि जो लोग डिबेट में जाएं, वे किस तरह से बात करें। इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहते हैं, बात करते हैं, तो उस डिबेट में भी वहां पर आचार-व्यवहार का पालन कराने का भी प्रयास होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं, उसमें चार-छ: लोग बैठ गए, जो अपने-अपने पक्ष की बात रख रहे हैं। वहीं डिबेट स्तर पर उनका युद्ध होने लगता है। इन सब चीजों को देखने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए कोई न कोई प्रयास होना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चैनल के जो निचले स्तर के कर्मचारीगण हैं, उनकी कोई न कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। अभी तक कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है।

जिसको भी चाहें, उसको बैठा दिया, माइक पकड़ा दिया, वे जाकर काम कर रहे हैं, उनकी कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है। उनके पास कम से कम कोई डिप्लोमा या डिग्री उस स्तर की होनी चाहिए, जिससे वे ठीक से काम कर सकें। उनको प्रेस-मीडिया लाइन का अनुभव भी होना चाहिए। यह भी देखने की जरूरत है।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ज्यादातर ऐसे जो चैनल्स हैं, उनमें बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों का कब्जा है, क्योंकि वे ही चैनल चला सकते हैं, जिसके पास काफी पैसा होगा, बड़े व्यापारिक घराने होंगे। कुछ इस पर भी विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से बड़े व्यापारिक घरानों के नियंत्रण से इसको मुक्त किया जाए। अधिकतर देखा जा रहा है कि जितने भी चैनल्स हैं, किसी न किसी बड़े व्यापारिक घराने से संबंधित हैं और उसका उस पर नियंत्रण है। उसमें वे अपने हित चिंतन भी करते हैं और उसी के अनुसार सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का भी काम करते हैं। इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

अभी माननीय प्रहलाद जी ने कहा, वास्तव में यह विषय गंभीर है। ज्यादातर चैनल्स निगेटिव बातों की ओर ज्यादा ध्यान देने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने कितने अच्छे काम किए, साढ़े चार साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कितनी प्रगति की, कितनी योजनाएं लागू कीं, उनका कितना लाभ लोगों को मिला है, इन सब बातों को भी उनको सार्थक रूप से रखने का काम करना चाहिए। यह देखा जाता है कि ज्यादातर निगेटिव बातें प्रसारित होने से देश में एक निराशा का भाव पैदा होता है।

मैं कहना चाहता हूं कि उनको पॉजिटिव चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए, विशेष तौर से पॉजिटिव बातों को भी प्रसारित करने का काम करना चाहिए। विशेषकर, हमारी सरकार ने जो काम किया है या जो अन्य अच्छे काम होते हैं, उन सभी की प्रशंसा करने का काम करना चाहिए, जो मैडल लेकर आ रहे हैं, सेना ने जो बहादुरी का काम किया है, ऐसी चीजों को प्राथमिकता देने का काम उन सबको करना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की बातों को हमारे चैनल प्रसारित करने काम बहुत कम करते हैं। दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगरों में कोई छोटी घटना भी हो जाती है तो उस घटना को बड़े ढंग से प्रसारित किया जाता है, लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अगर कोई बड़ी घटना भी हो जाती है तो वह उस चैनल पर नहीं आ पाती है।

जब कोई अच्छा काम हो जाता है, उस चैनल पर नहीं आ पाता है, वहां की जो समस्याएं होती हैं, वह नहीं आ पाती है, उस तरफ भी इन चैनलों को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं।

आपने देखा होगा कि चैनलों में लगातार 'सूत्र' कहते हैं, यह सूत्रों की खबर है, भ्रामक प्रचार करने का काम किया जाता है। इस पर निश्चित तौर से अंकुश होना चाहिए। इस विधेयक से अंकुश लगेगा, इसमें ऐसी व्यवस्था करने का काम होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, उस न्यूज में कुछ नहीं रहता है लेकिन आ गया ब्रेकिंग न्यूज, वहां से सनसनी पैदा करने का काम होता है। इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। यही बात कह कर पुन: पटेल जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापित महोदय, मैं माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी द्वारा जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज इस बिल पर गहन चर्चा हुई। मैं अपनी बात बहुत कम समय में रखना चाहता हूं। पिछले सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा चल रही थी, उस समय मैं मतदान में उपस्थित था।

इन्हीं चैनलों की जिनकी आज बात हो रही है, उस समय मतदान के समय सदन में उपस्थित था, उसी समय हमारे यहां कुछ टेलीविजन चैनलों द्वारा यह चलाया जा रहा था कि हमीरपुर के सांसद पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल पत्रकारों पर फायरिंग कर रहे हैं।

मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यह है कि इस बिल पर महत्वपूर्ण बात रखने की आवश्यकता है कि अनेक लोग जो एक्सपर्ट नहीं हैं, आपने अनेक बार समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि फलां साधु ने गलत काम कर दिया, जिनको यह नहीं पता कि जो गलत काम कर रहा है, वह साधु नहीं है, वह साधु वेशधारी हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ कम पत्रकार हैं, जो कम पढ़े-लिखे हैं, उनकी आईडी लेकर और आई कार्ड बना कर जो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, वहीं उनके कारण अच्छे समाचार पत्र चैनलों को अपमानित करने का काम करते हैं। हम लोगों को यह बात जरूर करनी चाहिए। दूसरी तरफ, युद्ध में अपने यहां इस तरह से लोग रिपोर्टिंग करते हैं, उनको गोली लगती है, अभी छत्तीसगढ़ में बस्तर में चुनाव हुए। एक कैमरामैन ने जिस तरह से कवर कर रहे थे, उनको गोली लगी, वे कैमरा को अपनी तरफ घुमा कर कहा कि हो सकता है कि मैं न बचूं, लेकिन रिपोर्टिंग करना मेरा धर्म है, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, उनकी जान चली गई। मैं आपके माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं कि जो सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, एक सामाजिक उत्तरदायित्व के नाते जो प्राइवेट लोग हैं, उन सभी चैनलों और सभी समाचार पत्रों के माध्यम से उनको रेग्युलर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): सभापित महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सदस्य प्रहलाद सिंह जी ने जो प्राइवेट मेंबर बिल रखा है, मैं उनकी भावना की सराहना करना चाहता हूं। देश में तकरीबन 800 से ज्यादा चैनल हैं। हमारे कुछ कायदे-कानून होते हैं। आज सदन में काफी बातें हुई हैं, उसकी देख-रेख हो जाती है, अप-लिंकिंग की परिमशन मिलती है, डाऊन-लिंकिंग की परिमशन मिलती है, जिस तरह का कन्टेंट टीवी चैनल पर चलाएंगे, उसे केबल टेलीविजन एक्ट के तहत निर्धारित किया हुआ है।

उसमें गाइडलाइन्स दी हुई हैं कि वे किस तरह की खबरें चला सकते हैं, कहां गलत है। पहला चैनल लेने के लिए कितनी नेट वर्थ होनी चाहिए और दूसरा चैनल लेने के लिए कितनी नेट वर्थ होनी चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है। उनको हम एक लंबे समय के लिए लाइसेंस देते हैं। हम उनको दस वर्ष के लिए लाइसेंस देते हैं। उन्हें सिर्फ हम से नहीं, बल्कि डब्ल्यूपीसी से भी परिमशन लेनी पड़ती है, सेटेलाइट की परिमशन लेनी पड़ती है। इन सभी को करने के बाद जो भी मीडिया हाऊस या चैनल को चलाने आता है, उनको कंटेंट इस तरह का चलाना होता है, जिसको व्यूअर्स पसंद करें। उनको कहीं न कहीं एक विश्वसनीयता बनानी पड़ती है। अपने कंटेंट के ऊपर एक फेथ डेवलप करना पड़ता है। किस क्वालिटी के उनके एंकर्स तथा कॉरेसपॉन्डेट्स हैं, किसी तरह का एनालिसिस हो रहा है, जनता द्वारा कहीं न कहीं उनको परखा जाता है।

आज सिर्फ टेलीविजन चैनल्स ही नहीं, बिल्क अब तो ओवर द टॉप ट्रांसिमशन हो रहा है। इंटरनेट द्वारा सीधे-सीधे मोबाइल फोन या डिवाइसेस पर आ रहा है। अब सीरियल्स बहुत बड़े पैमाने पर ओवर द टॉप आ रहे हैं। उसी के साथ आजकल खबरें ओवर द टॉप आ रहे हैं। यह एक तरह से एक एक्स्प्लोज़न हो रहा है, जो बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। इन सब के अंदर जो लोग आते हैं, उनमें अपने आप एक नेचुरल सेंस ऑफ कम्प्टीशन आता है। जिस तरह से महताब साहब ने कहा था,

उन्होंने एक शेर का उदाहरण दिया। वहां सर्वाइवल की बात आती है, जो हर तरह से सबसे बेहतर होगा, वही आगे बढ़ पाएगा।

एक बात यह भी हुई कि चैनल्स की जवाबदेही होनी चाहिए। श्री प्रह्लाद सिंह जी ने यह बात रखी थी। हमने कई लेवल्स के ऊपर इसको एन्श्योर किया हुआ है। सबसे पहला लेवल है, खुद मीडिया चैनल्स या जर्नलिस्ट जवाबदेह है, उसके बाद दूसरा आता है, जहां मीडिया हाऊस से बाहर निकल कर उनकी जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। इसमें तीन-चार तरह की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। अगर विज्ञापन आता है, तो उसके लिए आस्की (ASCI) है। अगर एंटरटेंमेंट संबंधित कोई कंटेंट है तो उसमें बी-ट्रिपल सी है। उनकी इंडस्ट्री की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। अगर खबरें हैं, तो एनडीएसए है। ये इंडस्ट्री की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी हैं। इनके अलावा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वह इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी (आईएमसी) है। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी है, वह है आई.एम.सी, इंटर मिनिस्ट्री रेल कमेटी। कहीं पर भी किसी भी देखने वाले को यह लगता है कि कहीं भी वायलेशन हो रहा है किसी भी चीज का, उसको लगता है कि यह परिवार के लायक नहीं है या गलत है, तो इन सभी एजेंसीज़ को सीधे-सीधे लिख सकता है, मीडिया हाउस को भी लिख सकता है। उसके अंदर कानून बने हुए हैं। उसी प्रकार अधिकारियों के जो कर्मचारी हैं, उनकी देख-रेख की बात की है, मैं भावना को समझता हूं और उसको सराहता भी हूं। लेकिन, वह जितनी भी कर्मचारियों की देख-रेख की बातें हैं, वह सब कंपनी एक्ट के अंदर पहले से ही है। हर कंपनी सिर्फ मीडिया की कंपनी नहीं हर एक कंपनी जब कोई चलाता है, तो उन्हें उस एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर से कायदे-कानून दिये हुए हैं। उनको हर तरह से फॉलो करना पड़ता है। हर कंपनी के अंदर लोग मेहनत वाले होते हैं और मेहनत वाला ही आगे बढ़ पाता है। यह तो पूरी दुनिया का एक नियम है। उसके अंदर जो सोशल सिक्योरिटी होती है, वह भी जो कंपनी के लॉज होते हैं, उसमें दी हुई होती है। भर्तृहरि साहब ने कहा कि ये जो कंपनियां बंद होती हैं, अगर मीडिया हाउसेज बंद होते हैं, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। टाइट फाइनेंशियल

मैनेजमेंट हो सकता है, लैक ऑफ व्यूअरशिप, अगर फेथ नहीं है तो आपका कंटेंट नहीं चलेगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर ठीक नहीं है तो नहीं चलेगा। But these are market-driven, market forces. यानी मार्केट उसको डिसाइड करेगा कि यह आगे चलना चाहिए या यह लायक नहीं है इस देश के अंदर चलने के लिए। जैसा मैंने कहा कि 800 से ज्यादा चैनल्स हैं। उनमें से कुछ सर्वाइव करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन, हो सकता है जो सर्वाइव न करें, उनमें से कुछ अच्छे लोग कहीं दूसरी जगह चैनल्स में जाकर काम कर सकते हैं। So, This is entirely an independent process. जो देश के अंदर चलता रहता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हमारे कैमरामैन थे छोटा नंद शाहु, जो ओडिशा के रहने वाले थे। उनके अंदर एक किमटमेंट था। उसी तरह बहुत-सारे ऐसे मीडिया के कर्मचारी हैं, सिफ मीडिया ही नहीं, और भी देश के सेक्टर हैं।

18 00 hrs

जब ये किमटेड लोग काम करते हैं तो अपने आप न केवल उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे लोगों का ध्यान रखे, बिल्क सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है। यह हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम अपने से ज्यादा अपनों के लिए काम करते हैं। इसलिए कहीं न कहीं वह अपनापन दिखता है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस आज चार-पांच मिनट लेट शुरू हुआ था, इसलिए सदन का समय पांच-सात मिनट बढ़ा दिया जाए।

माननीय सभापति : अगर सदन की अनुमित हो तो सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): सभापति जी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने फिल्मों के बारे में कहा कि फिल्में किस तरह से चलती हैं, एक ही बात को बार-बार दिखाना, चैनल्स के अन्दर पैनल में युद्ध

की स्थित बन जाती है और चैनल्स को या मीडिया हाउसेज को पॉजिटिव बातें दिखानी चाहिए। इन सभी बातों के लिए हमारे पास रूल्स बने हुए हैं। फिल्में 'यू' या 'यूए' सर्टिफिकेशन आ सकता है, उसके लिए सीबीएफसी जिम्मेदार है। उसी तरह से मॉडरेटर्स होते हैं, जो अपने आप उसे नियंत्रित रखते हैं। फिर उसके बाद दर्शक होते हैं, जब किसी चैनल के बारे में शोर मचता है तो उसके दर्शक अपने आप कम हो जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि न केवल दूरदर्शन, बिल्क काफी मीडिया हाउसेज पॉजिटिव न्यूज को दिखा रहे हैं। पुष्पेन्द्र सिंह ने भी इस बात को इम्फेसाइज किया कि गलत खबरें चलती हैं।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य ने जो बात की है, बहुत जेनुइन बात कही है। वह चीज कुछ नहीं थी, लेकिन खबर चल रही थी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): सभापित जी, जो गलत खबरों की बात उन्होंने की, मैं इससे सहमत हूं कि अगर कभी ऐसी खबर आती है, जैसा मैंने पहले बताया है, इनकी सेल्फ-रेगुलेटिंग बॉडीज की कोई कमी नहीं है। वे अलग-अलग लेवल्स पर काम कर रही हैं। उसके बाद सरकार की इंटर-मिनिस्टीरियल कमेटी है। अगर आपको कहीं कुछ गलत लगता है और तुरंत उसकी कम्प्लेंट की जाए तो उसके ऊपर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए काफी सीवेयर पिनशमेंट्स हैं। हम कई बार उन्हीं की सेल्फ-रेगुलेटिंग बॉडी को बताते हैं और वे उसके ऊपर एक्शन भी लेती हैं। साथ ही, अगर इंटर-मिनिस्टीरियल कमेटी उस पर एक्शन ले तो बड़े सिवियर पिनशमेंट्स हो सकते हैं, उदाहरण के लिए एक महीने, दो महीने के लिए या उसका पूरा लाइसेंस विदड़ाँ कर सकते हैं।

मोटे तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि आज सदन में जो बातें उठाई गई हैं, वे सभी कहीं न कहीं, चाहे हमारे मंत्रालय के जो नियम-कायदे हैं, उनमें कवर होती हैं या दूसरे मंत्रालय के रूल्स-रेगुलेशन्स में कवर होती हैं। पूरी तरह से, पहले से यह इसके अन्दर शामिल है और फिर एक तरह से मार्केट फोर्सेज डिसाइड करती है कि कौन से मीडिया हाउसेज कितना आगे बढ़ पाएंगे और किस तरह

के पत्रकार आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि मंत्रालय इसको सपोर्ट नहीं करता है और मैं इस विधेयक को वापस लेने के लिए आपसे आग्रह करता हूं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): आपने सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभापति जी, मैं इसको गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आप खुद मानते हैं कि कंपनी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कंपनी बन्द करने के साथ, उनके इम्प्लाइज के बारे में सोच जाएगा। मैंने अपने भाषण में यह बात भी कही थी कि जो आदमी उनका रेगुलर एम्प्लाई नहीं, जिसे कार्ड नहीं मिला है, उसके लिए न तो पी.एफ. की व्यवस्था है, न कभी उसे इसका रास्ता मिल सकता है। मैं अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करता था, मेरे मन में यह भाव उसके कारण ही आया था। इसके लिए कोई फोरम नहीं है। मुझे मालूम है कि अगर मेरे खिलाफ प्रिंट मीडिया में कुछ होगा तो मैं उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जा सकता हूं। प्रसार भारती बना है, अगर मेरे खिलाफ कोई बात आती है तो मैं वहां जा सकता हूं, लेकिन वह एम्प्लाई नहीं जा सकता है। जो प्राइवेट चैनल है, जो देश के बाहर रजिस्टर्ड है, उसका एम्प्लाई वहां नहीं जा सकता है। इसके बाद ही मैंने कमेटी की बात कही है। मैं जानता हूं कि कंपनी एक्ट के द्वारा किस सीमा तक काम हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे स्थापित प्लेटफार्म्स कहां तक राहत देते हैं। ये चीजें आपको भी पता हैं। आप भी मानते हैं कि वह मामला कंपनी एक्ट में जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे मीडिया हाउसेज में काम करने वाले छोटे कर्मचारी से लेकर, अगर कोई फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है जो वहां रेगुलर एम्प्लाई के रूप में नहीं है, जिसका वहां पी.एफ. नहीं कटता है, ऐसे लोग भी वहां पर हैं। जिनको वे कांट्रेक्ट बेसिस पर इंगेज करते हैं और अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो वे किसके दरवाजे पर जाएंगे। मैं किसी मीडिया हाउस का नाम लेकर यहां नहीं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों को बाहर निकाला गया, उनको आठ-दस महीने तक वेतन नहीं मिला, आज भी नहीं मिला और उसके बाद उनको कहा गया कि आप थोक पैसा ले लीजिए। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं लेबर लॉ भी जानता हूं, मैंने उसमें भी काम किया है। इस नाते मैंने कहा था कि किसी काउंसिल की व्यवस्था हो।

माननीय सभापति: मंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे, इसलिए आप इसको देख लें। आपकी मंशा को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने कहा है कि इसके अनुसार विचार करें।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: मुझे लगता है कि मंत्री महोदय एक्टिव हैं, वे खुद इस बारे में सोचते भी हैं, लेकिन मेरी मंशा केवल इतनी थी कि कम से कम उन अन-ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्टर्स के लिए कोई व्यवस्था के बारे में जरूर सोचें। यह मेरा आग्रह है।

आपने जो मंशा व्यक्त की है, उसके अनुसार में विधेयक वापस लेता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to regulate closing down of broadcasting channels by television broadcasting companies and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूँ।

माननीय सभापति : अगला विधेयक आइटम नम्बर-178. श्री राजेन्द्र अग्रवाल -- उपस्थित नहीं।

18 05 hrs

TOURISM PROMOTION CORPORATION OF INDIA BILL, 2015

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय सभापित महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में पर्यटन का संवर्धन और विकास करने के लिए भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

माननीय सभापति : आपने प्रस्ताव पेश कर दिया है, यह अगली बार जारी रहेगा।

The House stands adjourned to meet on Monday, the 31st December, 2018 at 11 a.m.

18 06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 31, 2018/Pausha 10, 1940 (Saka).
